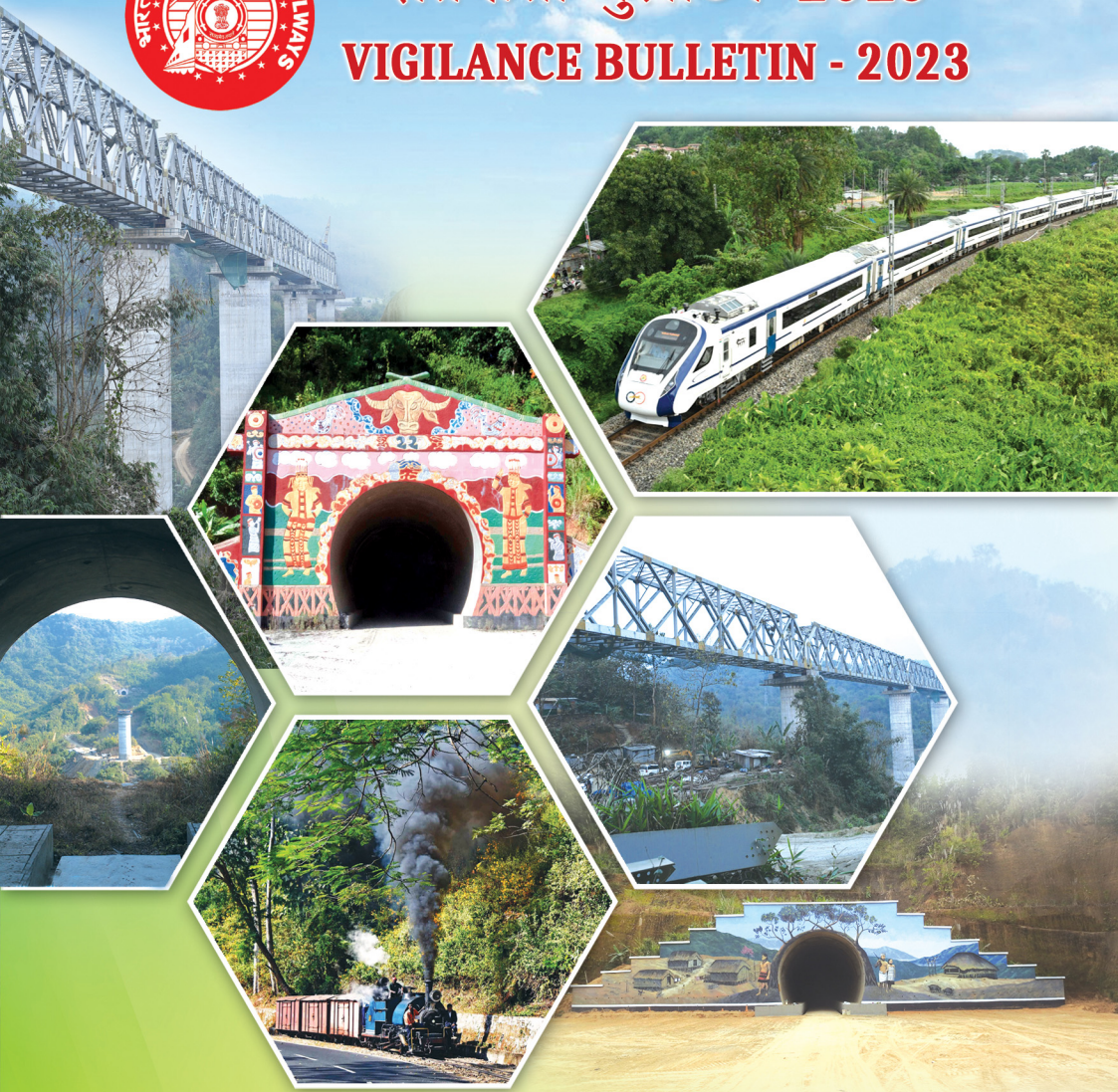




सतर्कता बुलेटिन-2023

VIGILANCE BULLETIN - 2023



सतर्कता संगठन

पूर्वोत्तर सीमा रेल

VIGILANCE ORGANISATION
Northeast Frontier Railway

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कार्य करने की आवश्यकता है।

महारा मानता है कि ब्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा का उच्चतम मानकों के प्रति वुनबाद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिश।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ;

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा;
- ना तो रिश्तत लूंगा और ना ही रिश्तत दूंगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा;
- जतहित में कार्य करूंगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूंगा।

INTEGRITY PLEDGE

I believe that Corruption has been one of the major obstacles to Economic, Political and Social progress of our Country. I believe that all stakeholders such as Government, Citizens and Private sector need to work together to Eradicate Corruption.

I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of Honesty and Integrity at all times and support the fight against Corruption.

I, therefore, Pledge:

- To follow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behavior;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency.



संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सतर्कता विभाग ३० अक्टूबर २०२३ से ०९ नवंबर २०२३ तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर अपना सतर्कता विज्ञप्ति जारी कर रहा है। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह की प्रसंग **“भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें”** अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारे समाज के मूल लोकाचार और प्रगतिशील भविष्य के प्रति इसकी साझा जिम्मेदारी के साथ प्रतिध्वनित होता है।

जैसे-जैसे हम भ्रष्टाचार-मुक्त भारत की दिशा में इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपने राष्ट्र की नियति को आकार देने में हममें से प्रत्येक की महत्वपूर्ण भूमिका की याद आती है। भ्रष्टाचार, अपने सभी रूपों में, हमारे समाज के विकास और कल्याण पर गहरा प्रभाव डालता है। यह आम भलाई के लिए बने संसाधनों को छीन लेता है, विश्वास को खत्म कर देता है और एक संपन्न लोकतंत्र के सार को कमजोर कर देता है। भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों का संज्ञान हमारे देश के सामान्य नागरिक के साथ-साथ प्रत्येक रेलवे कर्मचारी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे संस्थागत पदानुक्रम में उसकी स्थिति कुछ भी हो। किसी भी राष्ट्र का सामूहिक विकास जनता को सेवाएँ प्रदान करने वाली उसकी प्रत्येक संस्था के विकास पर निर्भर करता है और इसलिए भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर आवश्यक कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार को ना कहने की हमारी प्रतिबद्धता केवल एक नारा नहीं है बल्कि कार्रवाई का आह्वान है, हमारे सभी प्रयासों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिज्ञा है। यह उन अनगिनत पीढ़ियों के लिए एक वादा है जो हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत को प्राप्त करेंगी। इन शब्दों में न केवल एक गंभीर वादे का भार है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का अटूट संकल्प भी है जो हमारे प्यारे राष्ट्र के उज्जवल, अधिक पारदर्शी भविष्य में विश्वास करता है। साथ मिलकर, हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जहाँ जवाबदेही और नैतिक आचरण के आदर्श हमारी प्रगति का आधार होंगे।

मैं इस ज्ञानवर्धक सतर्कता विज्ञप्ति को बनाने और प्रकाशित करने में सतर्कता संगठन के अथक प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह विज्ञप्ति सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान अन्य नियोजित कार्यक्रमों, गतिविधियों के साथ मिलकर रेलकर्मियों द्वारा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय अपनाई जाने वाली सही प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने, मार्गदर्शन करने और जागरूकता फैलाने के अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। यह निश्चित रूप से प्रेरणा की किरण के रूप में काम करेगा, ईमानदारी और नैतिक आचरण की सामूहिक भावना को प्रज्वलित करेगा। साथ मिलकर, हम भ्रष्टाचार को “ना” कह सकते हैं और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होकर सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

(चेतन कुमार श्रीवास्तव)

महाप्रबंधक



संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का सतर्कता विभाग ३० अक्टूबर २०२३ से ०५ नवंबर २०२३ तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सतर्कता विज्ञप्ति का वार्षिक अंक प्रकाशित कर रहा है। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय “अष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें” हममें से प्रत्येक द्वारा एक मजबूत, अधिक ईमानदार और अष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए अष्टाचार के खिलाफ हमारी प्रतिज्ञा का सार समाहित करता है।

हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम मानते हैं कि अष्टाचार हमारे राष्ट्र की नींव में घुस गया है, जो विकास, प्रगति और समृद्धि में बाधा बन रहा है। अष्टाचार केवल एक वित्तीय अपराध नहीं है; यह असंख्य रूपों में प्रकट होता है, विश्वास को नष्ट करता है और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों को नष्ट करता है। अष्टाचार के कई अलग-अलग रूप हैं, जिनमें रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, गबन और पक्षपात शामिल हैं। अष्टाचार समाज के सभी क्षेत्रों में हो सकता है और इसके अलावा, अष्टाचार असमानता और गरीबी को बढ़ाता है। इस सर्वोपरि मुद्दे को संबोधित करते हुए, हम स्वीकार करते हैं कि अष्टाचार एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है, जो हमारी प्रगति और सामूहिक भलाई को कमजोर करने की क्षमता रखता है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हममें से प्रत्येक की अष्टाचार उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका है और हम अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह एक बाधा है जो हमारे प्रिय मूल्यों से समझौता करती है, और इसलिए, अष्टाचार को “नहीं” कहना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे प्यारे राष्ट्र के प्रति एक नैतिक दायित्व और प्रतिबद्धता है। इसके अलावा, अष्टाचार को “नहीं” कहने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता नैतिक नींव पर आधारित राष्ट्र के निर्माण के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण है। अखंडता, जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम अपने राष्ट्र के विकास और प्रगति में सक्रिय रूप से योगदान दे सकते हैं।

इस बुलेटिन को संकलित करने और प्रकाशित करने में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सतर्कता विभाग के सामूहिक प्रयासों और प्रतिबद्धता को देखना मेरे लिए खुशी की बात है। मेरा मानना है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान नियोजित कार्यक्रमों, गतिविधियों के साथ-साथ इस बुलेटिन की सामग्री जिसमें केस अध्ययन, सिस्टम सुधार, क्या-करें और क्या-ना-करें आदि शामिल हैं, विभिन्न हितधारकों के वर्तमान कामकाज में प्रणालीगत खामियों की बेहतर समझ पैदा करेगी और इसके लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, कुशलतापूर्वक और निडरता से पूरा करने के लिए सुधारात्मक उपाय करना। आइए हम एकजुट हों, अष्टाचार को ना कहें और पूरे दिल से अपने राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध हों। अपने सामूहिक प्रयासों से हम सभी के लिए समृद्ध, पारदर्शी और अष्टाचार मुक्त भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

सुनील कुमार झा
महाप्रबंधक (निर्माण)



भारत सरकार
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड)
रेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
RAIL BHAVAN, NEW DELHI-110001

Shobhana Bandopadhyaya
Principal Executive
Director (Vigilance)
&
Chief Vigilance Officer



MESSAGE

Vigilance Awareness Week is celebrated every year to highlight the importance of morality and uprightness in public life. This year, Vigilance Awareness Week is being celebrated from 30th October to 05th November, 2023. The theme chosen by Central Vigilance Commission this year i.e. **“Say no to corruption; commit to the Nation”** “भ्रष्टाचार का विरोध करे; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे” appears to be true as corruption being a public evil is proving harmful to the health of the economic and technological richness of the nation.

I would also like to mention here that CVC has also emphasized and directed for taking certain preventive vigilance activities as a focus area and asked to initiate 03 month's campaign starting from 16th August 2023 to 15 November, 2023. Accordingly all the units must be doing needful to achieve the systematic objectives. I am of firm belief that besides taking various preventive measures along with creating awareness among Railway employees and citizens, it is possible to eliminate/reduce corruption in the organization.

I also feel that Indian Railways has a strong prospective of getting rid of corruption if everyone works in unanimity, pledges not to take or give bribe and also initiate some stern measures for tooth and nail eradication of this menace. I therefore extend my greetings to all those associated in this movement and convey my wishes for a successful Vigilance Awareness Week.

(Shobhana Bandopadhyaya)



सत्यमेव जयते



संदेश

३० अक्टूबर २०२३ से ०५ नवंबर २०२३ तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर यह सतर्कता विज्ञप्ति जारी करना वास्तव में काफी उत्साहवर्धक है। इस वर्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा चुनी गई प्रसंग "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" राष्ट्र निर्माण के व्यापक स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा भ्रष्ट आचरण को "नहीं" कहने के एक छोटे से कदम के रूप में सूक्ष्म स्तर के योगदान के महत्व को देखते हुए प्रासंगिक है।

भारतीय रेलवे, अपनी व्यापक पहुंच और प्रभाव के साथ, लाखों लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, यह जरूरी है कि इसमें पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही के उच्चतम मानक शामिल हों। मैं सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखने में दृढ़ विश्वास रखता हूं और कार्यस्थल के भीतर प्रणालियों को आगे बढ़ाने, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को नवीन करने के लिए लगातार प्रयास करता हूं। यह बदले में हमारे पेशेवर विकास को बढ़ावा देता है और एक ऐसे उद्देश्य में योगदान देता है जो न केवल हमारे देश की भलाई के लिए सर्वोपरि है, बल्कि हमारे देश की जीवन रेखाओं में से एक - भारतीय रेलवे की अखंडता और दक्षता के लिए भी केंद्रीय है। भ्रष्टाचार, अपने सभी रूपों में, हमारे समाज के ढांचे के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, प्रगति में बाधा डालता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारे आदर्शों को धूमिल करता है। साथी कर्मचारियों/नागरिकों द्वारा भ्रष्टाचार को ना कहने का मंत्र केवल एक नैतिक रुख नहीं है; यह हमारे राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता है। आत्म-जागरूकता और प्रतिबद्धता के माध्यम से सतर्कता हमारे जीवन के हर पहलू में पारदर्शिता और निष्पक्षता की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक है।

इस विज्ञप्ति के माध्यम से हम पूर्वोक्त सीमांत रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा किए गए अभिनव और दृढ़ प्रयासों का पता लगाएंगे। रेलवे टिकट घोटालों से लेकर अनुबंध अनियमितताओं तक भ्रष्टाचार की बहुमुखी प्रकृति और संगठन पर इन प्रथाओं के प्रतिकूल परिणामों से निपटने में लगा हुआ है। इसके अलावा टीम ने उन क्षेत्रों में जाकर उन अनियमितताओं का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनसे भारतीय रेलवे को काफी वित्तीय नुकसान हुआ था, जो आमतौर पर अछूते रह जाते थे। इसका उद्देश्य यह है कि बुलेटिन में हाइलाइट किए गए केस अध्ययन, सिस्टम सुधार के लिए सुझाव, महत्वपूर्ण परिपत्र, क्या करें और क्या न करें आदि हमारे साथी कर्मचारियों को सही प्रथाओं, आधिकारिक कामकाज में पारदर्शिता, सही और समय पर निर्णय पर अधिकारियों को शिक्षित और संवेदनशील बनाकर लाभान्वित करेंगे। मौजूदा नियमों और विनियमों पर विधिवत विचार करना और ईमानदारी और निडरता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनकी सहायता करना।

मुझे आशा है कि यह विज्ञप्ति उपयोगी होगा और रेलवे कर्मचारी इसे रुचि के साथ पढ़ेंगे। आइए, भ्रष्टाचार को "ना" कहने और भारतीय रेलवे तथा संपूर्ण राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होने की इस सामूहिक यात्रा पर निकलें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह विश्वास, अखंडता और सेवा का प्रतीक बना रहे।

(राजीव महाजन)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य
सतर्कता अधिकारी

वर्षिय वस्तु

पृष्ठ सं

1. सतरकता एवं सतरकता दृष्टिकोण
2. सहमत सूची/गुप्त सूची
3. पीआईडीपीआई
4. मामले का अध्ययन
5. ससिटम सुधार के लिए सुझाव
6. व्यापक संपर्क क्षेत्रों में जाँच
7. महत्वपूर्ण परपितर जारी
8. थ्रस्ट क्षेत्र
9. करने योग्य न करने योग्य
10. कवतिआँ, लेख

सतर्कता क्या है?

“सतर्कता” को जागरूकता/सावधानी/एहतियात के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रशासन के संदर्भ में, सतर्कता सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और अखंडता बनाए रखने का प्रतीक है। यह अनिवार्य रूप से एक प्रबंधन कार्य है जिसका उद्देश्य लोक सेवक द्वारा मामलों का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना है। सतर्कता संगठन का उद्देश्य ईमानदारी की रक्षा करना और भ्रष्टों को दंडित करना है।

सतर्कता दृष्टिकोण क्या है?

सीवीसी उन मामलों में सलाह देता है जिनमें सतर्कता का पहलू शामिल होता है। इसने सतर्कता दृष्टिकोण को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है;

- किसी आधिकारिक कार्य के संबंध में या किसी अन्य अधिकारी के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य संतुष्टि की मांग करना और/या स्वीकार करना।
- किसी भी मूल्यवान वस्तु को, बिना विचार किए या अपर्याप्त विचार के, उस व्यक्ति से प्राप्त करना जिसके साथ उसका आधिकारिक व्यवहार होने की संभावना है, या जिसके साथ उसके अधीनस्थों का आधिकारिक व्यवहार है या जहां वह प्रभाव डाल सकता है।
- अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना।
- आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का होना।
- गबन, जालसाजी या धोखाधड़ी या अन्य समान आपराधिक अपराधों के मामले।

हालाँकि, अन्य अनियमितताएँ भी हैं जहाँ परिस्थितियों को ध्यान से देखना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि अधिकारी की ईमानदारी संदेह में है या नहीं। बड़ी या जानबूझकर की गई लापरवाही, निर्णय लेने में लापरवाही, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन, अत्यधिक विवेक का प्रयोग, जहां कोई प्रत्यक्ष/सार्वजनिक हित स्पष्ट नहीं है; नियंत्रण प्राधिकारी/वरिष्ठों को समय पर सूचित रखने में विफलता। ये कुछ

अनियमितताएं हैं जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी की मदद से मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और परिस्थितियों का आकलन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या संबंधित अधिकारी की ईमानदारी पर संदेह करने का उचित आधार है।



जिसने अन्यायपूर्वक धन इक्कट्टा किया
है और अकड़ कर सदा सर को उठाए
रखा है, ऐसे व्यक्तिसे सर्वदा दूर रहो।
एसे लोग स्वयं पर भी बोझ होते हैं, इन्हें
शांति कहीं नहीं मिलता।

रवींद्रनाथ टैगोर ने हमें लालच से
दूर रहने के प्रति आगाह किया था,
क्योंकि यह हमें सच का एहसास नहीं होने देता।
भ्रष्टाचार से लड़ना हमारी
जनता के प्रति हमारा पवित्र कर्तव्य है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सहमत सूची/गोपनीय सूची

322.1 भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों में से एक संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले लोक सेवकों की गतिविधियों पर निगरानी रखना है। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार रेलवे बोर्ड सतर्कता द्वारा प्रति वर्ष दो सूचियाँ अर्थात् 'सहमत सूची' और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले राजपत्रित स्थिति वाले लोक सेवकों की सूची जिन्हें 'गुप्त सूची' भी कहा जाता है तैयार की जाती है।

गुप्त सूची

322.2 गुप्त सूची इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के आलोक में तैयार की जाती है

- क. अधिकारियों कोई मानदारी की कमी के आरोप में यानैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए अदालत में दोषी ठहराया गया है, लेकिन जिन पर असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य जुर्माना लगाया जाता है।
- ख. अधिकारियों को विभागीय तौर पर बड़ा जुर्माना दिया गया:
 - i. सत्य निष्ठा की कमी के आरोप में या
 - ii. सरकार के हितों की रक्षा में कर्तव्य की घोर लापरवाही के आरोप पर, हालांकि भ्रष्ट उद्देश्य साबित करने में सक्षम नहीं हो सकता है; या
- ग. वे अधिकारी जिनके विरुद्ध ईमानदारी की कमी यानैतिक अधमता से जुड़े कथित कृत्यों के लिए बड़े दंडया अदालती मुकदमे की कार्यवाही चल रही है; या
- घ. जिन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया लेकिन तकनीकी आधार पर बरीकर दिया गया और जिनके मामले में मुकदमे के दौरान सबूतों के आधार पर उनकी ईमानदारी के खिलाफ उचित संदेह बना रहा।

सहमत सूची

322.6 सहमत सूची हर साल सीबीआई के परामर्श से तैयार की जाती है और इसमें ऐसे अधिकारियों के नाम शामिल होते हैं जिनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सवाल के घेरे में होती है।

(आईआरवीएम 2018 से शब्दशः पुनरुत्पादित)

पीआईडीपीआई

504.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 अप्रैल, 2004 का संकल्प संख्या 89, जिसे आमतौर पर जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 के रूप में जाना जाता है, एक ऐसे तंत्र की परिकल्पना करता है जिसके द्वारा एक शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करके सीटी बजा सकता है और अपने खिलाफ सुरक्षा भी मांग सकता है। ऐसा करने के लिए उत्पीड़न. केंद्रीय सतर्कता आयोग और मंत्रालय या विभाग के सीवीओ पीआईडीपीआई संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर से शिकायतें प्राप्त करने के लिए नामित एजेंसी हैं।

504.2 पीआईडीपीआई संकल्प के तहत आयोग से प्राप्त शिकायतों को सीवीओ द्वारा वास्तविकता के लिए सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीआईडीपीआई संकल्प के तहत शिकायत प्राप्त होने पर आयोग में सत्यापन/पुष्टि की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसलिए आयोग से इनकी प्राप्ति पर मु.सत.अधि. से जांच कराई जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर तुरंत पंजीकृत मानी जाएंगी। विभाग को संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी।

504.3 उपरोक्त संकल्प के अनुसरण में, सीवीसी ने शिकायतों की प्राप्ति से संबंधित निम्नलिखित सार्वजनिक दिशानिर्देश जारी किए थे: -

- i) शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
- ii) लिफाफे को सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित किया जाना चाहिए और उस पर "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए। यदि लिफाफे पर ऊपर लिखा और बंद नहीं किया गया है तो आयोग के लिए उपरोक्त समाधान के तहत शिकायतकर्ता की रक्षा करना संभव नहीं होगा और शिकायत को आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार निपटाया जाएगा। शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में देना चाहिए।
- iii) आयोग गुमनाम/छद्मनाम शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।

- iv) शिकायत का पाठ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसकी पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न मिले। हालाँकि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।
- v) व्यक्ति की पहचान की रक्षा के लिए, आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा और मुखबिरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आयोग के साथ कोई और पत्राचार न करें। आयोग आश्वासन देता है कि, मामले के तथ्यों के सत्यापन योग्य होने के अधीन; यह ऊपर उल्लिखित संकल्प के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, तो आयोग शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा।

(आईआरवीएम 2018 से शब्दशः पुनरुत्पादित)



**सर्व कानून बनाओ,
भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाओ**

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पिडपी)



पिडपी क्या है ?

- पिडपी भारत सरकार का एक संकल्प है।
- इसके अंतर्गत दर्ज की गई सभी शिकायतों के शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

पिडपी शिकायत कैसे की जाती है ?

- सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत भेजी जाए और लिफाफे पर "पिडपी" लिखा होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं लिखा होना चाहिए अपितु बंद लिफाफे के अंदर पत्र में होना चाहिए।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश

- जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनमें पहचान प्रकट हो सकती है।
- शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए।
- शिकायत में पहचान प्रकट करने वाले दस्तावेज़ संलग्न नहीं करने चाहिए अथवा उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए जैसे: आर.टी.आई के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज़।
- लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता पुष्टि के प्रयोजन से लिखा होना चाहिए।
- जिन शिकायतों की पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- अनाम/छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए
<https://www.cvc.gov.in>
 को देख सकते हैं।



मामले का अध्ययन

1. स्टेशन की आय के प्रेषण में अनियमितताएँ

निवारक जांच के दौरान, तिनसुकिया मंडल के अंतर्गत मोरनहाट (एमआरएचटी) स्टेशन की स्टेशन आय के प्रेषण में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। संबंधित स्टेशन मास्टर/एमआरएचटी ने 3 वर्षों से अधिक समय तक 'नॉन रेमिटेंस', 'शर्ट रेमिटेंस' और 'लेट रेमिटेंस' के माध्यम से स्टेशन की आय का दुरुपयोग किया। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और धन मूल्य पुस्तकें जैसे डीटीसी कम सार बुक, कैश रेमिटेंस नोट, ट्रेजरी रेमिटेंस नोट आदि स्टेशन मास्टर/एमआरएचटी द्वारा छिपाए गए थे। हेराफेरी/'नॉन रेमिटेंस' की राशि 2.14 करोड़ रुपये आंकी गई। (लगभग।)। जांच के आधार पर उन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय की गई है जो मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। 2 बड़े, 4 छोटे, 2 आर/चेतावनी और 1 चेतावनी के लिए आरोप पत्र जारी किए गए हैं।

2. पट्टे पर दिए गए पार्सल स्थान में अत्यधिक लोडिंग

निवारक जांच के दौरान, पट्टे पर दिए गए पार्सल स्थानों में अक्सर भारी मात्रा में अतिरिक्त लोडिंग का पता चलता है। लीज संचालक अपनी क्षमता से अधिक लीज एसएलआर में पार्सल खेप लोड करते हैं। इतनी अधिक लोडिंग ट्रेन की सुरक्षा से जुड़ी है। इसके परिणामस्वरूप रेलवे राजस्व का नुकसान होता है। अतिरिक्त लोडिंग का पता चलने पर, व्यापक पार्सल लीजिंग नीति और लीजधारक के साथ निष्पादित अनुबंध समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए संबंधित रेलवे के साथ मामला उठाया जाता है। जोनल विजिलेंस, पू.सी.रेल द्वारा हाल ही में पकड़े गए ओवरलोडिंग के कुछ मामले इस प्रकार हैं-

3. बीपीटी का हेरफेर

निवारक जांच के दौरान रंगिया मंडल के एसबीई (सोरभोग) स्टेशन के यूटीएस काउंटर पर बीपीटी बुक के गलत प्रबंधन से संबंधित अनियमितताएं पाई गईं। संबंधित कर्मचारियों ने दो तरफा कार्बन का उपयोग किए बिना 39 बीपीटी जारी किए जो कि भारतीय रेलवे वाणिज्यिक मैनुअल वॉल्यूम के पैरा 210 (सी) का उल्लंघन था। 1. इस तत्काल मामले में, 32 बीपीटी के रिकॉर्ड फ़ॉइल में पेन का

उपयोग किया गया था। बीपीटी फ़ॉइल का निपटान अनुचित तरीके से किया गया

ट्रेन नं.	अतिरिक्त वजन (किलोग्राम में)	प्राप्त राशि (रुपये में)
12515	1,500	66,573/-
15667	1,755	75,957/-
20502	1,900	84,844/-
15622	1,443	52,916/-
12424	1,571	81,190/-
14620	1,552	73,090/-
13173	1,500	62,235/-

था। मूल फ़ॉइल के गलत निपटान के बाद संबंधित कर्मचारी को निपटान के लिए बीपीटी फ़ॉइल की स्कैनिंग में शामिल किया गया था। उसने मुद्रित संख्याओं को बदलने के लिए सफेद कागज/कलम का उपयोग करके कई बीपीटी में हेरफेर किया था। संबंधित स्टाफ पर बड़ा जुर्माना लगाया गया है।

4. सामान के वजन में अनियमितता

ईआईएमडब्ल्यूबी/एनजीसी में निवारक जांच के दौरान, माल रेक जिसे एनसीएच में भारित किया गया था और उस पर उतार दिया गया था, उसे फिर से ईआईएमडब्ल्यूबी/एनजीसी में भारित किया गया था। एनजीसी में दोबारा वजन करने के बाद, उन्हीं 28 वैगनों में फिर से अधिक वजन पाया गया, जो पहले ही एनसीएच में उतारने के लिए जा चुके थे। तदनुसार, एनजीसी पर फिर से उतराई की गई और गंतव्य स्टेशन यानी केएचएम को अंडरचार्ज वसूलने की सलाह दी गई। दिनांक 14.02.23 का एमआर नंबर- केएचएम/2023/00031 द्वारा दंडात्मक शुल्क डिलीवरी से पहले डिटेंशन चार्ज अंडर चार्ज राशि 31,22,807/- रु. केएचएम में एकत्र किया गया था। एनसीएच के सीजीएस को मामूली जुर्माना लगाया गया है।

5. टीटीई द्वारा ड्यूटी के लिए साइन-इन-साइन-ऑफ में अनियमितताएं पाई गईं

जबकि कटिहार मंडल में एक मैनुअल साइन-इन/साइन-ऑफ रजिस्टर बनाए रखा गया था, यह पाया गया कि कुछ टीटीई शारीरिक रूप से ट्रेन में चढ़े बिना रजिस्टर में साइन-इन/साइन-ऑफ कर रहे थे। हस्ताक्षर के समय भी वे संबंधित रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। संबंधित टीटीई उस भौतिक अवधि के लिए सीटीए (समग्र यात्रा भत्ता) का भी लाभ उठा रहे थे, जिसमें उन्होंने अपना ड्यूटी नहीं निभाया था। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए, रेलवे बोर्ड को बायोमेट्रिक साइन-इन साइन-ऑफ के लिए सिस्टम में सुधार का सुझाव दिया गया था जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

6. तत्काल टिकट जारी करने में अनियमितताएं

यूटीएस सह पीआरएस में आयोजित एक निवारक जांच के दौरान ऑन ड्यूटी काउंटर स्टाफ ने 61,590/- रु सरकारी नकद के रूप में रखे जोकि (यूटीएस और पीआरएस संयुक्त) डीटीएस समरी पीआरएस एवं यूटीएस इमिडिएट समरी में दिखाए गए कुल 89,765/- रुपए होते हैं अर्थात कुल 28,175/- रुपए (अट्ठाईस हजार एक सौ पचहत्तर) की सरकारी नकदी की कमी दिखाई दी। इन्होंने मांक क्रम सं., पीएनआर नंबर, बर्थ/सीट सं. के बिना और राशि एकत्र किए बिना आधिकारिक प्रयोग के लिए प्रदान की गई मांग पर्ची पर हस्ताक्षर किए बिना बैंक टू बैंक 03 तत्काल टिकट जारी किए। उन्होंने रेलवे का बकाया जमा नहीं किया। इसके अलावा, तत्काल टिकट संक्षिप्त नामों से जारी किए गए थे। यूटीएस सह पीआरएस के प्रभारी ने अपनी व्यक्तिगत नकदी की घोषणा नहीं की, परंतु जब सतर्कता टीम ने उनसे अपनी पर्सनल कैस दिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने 13,325/- रुपये पेश किए जो रेलवे खाते से जोड़े गए थे। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी और छोटी शास्ति डी एंड एआर कार्यवाही और स्थानांतरण जैसी कार्रवाई शुरू की गई।

7. टिकट चेकिंग स्टाफ का असहयोग

जोनल विजिलेंस/पू.सी.रेल द्वारा निवारक जांच के दौरान, ड्यूटी पर टिकट चेकिंग स्टाफ ने सतर्कता जांच से बचने के लिए प्लेटफॉर्म पर भागने की कोशिश की।

कहा कि टिकट चेकिंग स्टाफ को रे.सु.ब. की मदद से पूछताछ कार्यालय लाया गया। पूछताछ कार्यालय में उसने रे.सु.ब. की मौजूदगी में ऑन ड्यूटी पूछताछ स्टाफ को जबरदस्ती कुछ बेहिसाबी रकम सौंप दी। बरामदगी पर रु. रे.सु.ब., पूछताछ स्टाफ और सतर्कता जांच से जुड़े अन्य लोगों की मौजूदगी में 6980/- रुपये की गिनती की गई। कहा कि चेकिंग स्टाफ ने रकम भेजने से भी इनकार कर दिया। तदनुसार, राशि दूसरे चेकिंग स्टाफ के माध्यम से भेजी गई। यहां तक कि उन्होंने कैश डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से भी इनकार कर दिया। सतर्कता टीम द्वारा तैयार किए गए चेक मेमोरैंडम में उन्होंने 'बलपूर्वक हस्ताक्षर' जैसी टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर किए। सरकारी नकदी और निजी नकदी में भी अनियमितता का भी पता चला है। सतर्कता जांच के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ सहयोग नहीं कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि उसने सतर्कता जांच से भागने की कोशिश की और इसके बाद ड्यूटी पर मौजूद रे.सु.ब कर्मचारी को बुलाया गया। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और कई मौकों पर उनके बयान विरोधाभासी और मनमर्जी जैसे थे। अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने जैसा पूछा गया, वैसा उत्तर नहीं दिया क्योंकि उन्होंने सतर्कता जांच की पूरी प्रक्रिया को गलत बताया। हालाँकि, सतर्कता जांच से जुड़े अधिकारियों के पास यह साबित करने के लिए पूरे सबूत थे कि उन्होंने साफ़ झूठ बोला था। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि वह 35 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ निलंबन, प्रमुख दंड डी एंड एआर कार्यवाही और स्थानांतरण जैसी कार्रवाई शुरू की गई।

8. सतर्कता से संबंधित डी एंड एआर मामलों में सजा लगाने में अनियमितताएं

एक निवारक जांच के दौरान यह पता चला कि यद्यपि लामडिंग मंडल के 19 (उन्नीस) कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड (एसआर) प्रविष्टि सतर्कता से संबंधित डी एंड एआर मामलों में की गई थी, लेकिन एनआईपी के अनुसार वेतन से कटौती नहीं की गई थी। लामडिंग मंडल के एक सतर्कता संबंधी मामले में, एनआईपी जारी किया गया था लेकिन इसे न तो सेवा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और न ही वेतन बिल से कोई कटौती की गई थी। कई सेवा रिकॉर्ड में काटना और मिटाना जैसी

प्रविष्टियाँ पायी गयी। कुल 05 जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ प्रमुख जुर्माना डी एंड एआर कार्रवाई शुरू की गई और मंडल को एनआईपी के अनुसार देय राशि वसूलने की सलाह दी गई।

9. एक स्टेशन यार्ड में एक स्पर/अतिरिक्त लाइन के निर्माण के लिए एक संविदात्मक कार्य के निष्पादन में बढ़ी हुई माप और अधिक भुगतान।

अनुमोदित योजना के अनुसार, 300 मिमी मोटाई की कंबल परत के प्रावधान के साथ एक नई स्पर लाइन के लिए तटबंध का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। तटबंध के निर्माण के साथ-साथ ट्रैक कार्य के लिए भी एक ठेका दिया गया था। जांच के दौरान, यह पाया गया कि मिट्टी के काम और गिट्टी के बीच तटबंध के शीर्ष पर खदान की धूल प्रदान की गई थी और भुगतान दो मर्दों के लिए किया गया था, अर्थात् (i) "समेकन आदि सहित खदान धूल की आपूर्ति और बिछाने (यूएसएसओआर-222030)" और (ii) "नए/पुराने तटबंध पर कंबलिंग सामग्री (जीई-1 या जीईआईआरएस-2 के अनुसार प्राकृतिक या यांत्रिक रूप से तैयार) बिछाना और फैलाना/विनिर्देशों के अनुसार डिज़ाइन किए गए प्रोफ़ाइल का तटबंध बनाने के लिए ढीली अवस्था में 30 सेमी की परतों में काटना (यूएसएसओआर-013150)", जबकि खदान धूल की वस्तु में स्पष्ट रूप से बिछाने, संघनन आदि की दर शामिल है। इसके अलावा, जांच के दौरान खदान धूल की औसत मोटाई 300 मिमी की दर्ज और भुगतान की गई मोटाई के मुकाबले लगभग 246 मिमी पाई गई है। यह भी देखा गया है कि यद्यपि मिट्टी के काम का प्रारंभिक और अंतिम स्तर (खदान की धूल का प्रारंभिक स्तर) लिया गया था, लेकिन खदान की धूल का अंतिम स्तर लिए बिना ही गिट्टी का काम किया गया था। संबंधित सहा. मंडल इंजी. ने किसी भी स्तर पर निर्दिष्ट परीक्षण जांच नहीं की थी। इन सभी चूकों के कारण अंततः माप में वृद्धि हुई और ठेकेदार को अधिक भुगतान करना पड़ा।

10. एक प्रमुख एनएस वस्तु के विरुद्ध अनुचित अनुमान और उचित औचित्य दर्ज किए बिना बहुत अधिक मूल्य पर दर की स्वीकृति।

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमानित दर मंडल/रेलवे में अंतिम स्वीकृत दरों (एलएआर) के आधार पर तय की जानी चाहिए। एलएआर की अनुपस्थिति

में, बाजार सर्वेक्षण के आधार पर विश्लेषण की गई दरें प्राप्त की जानी चाहिए। इंजीनियरिंग कोड का पैरा 726 ओपन लाइन कार्यों के लिए अनुमानों में दरों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है जब किसी कार्य या विवरण का अनुमान लगाया जाता है जो पहले मंडल में निष्पादित नहीं हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिपोर्ट में एक विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए जिसमें यह दर्शाया जाए कि अनुमान में प्रदान की गई दरें किस प्रकार निकाली जाती हैं।

एक निविदा मामले में, यह पाया गया कि एनएस मद का योगदान "सभी आकार के वाल्व के वाल्व स्वचालन प्रणाली की डिजाइनिंग, आपूर्ति और स्थापना, मॉड्यूलेटिंग एप्लिकेशन के लिए, अनुकूलित / विशेष एप्लिकेशन / रिमोट संचालित शट-ऑफ वाल्व को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है और प्रभारी अभियंता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के निर्देशानुसार फिल्टर प्लांट का पूर्ण स्वचालन अनुमानित मूल्य (लगभग 9.41 करोड़) का 10.20% है। इस मद के कार्य के लिए बिना किसी दर विश्लेषण के अनुमानित दर एकमुश्त राशि के रूप में ली गई थी। यह भी पाया गया कि निविदा समिति ने इस मद के विरुद्ध दर (अनुमानित दर से 24% अधिक) स्वीकार करते समय दर्ज किया कि यह मद वाल्व प्रणाली के स्वचालन के लिए मंडल में पहली बार संचालित की जा रही है, इसलिए दर स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार, रेलवे बोर्ड के दिनांक 17-09-1997 का पत्र संख्या 94/सीई आई/सीटी/4 द्वारा प्रसारित दिशानिर्देश का पालन किए बिना बहुत अधिक दर (अनुमानित दर से 24% अधिक) स्वीकार कर ली गई। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दरों की तर्कसंगतता का आकलन निविदा समिति द्वारा विस्तार से किया जाना चाहिए।

11. गर्डर के दोषपूर्ण निर्माण के कारण अधिरचना की अस्वीकृति

पुल संख्या के वेल फाउंडेशन पर सबस्ट्रक्चर और ओपन वेब स्टील गर्डर 190 (247) (9x45.7) मीटर 45.81 ₹ करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य दिनांक 03.05.2009 को शुरू किया गया तथा दिनांक 31.05.2013 को पूरा किया गया। स्टील गर्डर्स का निर्माण मेसर्स अर्जुन कंसोर्टियम (एओपी/जेवी), एलआरपी चौक, सबोदंगी, पोस्ट-भरतपुर, चौकी-सुखानी, जिला-किशनगंज (बिहार) की कार्यशाला

में किया गया था।

निर्माण के लिए सामग्री SAIL द्वारा निर्मित की गई थी और IS:2062 के अनुसार आवश्यक विशिष्टताओं को पूरा करती थी। सामग्रियों का परीक्षण सरकार द्वारा पंजीकृत प्रयोगशाला में भी किया गया और परीक्षण रिपोर्ट की जांच की गई और आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित किया गया।

गर्डर के पूर्ण निर्माण और रिवेटिंग के बाद ओपन लाइन के ब्रिज निरीक्षण सेल द्वारा निर्माण संगठन के प्रतिनिधियों के साथ सुपरस्ट्रक्चर का गहन निरीक्षण किया गया और दिनांक 09.09.2013 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

सितंबर 2013 में किए गए प्रारंभिक निरीक्षण में एक्सईएन/बीआर/इंस्पेक्टर/मालीगांव की रिपोर्ट के अनुसार रेसिडुवल केंबर को संतोषजनक सीमा के भीतर दर्शाया गया है।

दिनांक 27.10.2021 को मुइंजी./नि./न्यू-जलपाईगुड़ी ने बताया कि 9 स्पैन में से 2 स्पैन में -

- I. नेगेटिव केंबर और शेष में रेसिडुवल केंबर की कमी है।
- II. गर्डर के यू/एस और डी/एस साइड में क्रॉस लेवल का अंतर देखा गया।
- III. गर्डर्स में पार्श्विक विकृति देखी गई।
- IV. इस्पात संरचनाओं, रिवेट्स में गंभीर गड्ढे और जंग देखी गई।
- V. प्लेटों और सदस्यों के बीच पाए गए अंतराल को चिपके हुए पदार्थों से भरा हुआ पाया गया।
- VI. गर्डरों के निर्माण और निर्माण में गंभीर खामी और काम के निष्पादन में शामिल रेलवे अधिकारियों की ओर से निगरानी की कमी भी।

2013 के दौरान निरीक्षण में पाए गए रेसिडुवल केंबर रीडिंग अनुमेय सीमा के भीतर थे, लेकिन 2021 में किए गए निरीक्षण के दौरान किसी भी सुपरइम्पोज़्ड लोड की अनुपस्थिति में भी रेसिडुवल केंबर रीडिंग में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई दिया।

WPQR के अनुमोदन के लिए रिकॉर्ड नहीं मिला, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू

था, जहां वेल्डिंग और योग्यता प्रमाण पत्र का आवश्यक ज्ञान रखने वाले अनुभवी वेल्डर के रिकॉर्ड को निर्माण के काम में नियोजित किया गया था।

इस्पात कार्य की विशेष विशिष्टताओं के अनुसार, "किसी भी वेल्डिंग ऑपरेटर को काम पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आरडीएसओ की उपस्थिति में प्रासंगिक विशिष्टताओं में निर्धारित उचित परीक्षण पास नहीं कर लेता।" लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके कि उपर्युक्त शर्त पूरी की गई है।

कार्य में अनुमोदित संरचनात्मक और निर्माण (शॉप) ड्राइंग के आधार पर कोई विस्तृत लॉन्चिंग/निर्माण योजना का उपयोग नहीं किया गया था, जो सलाहकार से विधिवत अनुमोदित और प्रमाण की जांच की गई थी और इंजीनियर से अनुमोदित थी।

वर्ष 2022 में पुल के सुपरस्ट्रक्चर के अंतिम निरीक्षण के दौरान कैंबर की कमियां अनुमेय सीमा से अधिक पाई गईं, साथ ही गर्डर में क्रॉस-लेवल अंतर और विकृतियों ने नवनिर्मित सुपरस्ट्रक्चर को चालू करने के लिए अयोग्य बना दिया है। ऐसे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पुराने पुल को तोड़कर पुल के नए सुपरस्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को 38.77 करोड़ रुपये की हानि साथ-साथ परियोजना में भी विलम्ब हुआ है।

12. एनआईटी/टीडी में विशेष पात्रता मानदंड शामिल करते समय अनियमितताएं

"कार्यों की समान प्रकृति" को ओपन लाइन पर पीएचओडी द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और जोनल रेलवे के निर्माण संगठन पर मुख्य इंजी./मु.सिग.एवं दूरसंचार इंजी./मु.बि.इंजी. को नामित किया जाना चाहिए।

विशिष्ट प्रकृति के कार्य के लिए अनुबंध बुलाने/देने से संबंधित सतर्कता जांच के दौरान, यह देखा गया कि पीएचओडी की मंजूरी के बिना समान प्रकृति के कार्य के साथ एनआईटी/टीडी में विशेष तकनीकी मानदंड/शर्तें प्रकृति और खुली निविदा की शर्त के विरुद्ध शामिल की गईं, जो प्रतिबंधात्मक थीं।

13. अनुबंधों को बंद करने में अनियमितताएं पाई गईं

वर्ष 2023 के थ्रस्ट एरिया के हिस्से के रूप में “पुराने और समाप्त अनुबंध पर शिकायतों के साथ अनुबंध के तार्किक निष्कर्ष पर जोर देने के साथ-साथ बंद होने के लिए लंबित अनुबंधों की समीक्षा” की जांच करने के लिए निर्माण संगठन के तहत एक फील्ड यूनिट (संबंधित उम मु. इंजी./नि.) में एक निवारक जांच आयोजित की गई थी।

जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित यूनिट में 48 सक्रिय सीए हैं। सीए के इन 48 में से 31 सीए का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष 17 सीए का कार्य प्रगति पर है।

कार्य वर्ष 2009 जितना पुराना था। कार्य 2018 में पूरा हुआ। अंतिम बिल 2023 तक लंबित है।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि कार्य पूरा होने की तारीख के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव देने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे मंजूरी देने में कार्यकारी की ओर से चूक हुई, बकाया चुकाने के लिए बिल की तैयारी और प्रसंस्करण में असामान्य देरी हुई। सीए के खिलाफ बकाया चुकाने के लिए एफआरसीसी जारी करने के संबंध में राज्य वन विभाग के साथ लंबे समय तक संवाद नहीं हो पाई है।

14. उच्च दर पर नॉन-स्टॉक की खरीद

निवारक जांच के दौरान, यह देखा गया कि “शताब्दी कोच के लिए रोलर ब्लाइंड” की खरीद के लिए इस मद के लिए स्थानीय गैर-विनिर्माण फर्मों (जिन्होंने कभी भी इसकी आपूर्ति कहीं नहीं की थी) से बजटीय कोटेशन के आधार पर काफी हाई दर पर एक नॉन स्टॉक मांग तैयार की गई थी, हालाँकि यह वस्तु अन्य डिपो में स्टॉक वस्तु थी और सीओएस/एमएलजी कार्यालय वर्ष 2015 से इस वस्तु की खरीद कर रहा था।

उक्त एनएस मांग मांगकर्ता अधिकारी द्वारा शुरू की गई थी, जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और अनुमोदन किया गया था। चूंकि यह वस्तु अर्थात “शताब्दी कोच के लिए रोलर ब्लाइंड” पहले से ही खरीदा जा रहा था और भारतीय रेलवे के साथ-साथ पू.सी.रेल के अन्य डिपो में भी इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए मांग शुरू करते समय इस वस्तु की वास्तविक और उचित दर का आसानी से पता लगाया जा सकता था दर को अंतिम रूप देने से पहले अन्य

डिपो और रेलवे में आईआरईपीएस पर दोबारा जांच की जानी चाहिए थी। लेकिन, इंडेंटिंग अधिकारी ऐसा करने में विफल रहे थे। इसके बजाय इस मद के लिए स्थानीय फर्मों से बजटीय कोटेशन के आधार पर असामान्य रूप से बहुत अधिक दर पर मांग शुरू की गई, जिन्होंने पहले कभी इस मद की आपूर्ति नहीं की थी। और निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी ने भी फर्म से प्राप्त बजटीय कोटेशन के आधार पर उच्च दर को स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप अंततः उच्च दर पर वस्तु की खरीद हुई।

15. औषधि विश्लेषण परीक्षण में सब स्टैंडर्ड औषधियाँ पाई गई और सर्ट शेल्फ लाइफ के साथ लंबित पाई गई तथा बदला नहीं गया :-

खेप पर आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त वार्षिक मांगपत्र के अनुसार कंसाइनी द्वारा दवाओं के वर्ग/श्रेणी के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली दवाएं के संबंध में पू.सी.रेल के अधिकांश रेलवे अस्पतालों में सतर्कता जांच की गई और इस संबंध में पाया गया कि नमूने समय पर यानी मासिक कोटा के आधार पर प्रयोगशालाओं/प्राइवेट/सरकार को नहीं भेजे जाते हैं, जैसा कि परीक्षण के लिए प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/पू.सी.रेल द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है।

हालाँकि, दवाएँ हर छह महीने में एक बार थोक में परीक्षण के लिए भेजी जाती हैं और इसकी रिपोर्ट (घटिया/सामान्य) समय पर प्रयोगशालाओं/प्राइवेट/सरकारी द्वारा नहीं भेजी गई है और न ही नियत समय में कंसाइनियों द्वारा यानी उक्त बैच के विषय स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर एकत्र की गई है।

- i. इसके अलावा, कई मामलों में, यह देखा गया है कि जहां प्रयोगशालाओं में दवा विश्लेषण में कई दवाओं के नमूने घटिया पाए जाते हैं और दवा मानक के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं को पूरे बैच को दूसरे बैच से निःशुल्क नहीं बदला जाता है। और ऐसी दवाओं के मूल्य जिन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया गया है , प्रस्तावित के अनुसार लगभग ₹ 33.17 लाख पाए गए और लगभग ₹ 10.0 लाख की वसूली की गई और शेष प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/पू.सी.रेल के कार्यालय में देय और प्रक्रियाधीन है।
- ii. सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही बैच की दवा एक ही अस्पताल से

सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजी गई थी, लेकिन रिपोर्ट में दवाएँ मानक गुणवत्ता की पाई गई, लेकिन उसी बैच की दवाएँ दूसरे अस्पताल से निजी प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजी गई, जहाँ एक ही बैच की दवाएँ सब-स्टैंडर्ड (घटिया) पाई गई।

- iii. एक अन्य मामले में यह देखा गया है कि शर्ट शेल्फ लाइफ के लिए आपूर्ति की गई दवाएं अप्रयुक्त पड़ी हैं और उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया गया है और उन दवाओं की लागत लगभग ₹ 10,66,581.00 है, लगभग ₹ 1.0 लाख को प्रतिस्थापित / जमा किया गया है और शेष अभी भी लंबित है। दवाओं की शेल्फ लाइफ के खिलाफ जो कि रेलवे बोर्ड के निर्देशों के साथ-साथ प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/पू.सी.रेल के संशोधन आदेशों के प्रावधानों के खिलाफ है। कम अवधि की समाप्ति के कारण दवाओं की शेल्फ लाइफ की आपूर्ति बिना उपभोग के रह जाती है, जिसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वापस नहीं लिया जाता है या प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, भले ही उन्होंने (फर्मों ने) अंडरटेकिंग किया हो।

16. एक पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रिस्क्रिप्शन, सिक और फिट प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करना और लिखने का मुद्दा :

रेलवे कर्मचारियों के प्रिस्क्रिप्शन, सिक और फिट प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने और लिखने के संबंध में निवारक सतर्कता जांच के संबंध में यह देखा गया है कि फार्मासिस्ट कदाचार कर रहा है, फार्मासिस्ट अपनी पद से ऊपर जाकर अपनी क्षमता से अधिक पावर का प्रयोग कर रहा है तथा रेलवे डॉक्टर की ड्यूटी वाली दायित्व को खुद ही सिक-फिट प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर कर जारी करके का काम कर रहा है तथा इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को प्रिस्क्रिप्शन भी लिख रहा है। सिक फिट केस को आईआरएमएम-2000 में निर्धारित निर्देशों के अनुसार नहीं निपटाया गया है। इस मामले में चार्ज पदाधिकारी के विरुद्ध माइनर पेनाल्टी की कार्यवाही की अनुशंसा की गयी तथा कार्रवाई के लिए डीए को पत्र भेजा गया।

17. सेवा अनुबंध के लिए जेम टेंडर में अनियमितताएं:

सतर्कता जांच में शिकायत से उत्पन्न एक 02 सफाईवाला पदों की रिक्ति थी,

सफ़ाईवाला ने “संग्रह और निपटान अपशिष्ट प्रबंधन सेवा-संग्रह, उठाने, परिवहन, उतराई, कचरे को अलग करना, निपटान के तरीके” के लिए बीस (20) श्रमिकों के लिए प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तावित किया; सूखा अपशिष्ट उठाने के लिए। हालाँकि, सफ़ाईवाला (HKA) के केवल 02 पद रिक्त थे। इसके अलावा प्रस्ताव एमएसओपी-2018 में निर्दिष्ट के अलावा प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था, अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी मंडल रेल प्रबंधक है।

जहां दो (02) बोलीदाताओं ने संबंधित निविदा में भाग लिया। एक ने संयोजक के रूप में कार्य किया था और एक ने उक्त निविदा समिति के वित्त सदस्य के रूप में कार्य किया।

टीसी सदस्यों ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित मिनटों को तैयार और हस्ताक्षरित किया है जिसमें उन्होंने निविदा के तकनीकी मूल्यांकन चरण में एक (01) बोली लगाने वालों को योग्य और एक (1) बोली लगाने वालों को अयोग्य घोषित किया है और उनकी सिफारिश (टीएए) को प्रस्तुत की गई थी और आगे टीएए ने टीसी की सिफारिश स्वीकार कर ली थी।

वित्तीय बोली में एल/1 को ठेका दिया गया था।• हालांकि जांच में यह पाया गया कि फर्म ने बोली की शर्तों के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल जमा नहीं किए थे, फिर भी प्रस्ताव को ऑर्डर के लिए विचार किया गया था।• आवश्यक डीएआर कार्रवाई की सिफारिश और उन अधिकारियों के खिलाफ की गई और एफएसए के लिए आरबी को भेजा गया जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और सेवा अनुबंध के लिए उक्त जीईएम निविदा में शामिल थे।

18. सेवा अनुबंध के लिए जेम टेंडर में अनियमितताएं, क्योंकि इसमें 50 लाख से अधिक के टेंडर मूल्य के लिए टीसी का निपटान किया:

सतर्कता जांच में यह शिकायत सामने आई कि GeM पोर्टल पर “मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज-न्यूनतम वेतन-अकुशल” अन्य; स्वीपर के लिए निविदा प्रकाशित की गई थी।

तत्काल कार्य के लिए GeM निविदा 50 लाख रुपये से अधिक के अनुमानित निविदा मूल्य के लिए आमंत्रित की गई थी । टेंडर खुल गया. जहां छत्तीस (36)

संख्या में बोलीदाताओं ने विषयगत निविदा में भाग लिया। निविदा समिति के गठन और वैध आधार के बिना तकनीकी मूल्यांकन में चौतीस (34) बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया था और निविदा के तकनीकी मूल्यांकन चरण में दो (02) बोलीदाताओं को योग्य घोषित कर दिया था। उक्त निविदा बिना निविदा समिति के गठन के निविदा के अनुमानित मूल्य से 15.41% अधिक पर फर्म को प्रदान की गई थी। हालाँकि, फर्म निविदा की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है। हालाँकि, फर्म बोली में पूछे गए पात्रता मानदंडों का पालन नहीं कर रही थी। आवश्यक डीएआर कार्रवाई की सिफारिश की गई और उन अधिकारियों के खिलाफ एफएसए के लिए आरबी को भेजा गया जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और अनुबंध दिया था।

19. निविदा में प्रतिबंधात्मक विशेष शर्तें: (एस एंड टी)

एसएंडटी इकाई में थ्रस्ट एरिया 'पात्रता मानदंड में व्यय अनुबंध अनियमितताओं की जांच - प्रकृति में प्रतिबंधात्मक विशेष शर्त की प्रकृति के संबंध में निविदाओं की निवारक जांच के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित विशेष शर्त को "समान प्रकृति" के कार्य के तहत निविदा दस्तावेज में शामिल किया गया था।

"निविदाकर्ता को निविदा के साथ ओईएम/ओईएम(ओं) का प्राधिकरण प्रस्तुत करना होगा जहां से वीएसएस उपकरण की आपूर्ति की जानी है। यह आईपी कैमरा, स्विच, सर्वर, पीसी वर्कस्टेशन, डिस्प्ले, एज डिवाइस, यूपीएस, बाहरी स्टोरेज डिवाइस और सॉफ्टवेयर के लिए लागू होगा।

निम्नलिखित अनियमितताएँ नोट की गईं:

- निविदा बोली चरण में "ओईएम से पूर्व-प्राधिकरण" की शर्त संभावित बोलियों के दायरे को सीमित कर रही थी और यह संभावित बोलीदाताओं के बीच कम प्रतिस्पर्धा को कर सकती थी जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित दरों/बोलियों में बढ़ोतरी हो सकती थी।
- कुछ ऑफ-द-शेल्फ और बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध आइटम जैसे यूपीएस, डिस्प्ले, वर्क स्टेशन आदि को ओईएम से पूर्व-प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए नामांकित किया गया है।

निम्नलिखित सिस्टम सुधार का सुझाव दिया गया है:

- "ओईएम से प्राधिकरण/एमओयू" के लिए नामांकित महत्वपूर्ण दूरसंचार वस्तुओं की सूची की तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ बाजार में उपलब्धता (आपूर्ति/रखरखाव के लिए) पर विचार करते हुए समीक्षा की जानी है।
- प्रतिस्पर्धी बोलियों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निविदा चरण के दौरान ओईएम से पूर्व-प्राधिकरण की शर्त को समाप्त किया जा सकता है।

20. सेवा अनुबंधों और जनशक्ति की तैनाती की जांच में देखी गई अनियमितताएं: (बिजली)

‘सेवा अनुबंधों में जनशक्ति की जांच और उनकी तैनाती’ पर निवारक जांच के दौरान, एक डिवीजन में एक संविदा करार के खिलाफ काम के निष्पादन के संबंध में कई अनियमितताएं देखी गईं।

निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:

- जुर्माने के रूप में रुपये की राशि दर्शाई गई को समय-समय पर साइट पर्यवेक्षकों द्वारा सूचित रु. 9,56,000.00/- को बिलों से कटौती के लिए विचार नहीं किया गया।
- संविदात्मक अनुबंध में शामिल नियमों और शर्तों के संबंध में संविदा कर्मचारियों की कम अवधि की तैनाती के लिए 97,90,000.00/- रुपये का जुर्माना का हिसाब नहीं दिया गया था और इस प्रकार इसे बिलों से नहीं काटा गया था।
- संविदात्मक करार में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार, साइट पर किए गए काम के लिए स्कोर भरने के लिए ठेकेदार द्वारा डिजिटल स्कोरकार्ड ऐप विकसित किया जाना था, जिसे विकसित और उपयोग नहीं किया गया था; जो ठेकेदार को भुगतान किए गए बिलों से समय-समय पर जुर्माना काटने का उद्देश्य पूरा कर सकता था।
- संविदात्मक समझौते में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों, मशीनरी के रिकॉर्ड और रेलवे अधिकारियों द्वारा काम के निष्पादन के लिए स्पेयर की स्टॉक स्थिति का रखरखाव नहीं किया गया था।

- अनुबंध के नियमों और शर्तों में निर्धारित संविदा कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और पुलिस सत्यापन रिकॉर्ड एकत्र नहीं किए गए और रिकॉर्ड में नहीं रखे गए।
- अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, नियोजित संविदा कर्मचारी निर्धारित रंगीन वर्दी में नहीं थे; इसके बजाय कर्मचारी अलग-अलग रंग की वर्दी में थे।

उक्त मामले में कई राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका का पता चला है और पाई गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ डीएआर कार्रवाई शुरू की गई है।

21. आईपीएस मॉड्यूल में पीएफ खातों का रखरखाव

जांच के दौरान यह पाया गया कि रुपये की राशि। 4,42,14,692/- रुपये फर्जी जर्नल वाउचर बनाकर बिना किसी सहायक वाउचर के अलग-अलग राजस्व मांग शीर्षों को डेबिट करके पीएफ हेड में स्थानांतरित/जमा कर दिए गए थे।

पीएफ अनुभाग के लेखा अनुभाग के कर्मचारियों और शाखा अधिकारियों ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना राजस्व शीर्ष से पीएफ शीर्षों में बड़ी मात्रा में राशि के हस्तांतरण के लिए तैयार किए गए जर्नल वाउचर को अंतिम रूप देने और पुष्टि करने के लिए अपनी उपयोगकर्ता आईडी और ओटीपी का उपयोग और दुरुपयोग किया है।

इसके बाद, कर्मचारियों के वास्तविक पीएफ बैलेंस से अधिक निकासी की सुविधा के लिए बिना किसी सहायक दस्तावेज के कुछ कर्मचारियों के पीएफ खातों में बड़ी मात्रा में रकम पोर्ट/क्रेडिट की गई है। पीएफ लेखा अनुभाग के संबंधित कर्मचारी, पर्यवेक्षक और शाखा अधिकारी ने अनियमित रूप से राशि पोर्ट करने में अपनी यूजर आईडी और ओटीपी का दुरुपयोग किया है।

इसके बाद, कुछ कर्मचारियों को उनके वास्तविक शेष से अधिक भुगतान हेतु 1,62,50,000/- रुपये पास किये गये हैं।

22. नियमित वेतन बिलों की अनियमितताएँ

- एक निवारक जांच में, यह पता चला है कि अप्रैल/2023 के महीने के दौरान बिना

किसी लेखा जांच के नियमित वेतन बिल के माध्यम से एक कर्मचारी के बकाया वेतन के रूप में 54,000/- रुपये की राशि वसूल की गई है।

- बिल पासिंग सेक्शन ऑफ अकाउंट्स ने बिना किसी विधिक्षा रजिस्टर की जांच के वेतन बिल भी पास कर दिया है। परिणामस्वरूप अधिक भुगतान कर्मचारी के वेतन बिल से किया गया।
- इस तरह की अनियमितताओं से बचने के लिए बिल पास करने वाले अनुभाग को बकाया वेतन, टीए, शिशु शिक्षा भत्ता आदि के लिए एक विधिक्षा रजिस्टर रखना चाहिए, अर्थात् बिल यूनिट के महीने में वसूले जाने वाले नियमित मदों के अलावा। नियमित वेतन बिलों में केवल एरियर वेतन, टीए, शिशु शिक्षा भत्ता आदि की पूर्व-सत्यापित राशि यानी नियमित मदों के अलावा अन्य शुल्क लिया जाना चाहिए। चूंकि, सभी वेतन बिल महीने के अंत में जमा किए जाते हैं, इसलिए लेखा विभाग द्वारा सभी मदों की विस्तृत जांच करना मुश्किल है।

इसलिए, बिल पास करते समय, बिल पास करने वाले कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमित वेतन बिलों में केवल बकाया वेतन, टीए, शिशु शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी भत्ता आदि की सत्यापित राशि ली गई है और पास की गई है।

- अधिक भुगतान से बचने के लिए नियमित वेतन बिलों में ऐसे किसी भी बकाया वेतन, टीए, शिशु शिक्षा भत्ता आदि की जांच किए बिना अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

23. एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) की अनियमितताएं

- एक निवारक जांच में, यह पता चला है कि सितंबर/2022 से अप्रैल/2022 की अवधि के दौरान एनपीएस की अनियमित आंशिक निकासी की सुविधा के लिए 8 जर्नल वाउचर के माध्यम से 16.85 लाख रुपये की राशि एक विशेष पीआरएएन (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) में स्थानांतरित की गई है। अप्रैल/2023। यह देखा गया है कि कर्मचारियों के योगदान की बड़ी राशि को बिना किसी सहायक दस्तावेज़ के किसी विशेष कर्मचारी को स्थानांतरित किया गया जिससे वास्तविक योगदानकर्ताओं को वंचित कर दिया गया है।

- इसमें से रु. 36,276/- और रु. 1,73,833.75 की राशि डीडीओ के अनुमोदन से सीआरए-एनएसडीएल से निकाल ली गई है और पीएओ द्वारा कर्मचारी के निकासी आवेदन को सीआरए-एनएसडीएल को भेज दिया गया है।
- यह सुझाव दिया जाता है कि जब कर्मचारियों का अंशदान कर्मचारी के पीआरएएन में जमा किया जाता है, तो योगदान का विवरण सहायक दस्तावेजों के साथ जांचा जाना चाहिए और फिर एनपीएस खाते में विसंगतियों और विसंगतियों से बचने के लिए राशि को पीआरएएन में जमा किया जाना चाहिए।
एनपीएस सस्पेंस और सीआरए-एनएसडीएल में अपलोड की गई राशि का मिलान कर विसंगतियों का निपटारा किया जाए

24. नियमित वेतन बिलों की अनियमितताएँ

निवारक जांच के दौरान, यह पता चला है कि मार्च/2018 से जुलाई/2023 की अवधि के दौरान आईपीएएस में एरियर मूल वेतन और प्रोत्साहन के रूप में दिखाए गए कुछ कर्मचारियों के खिलाफ नियमित वेतन बिलों के माध्यम से 1.3 करोड़ रुपये की अधिक भुगतान राशि का धोखाधड़ी से भुगतान किया गया है।

- यह देखा गया है कि बिल तैयार करने वाले अनुभाग के बिल क्लर्क ने आईपीएएस से बिलों की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड की है, फिर वेतन बिलों में हेरफेर और संपादन किया है और सकल राशि में कमी/सुधार किए बिना बकाया वेतन और प्रोत्साहन मदों को डेबिट सारांश से छिपा दिया है। बिल और व्यक्तिगत वेतन बिल की प्रति से भुगतान का और इसे मुद्रण के लिए आईटी केंद्र में छापने हेतु भेज दी है।
- इसके बाद हार्ड कॉपी में हेरफेर किए गए नियमित वेतन बिलों को ऑडिट और भुगतान के लिए लेखा कार्यालय को भेज दिया गया।
- हेर-फेर किए गए नियमित वेतन बिलों की प्राप्ति पर, बिलों की हार्ड कॉपी को आईपीएएस कॉपी (सॉफ्ट कॉपी) के साथ सत्यापित किए बिना भुगतान के लिए लेखा विभाग पास कर दिया , जहां बकाया वेतन की अवधि के दौरान बिना जांच किए प्रभारित किया गया जो मार्च/2018 से जुलाई/2023 है, इसके परिणामस्वरूप नियमित वेतन बिलों में अधिक भुगतान हो गया।
- पासिंग के समय ऐसी अनियमितताओं और अधिक भुगतान से बचने के लिए, बिल

यूनिट के लिए बकाया भुगतान के लिए बनाए गए पुनरीक्षण रजिस्टर को सत्यापित किया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डेबिट सारांश बिल की आईपीएस प्रति और नियमित की हार्ड कॉपी के डेबिट सारांश में दिखाई दे।
वेतन बिल वही हैं। अन्यथा, नियमित वेतन बिलों में अधिक भुगतान का पता लगाना शायद ही संभव होगा।

25. विभागीय चयन में अनियमितताएँ

स्रोत जानकारी के आधार पर, 09 विभागीय चयनों पर सतर्कता जांच की गई है एवं निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:

- (i) एनएफरेलवे में आयोजित सभी चयनों में ओएमआर शीट के बजाए डुप्लिकेटिंग कार्बन रहित पेपर (दो फ़ॉइल युक्त) का उपयोग किया गया है। मूल (सफ़ेद रंग की) फ़ॉइल में लिखे गए उत्तरों की छाप स्वचालित रूप से डुप्लिकेट (पीली) फ़ॉइल में मिल जाती है, ताकि परीक्षा हॉल में लिखे गए उत्तरों में हेरफेर न किया जा सके, क्योंकि परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद दोनों फ़ॉइल को अलग कर दिया जाता है। उपरोक्त अधिकांश चयनों में मूल उत्तर पुस्तिकाओं में पाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर संबंधित डुप्लिकेट फ़ॉइल में नहीं पाए जाते हैं।
- (ii) मूल्यांकन अधिकारी ने लिखित परीक्षा में पास कराने की गलत मंशा से कुछ अभ्यर्थियों के गलत उत्तरों को सही मान लिया।
- (iii) प्रश्न सेट करने वाले ने मॉडल उत्तर कुंजी में गलत उत्तर दिए, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अभ्यर्थी जो वास्तव में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, असफल हो गए;
- (iv) मूल्यांकन अधिकारियों ने आरबी के पत्र दिनांक 13.02.2009 (आरबीई 19/2009) और दिनांक 14.12.2018 (आरबीई 196/2018) में निहित प्रावधानों के विपरीत, काटे गए, ओवरराइट किए गए, मिटाए गए आदि उत्तरों के अंक दिए हैं;
- (v) आरबीई नंबर 196/2018 और 194/2019 में निहित आरबी के प्रावधान के विपरीत सामान्य चयन में और एलडीसीई कोटा में गलत उत्तरों के लिए 1/3

अंक नहीं काटे गए;

- (vi) मूल्यांकनकर्ता ने कुछ उम्मीदवारों की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों का गलत जोड़ करके गलती की है, जिससे पैनल में असफल उम्मीदवारों को अनुमति मिल गई है और वास्तव में उत्तीर्ण उम्मीदवार वंचित हो गए हैं;
- (vii) एक कारखाना के एक चयन में प्रश्न सेट करने वाले ने नजदीक के किसी मंडल के पिछले महीने में आयोजित एक अन्य चयन के लगभग उसी प्रश्न पत्र की नकल की है जिसमें वह मूल्यांकनकर्ता था।
- (viii) लिखित परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद मॉडल कुंजी उत्तर प्रकाशित नहीं किए गए, हालांकि जोनल विजिलेंस ने पहले 07.10.2021 को सुझाव दिया था और बाद में रेलवे बोर्ड ने भी निर्देश दिया था।

संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 08 चयन रद्द कर दिये गये हैं। चयन बोर्ड के कुछ अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता का पहलू पाया गया है और उनके विरुद्ध डीएआर कार्रवाई शुरू की जा रही है।

सिस्टम सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

- i. सीजीए के लिए सभी विभागीय चयन और उपयुक्तता परीक्षण सीबीटी मोड में आयोजित करना;
- ii. परीक्ष हॉल में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराई जाए।
- iii. मुख्यालय से कार्मिक अधिकारी को नियुक्त करके मंडलों/कारखानों/इकाइयों के पहले से ही पूर्ण किए गए चयनों की जांच करना;
- iv. चूंकि चयन की जिम्मेदारी चयन बोर्ड के सभी सदस्यों की सामूहिक है, इसलिए उन्हें कार्यवाही शुरू करने से पहले सभी प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे उत्तर स्क्रिप्ट, गोपनीय रिपोर्ट, सेवा के रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए;
- v. चयन बोर्ड के सदस्यों को कार्यवाही में अपने हस्ताक्षर के ठीक नीचे प्रत्येक पृष्ठ पर अपना पूरा नाम और तारीखें लिखनी चाहिए;
- vi. मॉडल कुंजी उत्तर लिखित परीक्षा के तुरंत बाद प्रकाशित किया जाना चाहिए और अंतिम मॉडल कुंजी उत्तर की प्रति गोपनीय फ़ाइल में रखी

जानी चाहिए।

26. फर्जी दस्तावेजों द्वारा छात्रावास सब्सिडी का लाभ उठाना

निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक डिवीजन की दो इकाइयों के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का लाभ उठाया है, जिसकी पुष्टि संबंधित शैक्षणिक संस्थान से सत्यापन के बाद की गई है। तदनुसार, उन मंडलों/कारखानों/इकाइयों में फर्जी दस्तावेजों द्वारा छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने में अनियमितताओं का पता लगाने के लिए जांच को अन्य मंडलों/कारखाना/निर्माण इकाइयों/मुख्यालय इकाइयों तक बढ़ा दिया गया है।

सितम्बर 2023 तक 61 मंडलों/कारखानों/निर्माण इकाइयों के कई कर्मचारियों ने फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का लाभ उठाया है, जैसा कि संबंधित संस्थानों से सत्यापित किया गया है और फर्जी पाया गया है। फर्जी प्रमाणपत्रों के अलावा 39 ऐसे कर्मचारी पाए गए हैं जो या तो अपने बच्चों के लिए पीजी, निजी छात्रावास जो संस्थान के स्वामित्व में नहीं है, या 50 किमी से कम दूरी वाले छात्रावास में रहते हैं, के लिए छात्रावास सब्सिडी का लाभ उठाते हैं, या रु. 81,000/-, लेकिन संस्थान को दी जाने वाली उनकी वार्षिक फीस उपरोक्त राशि से कम है।

61 कर्चारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग की सलाह पर संबंधित डी.ए. द्वारा बड़ी दंड आरोपपत्र जारी किए गए हैं/जारी किए जा रहे हैं। अन्य मामलों की जांच की जा रही है।

अब तक, छात्रावास सब्सिडी के माध्यम से रु. 1,28,00,000/- (एक करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये) के अनियमित भुगतान का पता चला है और संबंधित कर्मचारियों से वसूली की जा रही है। उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में बड़ी संख्या में ऐसे फर्जी मामले सामने अभी और आएंगे।

सिस्टम में सुधार के लिए सभी संबंधितों को पहले ही पत्र जारी किए जा चुके हैं:

क. सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के दावे संबंधी भविष्य के मामले छात्रावास के लिए संबंधित संस्थान के प्रमुख से क्षेत्राधिकार एस एंड डब्ल्यूआई द्वारा स्कूल

प्रमाणपत्रों की वास्तविकता का सत्यापन करना और साथ ही छात्रावास सब्सिडी की मंजूरी से पहले आवासीय परिसर में बोर्डिंग और आवास के लिए संबंधित कर्मचारियों द्वारा खर्च की गई राशि का सत्यापन करना।

- ख. 2016 से कर्मचारियों द्वारा छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए जमा किए गए सभी प्रमाणपत्रों का मंडलों/कारखानों/इकाइयों द्वारा अपने स्तर पर भी सत्यापन करना।
- ग. डीलिंग असिस्टेंट द्वारा बच्चों के नाम, वार्डों, कक्षाओं, स्कूलों, वर्ष, संस्थान आदि के नाम के विवरण के साथ एक रजिस्टर रखना चाहिए।

27. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में अनियमितताएँ

सीजीए मामलों से निपटने में अनियमितताओं के खिलाफ लगातार शिकायतें प्राप्त होने के कारण, जैसे विभिन्न चरणों में मामले को संसाधित करने में देरी, लेवल -2 और उससे ऊपर के पद पर नियुक्ति के लिए लिखित (उपयुक्तता) परीक्षा में अनियमितताएं, आदि की जांच की गई।

विभिन्न चरणों में निम्नलिखित अनियमितताएँ देखी गई हैं:

(i) विभिन्न चरणों में देरी:

- क. समय पर आवेदन जमा नहीं करना;
- ख. डीलर द्वारा मामले की वास्तविकता सत्यापन के लिए एस एंड डब्ल्यूआई को भेजने में देरी;
- ग. एस एंड डब्ल्यूआई द्वारा वास्तविकता रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी;
- घ. डीलर द्वारा सीजीए के अनुमोदन के लिए प्रस्तुतीकरण में देरी;
- ङ. एस/टेस्ट और मेड/परीक्षा के लिए कॉल करने में देरी;

(ii) अन्य अनियमितताएँ

- क. सीजीए के लिए आवेदन की तारीख का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।
- ख. संबंधित अनुभाग द्वारा आवेदन की प्राप्ति की सही तारीख का उल्लेख नहीं करना;

- ग. उस तारीख का उल्लेख नहीं किया गया जिस दिन वरिष्ठ अधीनस्थ/नियंत्रण अधिकारी ने मामला अग्रेषित किया था;
- घ. एस एंड डब्ल्यूआई द्वारा सत्यापन रिपोर्ट में तारीख का उल्लेख नहीं करना;
- ङ. डीलर द्वारा उचित रजिस्टर का रखरखाव नहीं करना;
- च. उम्मीदवार को परीक्षा के लिए पहले से नहीं बुलाना;
- छ. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के तुरंत बाद उम्मीदवार को सीजीए का परिणाम, श्रेणी, नियुक्ति स्थान आदि के बारे में सूचित नहीं करना; की गई कार्रवाई:
1. एक मंडल की लिखित उपयुक्तता परीक्षा में एक विशेष जांच आयोजित की गई है, जहां प्रश्नों और विकल्पों को जोड़कर तुरंत उसी प्रश्न पत्र के साथ लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने की गंभीर शिकायतों के बाद ऐसा किया गया है। हालाँकि, उस उपयुक्तता परीक्षा में दोनों परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा गया है।
 2. क्षेत्रीय सतर्कता की देखरेख में एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिसका उपयोग सीजीए के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने, विभिन्न चरणों में कार्रवाई करने के लिए किया जाएगा, जिसका उपयोग कार्मिक विभाग के परामर्श से अल्प अवधि के भीतर इस रेलवे में किया जाएगा।
 3. सीजीए मामलों की वास्तविक समय के आधार पर निगरानी करने के लिए, जोनल विजिलेंस द्वारा एक Google स्प्रेडशीट तैयार की गई है, जिसमें पूर्व कर्मचारी की मृत्यु की तारीख/चिकित्सकीय रूप से अयोग्य/डी-वर्गीकरण, आवेदन की तारीख से डेटा प्रस्तुत करना आवश्यक है। भर्ती सेल के संबंधित एस एंड डब्ल्यूआई और डीलिंग असिस्टेंट द्वारा नियमित रूप से विधवा / वार्ड नियुक्ति की तारीख तक आदि को भरा जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, सभी सीजीए मामले मंडलों/कार्खानों/इकाइयों द्वारा रीड शीट में हर चरण में दर्शाए गए हैं जिनकी निगरानी जोनल सतर्कता द्वारा की जा रही है।

28. सामान्य सेवानिवृत्ति के साथ-साथ सामान्य सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य मामलों और अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री परिवार/पेंशन मामलों के अंतिम निपटान में असामान्य देरी।

सतर्कता जांच के दौरान, एक मंडल में यह पाया गया कि एनआर के साथ-साथ ओएनआर मामलों के अंतिम निपटान बकाया के भुगतान में असामान्य देरी हो रही है। उक्त मंडल में 457 सामान्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से 196 कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। 31.01.2022 से सामान्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन अभी भी लंबित है, हालांकि अधिकांश संबंधित कर्मचारियों ने रेलवे कार्टर खाली कर दिया है और संबंधित कार्यालयों में क्लियरेंस प्रमाण पत्र जमा कर दिया है। इसी प्रकार, 74 लोगों के अवकाश वेतन और जीआईएस के 331 भुगतान में देरी हुई, क्रमशः कर्मचारियों की। सभी अंतिम निपटान मामलों के भुगतान में असामान्य देरी को रोकने की संभावना तलाशने के लिए अन्य मंडलों/ कारखानों/इकाइयों में सामान्य और सामान्य सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य मामलों के साथ-साथ अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन मामलों की समान स्थिति की जांच की जा रही है।



**अष्टाचार है एक बीमारी,
दण्डित हो हर अष्टाचारी।**





भ्रष्टाचारियों के पास धन है
ईमानदार लोगों का समाज में महत्व है

सिस्टम सुधार



1. साइन इन / साइन ऑफ रजिस्टर और टीटीई के रोटेशन में संशोधन

कटिहार मंडल के विभिन्न टीटीई लॉबी के ड्यूटी रोस्टर की सतर्कता जांच के दौरान, यह पाया गया कि चेकिंग स्टाफ अपनी-अपनी ट्रेनों के लिए नीचे/बीच में (जहां और जहां कुछ जगह खाली है) रजिस्टर में साइन इन/साइन ऑफ कर रहे थे। अपनी आवंटित ट्रेनों में शारीरिक रूप से उपस्थित रहना। इसके अलावा जांच में यह भी पाया गया कि सुविधाओं और दस्ते के टीटीई का रोटेशन ठीक से नहीं किया गया।

इसलिए, सिस्टम में सुधार के लिए साइन इन/साइन ऑफ रजिस्ट्रों में 'सीरियल नंबर कॉलम' जोड़ने का सुझाव दिया गया था। दूसरे, किसी भी अवैध निहित स्वार्थ से बचने के लिए, हर 2 से 3 महीने में रैंडमली रूप से सुविधाओं और दस्ते के टीटीई के रोटेशन का पालन करने का भी सुझाव दिया गया था।

2. बायोमेट्रिक विवरण के माध्यम से टिकट चेकिंग स्टाफ के साइन इन / साइन ऑफ

कटिहार में टिकट चेकिंग स्टाफ के ड्यूटी रोस्टर की निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि कुछ टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में चढ़े बिना अपने बुकिंग स्टेशन पर साइन इन और साइन आउट कर रहे थे। संबंधित सीटीटीआई/प्रभारी ने साइन इन और साइन ऑफ रजिस्टर के आधार पर उनका मस्टर रोल तैयार किया। इस प्रकार, उन्हें अपनी आवंटित ट्रेनों में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना भी सीटीए (समेकित यात्रा भत्ता) मिल रहा था। आरबी के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 68/2018 के अनुसार वेब आधारित एप्लिकेशन में टीटीई के अपने यूजर आईडी/पासवर्ड के माध्यम से साइन इन और साइन ऑफ करने से यूजर आईडी/पासवर्ड साझा करके हेरफेर भी हो सकता है।

अतः इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए सिस्टम में सुधार का सुझाव दिया गया कि साइन इन/साइन ऑफ बायोमेट्रिक विवरण देकर किया जाए। इस उद्देश्य के लिए अनुमोदन और दिशानिर्देश जारी करने के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र भी भेजा गया था और तदनुसार आरबी ने पत्र संख्या CAO/PTS/137/TTE LOBBY/WI/2021 दिनांक 30.05.2023 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए। .

3. जोनल रेलवे/एनएफआर पर सिस्टम सुधार का कार्यान्वयन

स्टेशन/प्लेटफॉर्म पर जोनल विजिलेंस/एनएफआर द्वारा विभिन्न निवारक जांचों के दौरान, यह देखा गया है कि टीटीई सतर्कता जांच से बचने का प्रयास करके सतर्कता के साथ असहयोग कर रहे थे। कभी-कभी उन्होंने कैश डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से इनकार कर दिया, जो सतर्कता जांच का एक प्रमुख दस्तावेज है। इसके अलावा, सतर्कता द्वारा जांच के दौरान, कथित अधिकारी कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए संभावित सहायता और अपेक्षित जानकारी प्रदान न करके सतर्कता को गुमराह करने के लिए लचर बहाने के साथ मनमौजी तरीके से अपना बयान देते हैं। इसलिए, जोनल रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ और अन्य लोगों को सतर्कता संगठन के बारे में शिक्षित करने और आरबी एल/नंबर 2014/वी-1/वीपी/1/10 दिनांक 27.10.2015, आरबीवी नंबर 04/2007 और 12/2010 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए जोनल रेलवे प्रशिक्षण संस्थान को इस प्रकार के असहयोग को कम करने के लिए उनके बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा आवश्यक निर्देश देने के लिए सिस्टम में सुधार का सुझाव दिया गया।

4. पीआरएस काउंटर्स से ऑफलाइन/मैनुअल टिकटों की बुकिंग

एक मामले की सतर्कता जांच के दौरान यह पाया गया कि फर्जी विशेषाधिकार पास पर एनएफआर के विभिन्न आरक्षण काउंटर्स से कई पीएनआर तैयार किए गए थे। ऑन ड्यूटी आरक्षण क्लर्क कथित व्यक्ति को जारी किए गए फर्जी मैनुअल प्रिविलेज पास की वास्तविकता की जांच करने में विफल रहा। प्रचलित नियम के अनुसार, पी.एन.आर. जनरेट करने और उसका समर्थन करने के बाद पास संबंधित व्यक्ति को सौंप दिया गया था। ऐसी स्थिति में, जैसे ही संबंधित व्यक्ति पीआरएस काउंटर से बाहर निकलता है, फर्जी पास की प्रति प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है।

इसलिए, एनएफआर क्षेत्राधिकार के भीतर पीआरएस, यूटीएस सह पीआरएस स्थानों के सभी प्रभारियों को मैनुअल पास (जैसे ड्यूटी पास, सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास, विधवा पास और एनएफआर में इस प्रकार की धोखाधड़ी को कम करने के लिए आगे की जांच के लिए रिकॉर्ड के रूप में टिकट बनाने के बाद मांग

प्रपत्र के साथ कोई अन्य ऑफ़लाइन पास) की फोटोकॉपी साथ रखने की सलाह देने के लिए सिस्टम में सुधार का सुझाव दिया गया था।

5. गुड्स यार्ड और निजी साइडिंग में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना

जोनल विजिलेंस/एनएफआर द्वारा निवारक जांच के दौरान, यह देखा गया है कि कभी-कभी स्टेशन कर्मचारी विलंब शुल्क और घाट शुल्क को छुपाने के लिए पार्टी का पक्ष लेते हैं। इसे जांचने के लिए, खेप के लोडिंग/अनलोडिंग ऑपरेशन की उचित निगरानी और रिकॉर्डिंग आवश्यक है।

इसलिए, संबंधित कर्मचारियों द्वारा ऐसी अनियमितताओं को कम करने के लिए एनएफआर के सभी माल यार्डों और निजी साइडिंगों पर अच्छी रात्रि दृष्टि क्षमता वाला और कम से कम एक महीने की भंडारण क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए सिस्टम में सुधार का सुझाव दिया गया है।

6. वेटब्रिज पर अतिरिक्त वजन को उतारना / वजन समायोजन करना

इलेक्ट्रॉनिक-इन-मोशन वेटब्रिज (ईआईएमडब्ल्यूबी) पर की गई निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि ईआईएमडब्ल्यूबी में अतिरिक्त वजन का पता चलने के बाद, ऑफलोडिंग/लोड-एडजस्टमेंट फिजिकल रूप से नहीं किया गया था। अन्य ईआईएमडब्ल्यूबी में रिक के वजन के दौरान ऐसे रिक के कई वैगनों में अतिरिक्त लोडिंग का फिर से पता चला। विभिन्न वेटब्रिजों पर अतिरिक्त भार को उतारने/भार समायोजन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, उतारे गए/भार समायोजित रिकों को फिर से तौलना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे बढ़ने से पहले उन पर अधिक भार न हो।

इसलिए, प्रणाली में निम्नलिखित सुधार का सुझाव दिया गया था - "एक रिक के मामले में जहां ईआईएमडब्ल्यूबी में वजन के दौरान 'कम से कम 10 वैगनों में' अतिरिक्त लोडिंग और/या '30 टन का कुल अतिरिक्त वजन' पाया जाता है, रिक को फिर से आवश्यकता होगी- इसके आगे बढ़ने से पहले, ऑफलोडिंग / लोड समायोजन से गुजरने के बाद उसी ईआईएमडब्ल्यूबी में वजन किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न वेटब्रिजों पर अतिरिक्त वजन उतारने/भार समायोजन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।

7. टीएमएस/आरएमएस में ली गई पिछली रिपोर्टिंग

निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि विभिन्न माल कार्यालयों द्वारा रिहाई और निष्कासन कार्य को पूरा करने के लिए बार-बार बैंक रिपोर्टिंग ली जा रही थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक रिपोर्टिंग का दुरुपयोग न हो, एनएफआर में सभी टीएमएस/आरएमएस स्थानों की बैंक रिपोर्टिंग की गतिविधि की निगरानी करना आवश्यक समझा गया।

विभिन्न माल कार्यालयों द्वारा बैंक रिपोर्टिंग के दुरुपयोग को कम करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के अनुसार एनएफआर के सभी माल स्थानों और आरएमएस स्थान की बैंक रिपोर्टिंग की मासिक स्थिति प्रस्तुत करने के लिए सिस्टम में सुधार का सुझाव दिया गया है।

8. रेलवे आरक्षण की तत्काल योजना

निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि विभिन्न अवसरों पर तत्काल टिकट बहुत दूर के स्टेशन से बोर्डिंग के साथ एक ही स्थान से बनाए गए थे। सतर्कता टीम ने पाया कि ऐसे यात्री टिकट की सॉफ्ट कॉपी या ज़ेरॉक्स/प्रिंट आउट के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन मूल काउंटर टिकट के साथ नहीं, जो मौजूदा नियम के अनुसार मान्य नहीं है। यह संदेहास्पद है कि इसमें तत्काल योजना का दुरुपयोग करने वाले दलालों की संलिप्तता हो सकती है, जिससे वास्तविक यात्रियों को तत्काल लाभ से वंचित होने की पूरी संभावना है।

इसलिए, इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए, सिस्टम में सुधार का सुझाव दिया गया था कि यदि एनएफआर के किसी काउंटर/स्थान से तत्काल टिकट जारी किया जाता है, जहां जारी करने वाले स्थान और बोर्डिंग स्टेशन के बीच की दूरी ट्रेन द्वारा 24 घंटे में तय नहीं की जा सकती है, तो संबंधित टिकट जारी करने वाले उस काउंटर/स्थान के कर्मचारियों को इसे बोर्डिंग स्टेशन के डिविजनल वाणिज्यिक नियंत्रण को रिले करने के लिए अपने संबंधित वाणिज्यिक नियंत्रण को पहले से ही पीएनआर विवरण के साथ मामले को रिले करना चाहिए। इससे बोर्डिंग स्टेशन पर भौतिक टिकटों की वास्तविकता की जांच करने में मदद मिलेगी और मौजूदा नियम, यदि कोई हो, के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की

जा सकती है। वाणिज्यिक नियंत्रण की मासिक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर/23 तक विभिन्न स्थानों से 1,94,570/- रुपये की राशि एकत्र की गई।

9. टेस्ट पाइल्स के संबंध में प्रणाली में सुधार

टेस्ट पाइल के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देश "कार्य और सामग्री के लिए एकीकृत मानक विनिर्देश-2010" के खंड-19.7.7 में प्रदान किए गए हैं। टेस्ट पाइल्स (यानी पाइल्स जिन्हें कार्य/संरचना में शामिल नहीं किया जाना है) का निर्माण पाइल्स पर सुरक्षित भार निर्धारित करने के लिए उन पर प्रारंभिक लोड परीक्षण करने के लिए किया जाता है। लोड परीक्षण करने और पाइल्स पर सुरक्षित लोड पर पहुंचने की पद्धति IS: 2911 (भाग-IV) के अनुरूप होगी।

एक मामले की जांच के दौरान, यह देखा गया कि एक पुल के काम में साइट पर एक टेस्ट पाइल का निर्माण किया गया था। हालाँकि, टेस्ट पाइल पर प्रारंभिक भार परीक्षण किए बिना वर्किंग पाइल का निष्पादन शुरू कर दिया गया था। एक बार जब वर्किंग पाइल्स का निष्पादन हो जाता है, तो बाद के चरण में फाउंडेशन के डिजाइन को बदलना जटिल हो जाता है यदि टेस्ट पाइल्स पर लोड परीक्षण असंतोषजनक परिणाम देता है। इसलिए, टेस्ट पाइल का निर्माण और वर्किंग पाइल्स के निष्पादन से पहले उस पर प्रारंभिक लोड परीक्षण नहीं करना, निर्णायक रूप से टेस्ट पाइल के निर्माण के उद्देश्य को विफल कर देता है।

इसलिए, बाद के चरण में डिजाइन में किसी भी जटिलता से बचने के लिए टेस्ट पाइल्स के संबंध में एक सिस्टम सुधार का सुझाव दिया गया है कि "जहां भी साइट पर टेस्ट पाइल का निर्माण किया जाता है, वहां टेस्ट पाइल पर अपेक्षित परीक्षण करने के बाद ही वर्किंग पाइल्स का निष्पादन शुरू किया जाना चाहिए।"

10. व्यवस्था में सुधार के संबंध में विशेष पात्रता मानदंड का समावेश

रेलवे बोर्ड पत्र क्रमांक के अनुसार. 94/सीई-1/सीटी/4 दिनांक 23-11-2006 के अनुसार "कार्यों की समान प्रकृति" को ओपन लाइन पर विभागाध्यक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और जोनल रेलवे के निर्माण संगठन पर

मुख्य अभियंता/सीएसटीई/सीईई को नामित किया जाना चाहिए और यह होना चाहिए इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और इसे एनआईटी/निविदा दस्तावेज़ में भी दर्शाया जाना चाहिए। समान प्रकृति के कार्यों की सूची में किसी भी अंतर/संशोधन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

विशिष्ट प्रकृति के कार्य के लिए अनुबंध बुलाने/देने से संबंधित सतर्कता जांच के दौरान, यह देखा गया कि विभागाध्यक्ष की मंजूरी के बिना समान प्रकृति के कार्य के साथ एनआईटी/टीडी में विशेष तकनीकी मानदंड/शर्तें शामिल की गईं, जो प्रतिबंधात्मक थीं जो प्रकृति और खुली निविदा की प्रकृति के विरुद्ध।

इस संबंध में प्रणाली सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

क. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में **“विशेष तकनीकी/पात्रता मानदंड”** जिसका निविदाकर्ताओं की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है, को विभागाध्यक्ष की मंजूरी के बिना एनआईटी/टीडी में शामिल नहीं किया जाएगा।

ख. निविदा में विशेष शर्तों को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए कि यह उस कार्य की प्रकृति में बाधा डाले बिना अधिक भागीदारी की अनुमति दे जिसके लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

11. अनुबंधों को बंद करने के संबंध में प्रणाली में सुधार

पूरे एनएफआर में बड़ी संख्या में हर महीने कई अनुबंध निष्पादित और पूरे किए जा रहे हैं। एनएफआर की कुछ इकाइयों में फाइलों की जांच के दौरान, यह देखा गया है कि कई अनुबंध निम्नलिखित व्यापक कारणों से बंद नहीं किए गए हैं:

- (i) अनुबंध में अंतिम बदलाव की तैयारी न करना
- (ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम बदलाव का अनुमोदन न किया जाना
- (iii) वन विभाग से एफआरसीसी की प्राप्ति न होना
- (iv) लंबित ऑडिट पैरा
- (v) माप बिल आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए ठेकेदार का न आना

यह भी देखा गया है कि फ़ाइलें बिना किसी कारण के एक प्राधिकारी या दूसरे

प्राधिकारी के बीच रुकी रहती हैं। 14 साल पुराने (5 साल पहले पूरे हुए) अनुबंध अभी तक बंद नहीं किए गए हैं। ई-ऑफिस लागू होने के पांच साल बाद भी इन फाइलों को हार्ड फाइल के रूप में निपटाया जा रहा है। इसलिए, फाइलों की वास्तविक गतिविधि की निगरानी नहीं की जा सकती। यह चिंता का विषय है और कई सवाल खड़े करता है।

इंजीनियरिंग के लिए आईआर कोड के पैरा ई-1701 के अनुसार “एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली रेलवे परियोजनाएं, निर्माण या सार प्राक्कलन “उद्घाटन” की तारीख के बाद पहले तीन वित्तीय छमाही के अंत में बंद की जानी चाहिए (जैसा पैरा 1702 में परिभाषित किया गया है) जैसा कि सुविधाजनक हो और एक “पूर्णता प्राक्कलन “ तैयार किया जाए (पैराग्राफ 713 देखें)।

इंजीनियरिंग के लिए आईआर कोड के पैरा ई-1708 के अनुसार कार्य के पूरा होने के संबंध में, यह निर्धारित है कि “एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों के साथ आम तौर पर, इस राशि से कम लागत वाले कार्य या योजना को पूरा माना जाना चाहिए जब वह दी गई मंजूरी के समय बने अपने उद्देश्य को पूरा करता है, और तब इसका उद्देश्य क्या था और इसके बाद तीन महीने तक इस पर कोई खर्च नहीं हुआ है। पूर्ण किए गए कार्य से संबंधित सभी बकाया डेबिट और क्रेडिट को नियम के अनुसार कार्य पूरा होने की तारीख से तीन महीने के भीतर कार्य के खाते में समायोजित किया जाना चाहिए। पूर्ण किए गए कार्य के खाते पूर्ण होने की तारीख के छह महीने बाद बंद कर दिए जाने चाहिए और कार्य की पूर्णता रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।”

इंजीनियरिंग के लिए एल आर कोड के पैरा ई-1484 के अनुसार “ठेकेदार के खाते अनुबंध के पूरा होने पर बिना किसी देरी के बंद कर दिए जाने चाहिए। यदि कोई ठेकेदार अंतिम प्रमाण पत्र पारित होने के बाद एक महीने से अधिक समय तक अंतिम भुगतान प्राप्त करने में देरी करता है, तो खाते और ठेकेदार का कार्य बंद कर दिया जाना चाहिए और बकाया राशि जमा विविध में जमा कर दी जानी चाहिए।”

इंजीनियरिंग के लिए एलआर कोड के पैरा ई-1485 के अनुसार, “किसी कार्य से संबंधित सभी ठेकेदारों के दावों को यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए।

केवल अंतिम बिल तैयार कर जांच करने और भुगतान के लिए पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि कोई ठेकेदार अंतिम बिल का भुगतान स्वीकार करने से इनकार करता है, तब उसे (1) अपनी आपत्तियों को लिखित रूप में बताने के लिए कहा जाना चाहिए और जो कुछ भी प्रशासन देय मानने के लिए तैयार है उसे तुरंत प्राप्त करने के लिए कहा जाना चाहिए; और (2) चेतावनी दी गई है कि प्रशासन द्वारा ब्याज का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा उठाई गई आपत्ति या दावे, चाहे नोटिस के जवाब में या अपनी मर्जी से, उचित अवधि के भीतर जांच कर निपटान करना चाहिए। यदि ठेकेदार के हिस्से में जांच लंबी हो जाती है या टाल-मटोल या अवरोधक रणनीति द्वारा विफल हो जाती है, प्रशासन को अनुबंध में दिए गए अनुसार मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण मामलों में, जहां दांव पर लगी रकम बड़ी है या सिद्धांतित रूप से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यथासंभव जल्द से जल्द कानूनी सलाह ली जानी चाहिए।”

जीसीसी-2022 के खंड 51.(2) के अनुसार, “अनुबंध की एक सहमत शर्त है कि रेलवे भुगतान के बाद ऑडिट और/या कार्यों की तकनीकी जांच और अंतिम बिल सहित सभी सपोर्टिंग वाउचर, सार आदि कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।” और सुरक्षा जमा जारी होने या दावों के निपटान तक, जो भी बाद में हो, भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए ठेकेदार पर दावा करने का अधिकार रखता है।, यदि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप कोई अधिक भुगतान हो उसे अनुबंध के तहत उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले कथित किसी भी कार्य के संबंध में किया गया पाया गया है।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, लंबित बकाया राशि के निपटान और कार्यों को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग कोड और जीसीसी में प्रावधान मौजूद है। पूर्ण हो चुके कार्यों को बंद कराने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। अनुबंधों को बंद करने के लिए उचित स्तर पर मासिक समीक्षा की आवश्यकता है। इससे पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी और भुगतान में देरी के लिए ठेकेदारों को उनके दावों के निपटान के लिए भुगतान किए जाने वाले रेलवे राजस्व की बचत होगी। पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रत्येक माह निगरानी हेतु

सतर्कता संगठन को भेजा जा सकता है।

तालिका- I

क्र. सं.	इकाई	माह/वर्ष की प्रगति	महीने की शुरुआत में अनुबंधों की संख्या	माह के दौरान बंद किये गये अनुबंधों की संख्या	माह के दौरान जोड़े गए अनुबंधों की संख्या	जमा शेष (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7

तालिका-II

क्रम संख्या	कार्य का नाम	एजेंसी/ ठेकेदार	एलओए जारी करने की तिथि	सीए नंबर और तारीख	सीए मूल्य रु.	एससीए मूल्य	सीए के अनुसार मूल डीओसी	कितने बार विस्तार दिया गया	वास्त-विक डीओसी	अंतिम परिवर्तन की स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12. सेवा अनुबंध के लिए आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों के स्टॉक रजिस्टर के संबंध में

सेवा अनुबंधों में अनियमितताओं के संबंध में एक सतर्कता निरीक्षण में, यह देखा गया कि उस विशेष सेवा अनुबंध के लिए आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों का स्टॉक रजिस्टर बनाया नहीं गया था। इस संबंध में पूछे जाने पर, उस विशेष सेवा अनुबंध के कार्यकारी ने कहा कि उस विशेष सेवा अनुबंध के एलओए में उन उपभोग्य सामग्रियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, जिन्हें ठेकेदार द्वारा समय-समय पर आपूर्ति की जानी आवश्यक है, जिसके लिए स्टॉक रजिस्टर उसके द्वारा नहीं बनाया गया है।

चूंकि सेवा अनुबंध में उपभोग्य वस्तुएं अनुबंध का एक अंतर्निहित हिस्सा होती हैं, इसलिए निम्नलिखित पहलुओं का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए;

1. वार्षिक रखरखाव अनुबंध, रनिंग रूम के दिन-प्रतिदिन के रखरखाव, सफाई अनुबंध और ऐसे अन्य संविदात्मक कार्यों जैसे सेवा अनुबंधों में, यह देखा जाता है कि ठेकेदार द्वारा उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति उन अनुबंधों

के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक अभिन्न अंग है जिसके लिए वे बने हैं।

- II. अनुबंध के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उपभोग्य सामग्रियों का विवरण, जैसे, यदि उपलब्ध हो तो ब्रांड सहित उपभोग्य सामग्रियों के नाम, संबंधित उपभोग्य सामग्रियों की मात्रा और संविदात्मक कार्य के प्रयोजन के लिए आवश्यक मात्रा की आपूर्ति/उपयोग नहीं किए जाने पर उचित उपभोग्य सामग्रियों पर लगाया जाने वाला जुर्माना आदि का निविदा दस्तावेज़, स्वीकृति पत्र के साथ-साथ अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
- III. ऐसे अनुबंधों के कार्यकारी द्वारा उचित निगरानी की जानी चाहिए ताकि स्वीकृति पत्र के साथ-साथ अनुबंध समझौते में वर्णित उपभोग्य सामग्रियों का ठेकेदार द्वारा संबंधित संविदात्मक कार्य के उद्देश्य से उचित रूप से उपयोग किया जा सके।
- IV. वार्षिक रखरखाव अनुबंध, रनिंग रूम के दिन-प्रतिदिन के रखरखाव, सफाई अनुबंध और ऐसे अन्य संविदात्मक कार्यों जैसे सेवा अनुबंधों में कार्यकारी का कर्तव्य है कि वह अनुबंध के प्रयोजन के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली उपभोग्य सामग्रियों का लेखा-जोखा बनाए रखे।
- V. उपभोग्य सामग्रियों के खातों के लिए बनाए गए दस्तावेज़/रिकॉर्ड को केवल तभी प्रामाणिक माना जा सकता है, जब ऐसे दस्तावेज़ों के रिकॉर्ड पर ठेकेदार, कार्यकारी और अनुबंध के प्रभारी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए हों।

ऐसे अनुबंध के कार्यकारी द्वारा अनुरक्षित लेखा दस्तावेज़ को सत्यापित करने के बाद ही ठेकेदार के बिल पारित किए जा सकते हैं। अन्यथा यह माना जा सकता है कि ठेकेदार द्वारा कोई उपभोग्य वस्तु की आपूर्ति नहीं की गई और प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

13. मेडिकल ग्राउंड पर पास जारी करने के संबंध में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में।

रेलवे अस्पताल से मरीजों को इलाज के लिए अन्य स्थानों पर रेफर करते समय

मेडिकल आधार पर जारी किए गए पास के मामलों की जांच करने पर मरीजों के लिए जारी पास की पात्रता श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कमियां/अनियमितता/चूक देखने को मिलती है। इसके अलावा पास डीलर द्वारा (पास लिखने वाला) और प्राधिकृत पास जारी कर्ता प्राधिकारी (पास पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी) विशेष रूप से मैनुवल रूप से जारी पासों के संबंध में , द्वारा रिकार्ड/लेखा नहीं रखने का मामला देखने को मिलता है।

इसलिए उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कमियों/चूकियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए और मेडिकल ग्राउंड और ड्यूटी चेक पास पर पास जारी करने में अधिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, आवश्यक कार्रवाई की सलाह के साथ निम्नलिखित सिस्टम सुधार का सुझाव दिया गया है: -

- अस्पताल प्रभारी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पास की पुस्तिका की उचित रसीद और लेखा-जोखा मुख्य स्रोत से प्राप्त होने के बाद बनाए रखा जाना चाहिए, और इस संबंध में, मासिक/वार्षिक आधार पर यानी जनवरी से दिसंबर तक प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित सारणीबद्ध फॉर्म-ए में एक अलग स्टॉक लेजर बनाए रखा जाना चाहिए।
- रेलवे लाभार्थियों को इलाज के लिए आउट स्टेशन रेफर करने पर उनकी पात्रता की श्रेणी के अनुसार जारी की जाने वाली पास की मासिक/वार्षिक आधार पर अर्थात जनवरी से दिसंबर तक प्रत्येक प्रकार की पास के लिए सारणीबद्ध रूप में एक अलग रजिस्टर/लेजर बनाया जाना चाहिए जो निम्नलिखित सारणीबद्ध प्रपत्र "बी" के अनुसार हो :-
- पीआईए को हस्ताक्षर के बाद अपना पूरा नाम और मोहर के साथ तारीख का उल्लेख होना चाहिए।
- संबंधित (पीआईए) द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैनुअल पास जारी करने के संबंध में उचित कर्तव्य प्राधिकरण पत्र उपलब्ध होना चाहिए।
- पीआईए के नमूना हस्ताक्षर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित और अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदन के बाद रेलवे लाभार्थियों को एकल

काउंटर से प्रासंगिक मैनुअल पास जारी किया जाएगा।

- पास के काउंटरफॉइल में, संबंधित डीलर के हस्ताक्षर के साथ नाम उपलब्ध होना चाहिए यदि पास पर डीलर के अलावा किसी अन्य द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो।
- मेडिकल रेफरल संदर्भ या अन्य उद्देश्य के साथ मैनुअल रूप से जारी किए गए प्रत्येक पास के लिए निर्भरता प्रमाण, पात्रता की श्रेणी और संपर्क नंबर उपलब्ध होना चाहिए।

14. रेलवे रोगियों के आहार संबंधी मामलों में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में:

रेलवे को जल्द खराब होने वाली आहार सामग्री की आपूर्ति के संबंध में एक मंडल रेलवे अस्पताल में निवारक जांच के दौरान अस्पताल की प्रक्रियात्मक खामियां देखी गईं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को ऐसी खामियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की सलाह के साथ-साथ सुझाव के अनुसार निम्नलिखित सिस्टम सुधार अपनाने की सलाह दी जा सकती है।

- एनएफआर पर रसोई सुविधाओं वाले सभी रेलवे अस्पतालों के पास एफएसएसआई से खाद्य लाइसेंस होना चाहिए।
- प्रत्येक माह के अंतराल पर पहले से पकाए गए भोजन की गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रोटोकॉल मानदंड होने चाहिए।
- विभिन्न प्रकार के रोगियों द्वारा कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए आइटम के अनुसार एक विस्तृत आहार चार्ट (मेनू) रोगी वार्ड के साथ-साथ रसोई कक्ष में भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- रिकॉर्ड के लिए भोजन की गुणवत्ता के लिए रोगी या रोगी के परिजनों से फीडबैक लिया जाना चाहिए और उसे भविष्य में निरीक्षण के लिए रखा जाना चाहिए और यदि फीडबैक सही नहीं है तो उसका निवारण किया जाना चाहिए।
- यदि रसोई सेवा आउटसोर्स की जा रही है तो सभी संविदा कर्मचारियों को अपनी नेम प्लेट के साथ हॉस्पिटल किचन लोगो के साथ उचित वर्दी में होना चाहिए और भविष्य की निविदाओं के एनआईटी में समान नियम और शर्तें शामिल की जानी

चाहिए।

- शिफ्टवार संविदा कर्मचारियों की उपस्थिति अस्पताल के पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा ली और प्रतिहस्ताक्षरित की जानी चाहिए।
- अस्पताल की रसोई का फर्श अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए और रसोई कक्ष के अंदर या आसपास किसी भी तरह का अस्वच्छ वातावरण नहीं होना चाहिए।
- राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला/गुवाहाटी से खाद्य गुणवत्ता रिपोर्ट समय पर सुनिश्चित करें।
- रोगी के ठीक होने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला भोजन आवश्यक है। रोगी को उनके लिए सही भोजन चुनने में मदद करने के लिए मुख्य आहार विशेषज्ञ के साथ काम करके आहार चार्ट विकसित किया जाना चाहिए।

15. एनएफ रेलवे के स्टोर डिपो की विभिन्न इकाइयों में खतरनाक अपशिष्ट स्क्रेप की बिक्री और निपटान के लिए बोलीदाता द्वारा वैध सीपीसीबी लाइसेंस धारण करने के संबंध में:

एनएफ रेलवे के स्टोर डिपो की विभिन्न इकाइयों में खतरनाक अपशिष्ट स्क्रेप सामग्री की ई-नीलामी और डिलीवरी के माध्यम से नीलामी बिक्री के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में सतर्कता जांच में, यह देखा गया है कि स्टोर डिपो में एक समान प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। एनएफआर के जीएसडी/पांडू में, वैध सीपीसीबी लाइसेंस रखने का प्रतिबंध बोलीदाताओं पर ई-नीलामी चरण में ही लगाया जाता है, हालांकि जीएसडी/न्यूजलपाईगुड़ी, वर्कशॉप स्टोर्स डिपो/डिब्रूगढ़ और वर्कशॉप स्टोर्स डिपो/न्यूबंगाईगांव में वैध सीपीसीबी लाइसेंस रखने का प्रतिबंध स्क्रेप डिलीवरी चरण में बोलीदाताओं पर लगाया जाता है। यानी ई-नीलामी के दौरान सभी पंजीकृत बोलीदाताओं को भाग लेने की अनुमति है। इसलिए, एनएफ रेलवे क्षेत्राधिकार के भीतर विभिन्न डिपो में खतरनाक अपशिष्ट स्क्रेप सामग्री की नीलामी बिक्री और वितरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में भिन्नता है।

उपरोक्त मामले पर, "ई-नीलामी के माध्यम से स्क्रेप की बिक्री की विशेष शर्तों" के

पैरा 16.1 और 16.2 में उल्लेख किया गया है कि “खतरनाक कचरे के ऐसे लॉट के संभावित बोलीदाताओं के पास पंजीकरण होना चाहिए, जो ई-नीलामी की तारीख और डिलीवरी की तारीख, रीसायकल/प्री-प्रोसेसर के रूप में उस दिन वैध हो।” और इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), भारत सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई हो। सफल बोली लगाने वाला, जिसका बोली रेलवे प्रशासन द्वारा स्वीकार कर ली गई है, सामग्री की डिलीवरी लेते समय ऐसे पंजीकरण के मूल वैध दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विफलता के मामले में, रेलवे प्रशासन बिक्री रद्द कर सकता है और बयाना राशि जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सलाह दी जाती है कि एनएफ रेलवे की सभी संबंधित इकाइयों को, जो खतरनाक कचरे की ई-नीलामी और स्कैप निपटते प्रक्रिया से निपट रहे हैं, ई-नीलामी के माध्यम से स्कैप की बिक्री की “विशेष शर्तें” के पैरा 16.1 और 16.2 के अनुसार एक समान प्रक्रिया का पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

16. जनशक्ति संबंधी अनुबंध के संबंध में:

आमतौर पर देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन विंग नई परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे को संभालता है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद, यह विंग तैयार परिसंपत्तियों को संचालन और रखरखाव के लिए ओपन लाइन को सौंप देता है। एनएफ रेलवे के निर्माण विंग ने प्राक्कलन के दौरान नवीनतम मानदंडों के अनुसार इन अनुबंधों में शामिल जनशक्ति की संख्या जैसे उचित दिशानिर्देशों का पालन करने के बजाय जनशक्ति-उन्मुख अनुबंधों को संसाधित करते समय कार्य संस्कृति के अपने पारंपरिक पैटर्न का पालन किया और कार्य अनुबंध के बजाय सेवा अनुबंध के रूप में निविदा प्रकाशित की गई।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया गया है जिसमें यदि निर्माण विंग के तहत एक जनशक्ति-आधारित अनुबंध प्रस्तावित किया जा रहा है, तो प्राक्कलन के दौरान नवीनतम मानदंड के अनुसार शामिल जनशक्ति की संख्या के संबंध में सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और कार्य अनुबंध के बजाय

सेवा अनुबंध के रूप में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए।

17. भूमिगत केबल बिछाने से संबंधित निविदा दस्तावेज़/अनुबंध समझौते में 'चट्टानी मिट्टी' को परिभाषित करने के संबंध में

सिगलन एवं दूरसंचार केबलों की स्थापना से संबंधित एक अनुबंध परियोजना के लिए की गई निवारक जांच के दौरान, यह पता चला कि गिट्टी सामग्री से भरी मिट्टी में किए गए उत्खनन कार्य को अनुबंध के शेड्यूल आइटम "चट्टानी मिट्टी में ट्रेचिंग" के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। कुछ उदाहरणों में, जिस मिट्टी में गिट्टी के ढीले कण थे उसे भी चट्टानी मिट्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह विसंगति समस्याग्रस्त है क्योंकि चट्टानी मिट्टी में ट्रेचिंग की लागत नियमित मिट्टी की तुलना में काफी अधिक है। नतीजतन, "गिट्टी से भरी मिट्टी" में खाई खोदने को अनुचित माना गया है जैसे कि यह चट्टानी मिट्टी हो। इसके अलावा, यह देखा गया है कि अनुबंध समझौता और निविदा दस्तावेज़ मिट्टी के वर्गीकरण या चट्टानी मिट्टी में ट्रेचिंग के लिए दिशानिर्देशों की स्पष्ट परिभाषा प्रदान नहीं करते हैं। इन दस्तावेज़ों में न तो आइटम विवरण और न ही तकनीकी विशिष्टताएँ चट्टानी मिट्टी की पहचान के लिए मानदंड निर्दिष्ट करती हैं। अनुबंध समझौते में चट्टानी मिट्टी के लिए स्पष्ट परिभाषा की अनुपस्थिति से मिट्टी के प्रकारों का गलत वर्गीकरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय परिणाम हो सकते हैं क्योंकि चट्टानी मिट्टी में ट्रेचिंग की लागत सामान्य मिट्टी की तुलना में काफी अधिक है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुधार का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य निविदा दस्तावेज़ और अनुबंध समझौते के भीतर मिट्टी वर्गीकरण मानदंड को शामिल करना है, विशेष रूप से उस अनुभाग में जो कार्य की अनुसूची में "चट्टानी मिट्टी में ट्रेचिंग" आइटम से संबंधित है। यह समावेशन चट्टानी मिट्टी के रूप में क्या योग्य है, इसकी एक स्पष्ट और सटीक परिभाषा प्रदान करने के साथ-साथ ऐसी स्थितियों में ट्रेचिंग के लिए नियोजित की जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं, जैसे छेनी काटना या ब्लास्टिंग आदि की रूपरेखा प्रदान करने का काम करेगा। इस प्रणाली में सुधार के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है चट्टानी मिट्टी में ट्रेचिंग से जुड़ी बढ़ी हुई लागत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार उचित और तर्कसंगत है।

18. पूर्व में ग्रुप डी से ग्रुप सी में और ग्रुप सी में ही पदोन्नति के लिए चयन के संबंध में तथा सीबीटी मोड द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता जांच।

पिछले कुछ वर्षों में मंडलों/कारखानों में चयन के तहत विभिन्न शिकायतों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप सतर्कता जांच के दौरान, प्रश्न तैयार करने के साथ-साथ मूल्यांकन में भी भारी अनियमितताएं देखी गईं। एक कारखाना में चयन में, लगभग 90% प्रश्न पास के मंडल के पिछले चयन से कॉपी किए गए हैं। कभी-कभी, मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन में इतने लापरवाह होते हैं कि एक ही उत्तर को कुछ उम्मीदवारों के लिए सही और अन्य उम्मीदवारों के लिए गलत के रूप में चिह्नित किया जाता है। यहां तक कि प्रयास न किए गए उत्तरों को भी गलत माना जाता है, जिससे अनियमित रूप से उम्मीदवारों के 1/3 अंक कट जाते हैं। जैसा कि कुछ चयनों में पता चला है, सही उत्तरों का मूल्यांकन गलत के रूप में किया जाता है। एक चयन में, उत्तर के कुछ हिस्सों को मूल उत्तर स्क्रिप्ट में अनुचित साधनों के साथ संशोधित किया गया है, जो डुप्लिकेट उत्तर स्क्रिप्ट के साथ मिलान करते समय पता चला है। जैसा कि चयनों की श्रृंखला में देखा गया है, पी-ब्रांच अधिकारी द्वारा गलत उत्तरों के लिए 1/3 अंक काटने की उचित सलाह नहीं दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा की गई शिकायतों के बाद पाई गई ऐसी अनियमितताओं के परिणामस्वरूप, कुछ चयन रद्द कर दिए गए हैं। कुछ चयनों में उपरोक्त अनियमितताओं के कारण न्यायालयीन मामले लंबित हैं।

एक-दो मंडलों में विभागीय चयन के प्रश्नपत्र लीक होने की काफी शिकायतें मिलती रहती हैं। लेकिन, उचित सबूत के अभाव में भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए अनुचित साधनों के ऐसे आरोपों को साबित करना बहुत मुश्किल है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता जांच के तहत भी इसी तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

रेलवे बोर्ड पहले ही सीबीटी मोड के लिए परीक्षा आयोजित करने की सलाह दे चुका है। रेलवे बोर्ड द्वारा एक बड़ा प्रश्न बैंक बनाने की भी सलाह दी गई, जिसमें से कंप्यूटर आधारित परीक्षण आयोजित करने के लिए रैंडम रूप से प्रश्नों का चयन किया जा सके।

प्रश्न सेटिंग, मूल्यांकन, पैनेलों की ड्राइंग आदि में अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही कथित भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, रेलवे के हाथ में सबसे अच्छा उपकरण सभी चयनों में सीबीटी और अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता परीक्षा है। इससे पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होगी और साथ ही मेधावी रेलवे कर्मचारियों को चयन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जोनल विजिलेंस ने सीजीए के लिए सभी विभागीय चयन और उपयुक्तता जांच सीबीटी मोड में आयोजित करने का सुझाव दिया है, जैसा कि ग्रेड सी से ग्रेड बी पद के चयन के लिए पहले ही किया जा चुका है। संकलन के लिए एक बड़ा प्रश्न बैंक, यदि अभी तक नहीं बनाया गया है, बनाने की व्यवस्था करने के लिए सभी पीएचओडी/डीआरएम/सीडब्ल्यूएम से संपर्क किया जा सकता है। अन्य औपचारिकताओं, आवश्यकताओं को तदनुसार योजनाबद्ध किया जा सकता है, ताकि सीबीटी मोड को जल्द से जल्द अधिमानतः 1 जुलाई 2023 तक लागू किया जा सके, । इस संबंध में कार्यान्वयन की तारीख, बड़े प्रश्न बैंक के निर्माण आदि के साथ कार्य योजना के बारे में 25.04.2023 तक अधोहस्ताक्षरित को सूचित किया जा सकता है।

19. छात्रावास अनुदान हेतु विद्यालय आवासीय प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में।

सतर्कता जांच के दौरान, एक मंडल में यह पाया गया कि कुछ कर्मचारियों ने कुछ आवासीय विद्यालयों के फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा किया है, हालांकि उनके बच्चे ऐसे आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ रहे हैं।

यह अनुरोध किया गया है कि सभी मंडलों/कारखानों/इकाइयों को संबंधित कर्मचारियों को भुगतान करने से पहले संबंधित संस्थान के प्रमुख से उस क्षेत्राधिकार के कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक द्वारा छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के दावे के लिए स्कूल प्रमाण पत्र की वास्तविकता का सत्यापन करना चाहिए और साथ ही आवासीय परिसर में भोजन और आवास पर संबंधित कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि का भी सत्यापन करना चाहिए।

यह भी सलाह दी गई है कि संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को सीईए/हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले कर्मचारियों के नाम और पदनाम का उल्लेख करते हुए एक रजिस्टर रखना चाहिए, जिसमें उन बच्चों के नाम जिनके लिए ऐसे कर्मचारियों द्वारा सीईए/हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया था/ किया जा रहा है, नाम प्रतिपूर्ति के लिए दावा किए गए स्कूलों, कक्षा, सत्रों और सीईए/हॉस्टल सब्सिडी की राशि का उल्लेख हो। डीलिंग असिस्टेंट को कर्मचारियों के प्रत्येक दावे के सामने अपना पूरा हस्ताक्षर और पदनाम लगाना चाहिए और संबंधित अधीनस्थ प्रभारी/अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

20. विभागीय चयन/उपयुक्तता जांच में लिखित परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में पर्याप्त संख्या सीसी टीवी कैमरों की व्यवस्था।

अनुकंपा के आधार पर सभी विभागीय चयन और नियुक्ति के मामले में सतर्कता जांच के दौरान यह पाया गया कि लिखित परीक्षा आयोजित करते समय परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे की कोई व्यवस्था नहीं थी।

चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और फुलप्रूफ बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया कि विभागीय चयन के लिए प्रत्येक लिखित परीक्षा और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए लिखित उपयुक्तता परीक्षा विभिन्न एंगलों से पर्याप्त दृश्यता के साथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आयोजित की जानी चाहिए, ताकि वीडियो फुटेज प्राप्त हो सके। संपूर्ण प्रक्रिया को बाद में, जब भी आवश्यक हो, देखा जा सकता है। यह आगे के सभी चयनों/उपयुक्तता परीक्षणों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। फुटेज की एक सीडी/डीवीडी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा संरक्षित की जानी चाहिए और जब भी आवश्यक हो, एक प्रति आगे की जांच के लिए सतर्कता विभाग को भेजी जानी चाहिए।

21. विभागीय चयन हेतु व्यवस्था सुधार के संबंध में।

विजिलेंस जांच के दौरान पाया गया कि विभागीय चयन में कुछ कमियां हैं, जिसके लिए मौजूदा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। विभागीय चयन में देखी गई मुख्य अनियमितताएँ इस प्रकार हैं।

1. यद्यपि चयन दिशानिर्देश प्रश्न सेट करने वालों, मूल्यांकनकर्ताओं और हॉल

अधिकारियों को सूचित किए जाते हैं, फिर भी चयन बोर्ड के सदस्य कभी-कभी अपनी संबंधित भूमिकाओं में निर्देशों का पालन करने में विफल होते हैं। कुछ मामलों में, कैडर अधिकारियों ने चयन बोर्ड के सदस्यों को उचित दिशानिर्देशों की जानकारी नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप पूरी चयन प्रक्रिया में भारी अनियमितताएँ हुईं।

2. सतर्कता जांच के दौरान देखी गई सामान्य अनियमितताएँ हैं: मूल्यांकनकर्ता एलडीसीई/आईए कोटा के तहत लिखित परीक्षा और सामान्य चयन में नकारात्मक अंक नहीं काटते हैं; काटे गए, मिटाए गए और ओवरराइटिंग किए गए प्रश्नों पर भी अंक दिए गए; सही उत्तरों का गलत के रूप में मूल्यांकन किया गया और गलत उत्तरों का सही के रूप में मूल्यांकन किया गया और अंक दिए गए; अंकों के योग में त्रुटि; कुछ प्रश्नों के उत्तर डुप्लिकेट उत्तर पुस्तिकाओं में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ये मूल उत्तर पुस्तिकाओं में पाए जाते हैं; मूल उत्तर पुस्तिका में पाए गए उत्तर उन्हीं अभ्यर्थियों की डुप्लिकेट उत्तर पुस्तिकाओं से भिन्न हैं, और समिति के सदस्यों ने कार्यवाही में अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम और तारीख नहीं लिखी है।
3. ऐसा भी प्रतीत होता है कि कार्यवाही करते समय, चयन बोर्ड के सदस्य इकट्ठे नहीं हुए और उत्तर पुस्तिकाओं, गोपनीय रिपोर्टों, सेवा के रिकॉर्ड जैसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच नहीं की और यह पुष्टि नहीं की कि रेलवे बोर्ड के सभी निर्देशों का पालन किया गया है। रेलवे बोर्ड ने मास्टर सर्कुलर 31 में दोहराया कि चयन की जिम्मेदारी चयन बोर्ड के सभी सदस्यों की सामूहिक है।

उपरोक्त अनियमितताओं से बचने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि कार्यवाही शुरू करने से पहले, चयन बोर्ड के सदस्यों को इकट्ठा होकर मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी चाहिए, डुप्लिकेट उत्तर पुस्तिकाओं, गोपनीय रिपोर्ट, सेवा के रिकॉर्ड, एसपीई/सतर्कता/डीएआर क्लियरेंस आदि की संबंधित प्रतियों के साथ मिलान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैनल में शामिल उम्मीदवारों के लिए उनकी सिफारिश क्रम में है और अधिसूचना और रेलवे बोर्ड के प्रावधानों के अनुसार है। इसके अलावा, सदस्यों को कार्यवाही में अपने हस्ताक्षर के ठीक नीचे

प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम और तारीख लिखनी चाहिए।

22. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में व्यवस्था सुधार.

सतर्कता जांच के दौरान यह देखा गया है कि सीजीए मामलों में कुछ कमियां व्याप्त हैं जिनके लिए मौजूदा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। सीजीए मामलों के विभिन्न चरणों में पारदर्शिता बनाए रखने की दृष्टि से, निम्नलिखित सुझाव सभी मंडलों/कारखानों/इकाइयों को परिपत्रित किए जा सकते हैं:

क्र. सं.	अनियमितताएं देखने को मिलीं	सिस्टम में सुधार का सुझाव दिया गया
1	सीजीए के कुछ मामलों में, पूर्व कर्मचारी की विधवा/बच्चे द्वारा अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, सीजीए के लिए आवेदन करने की सही तारीख का पता नहीं लगाया जा सकता है।	यह सुझाव दिया गया है कि कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीजीए के लिए आवेदन में आवेदक द्वारा आवेदन की तारीख का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, आवेदन में संबंधित अधीनस्थ प्रभारी के हस्ताक्षर की तारीख का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जहां पूर्व कर्मचारी ने अंतिम बार काम किया था।
2	यह देखा गया है कि उम्मीदवारों को उपयुक्तता परीक्षा/स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के तुरंत बाद आवंटित श्रेणियों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है। कभी-कभी, उपयुक्तता जांच/स्क्रीनिंग टेस्ट की कार्यवाही के अनुमोदन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित श्रेणी को छिपाते हुए, केवल उपयुक्त/अनुपयुक्त उम्मीदवारों का उल्लेख करते हुए नोटिस बोर्ड पर एक कार्यालय नोट लटका दिया जाता है।	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्रेणियों के आवंटन के साथ उपयुक्तता/स्क्रीनिंग परीक्षण के परिणाम की मंजूरी मिलते ही आवेदकों/उम्मीदवारों को उसी दिन व्हाट्सएप, ईमेल आदि के माध्यम से (डीलर द्वारा) /गोपनीय सहायक द्वारा, जो सबसे पहले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद श्रेणी के साथ परिणाम प्राप्त करता है और तैयार करता है, लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। पत्र की प्रतियां उन सभी शाखा अधिकारियों/संबंधित वरिष्ठ अधीनस्थों को भेजी जानी चाहिए जहां पूर्व कर्मचारी ने काम किया था। सीजीए के लिए श्रेणियों के आवंटन के साथ परिणाम अगले दिन एनएफरेलवे की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाना चाहिए।

3	यह देखा गया है कि उम्मीदवारों को डीलर/कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक द्वारा फोन पर उपयुक्तता (लिखित) परीक्षा/स्क्रीनिंग टेस्ट, मेडिकल परीक्षा आदि में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है। यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि उम्मीदवारों को कब सूचित किया गया है।	आवेदक/अभ्यर्थी को पहले ही लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। इसकी प्रतियां फोन पर मौखिक रूप से सूचित करने के अलावा ईमेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से भेजी जानी चाहिए और इसे परिणाम को मंजूरी देने वाले और श्रेणियां को आवंटित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है।
4	यद्यपि जीएम (पी)/मालीगांव को सीजीए के लिए रजिस्टर बनाए रखने के निर्देश हैं, लेकिन मंडलों ने रजिस्टर को ठीक से बनाए नहीं रखा है। यहां तक कि आवेदन की तिथि भी रजिस्टर में दर्ज नहीं है।	सीजीए के लिए आवेदन की तारीख, आवेदन प्राप्त होने की तारीख, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक को मामला सौंपने की तारीख, एस एंड डब्ल्यूआई की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख, उपयुक्तता जांच की तारीख, मेडिकल परीक्षा के लिए भेजने की तारीख, आवंटित श्रेणियों ऑफर लेटर जारी होने की तारीख, नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख, ज्वु-इनिंग की तारीख का उल्लेख करते हुए एक रजिस्टर का रखरखाव किया जाना चाहिए। । रजिस्टर में एक मुद्रित क्रमांक होना चाहिए।
5	मॉडल प्रश्न बैंक एवं नमूना प्रश्न पत्रों के संबंध में:	सीजी पर नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए, नमूना प्रश्न पत्रों के साथ मॉडल प्रश्न बैंक, अधिमानतः ग्रेड सी पद के लिए पहले से आयोजित उपयुक्तता परीक्षा के प्रश्न पत्र एनएफरेलवे की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाने चाहिए।

6	जहां कर्मचारी काम कर रहा था, मूल कैडर द्वारा पूर्व कर्मचारी के एसआर में प्रविष्टि	सीजीए नियुक्ति की नकल से बचने के लिए, विशेष रूप से समय बाधित मामलों में, और भविष्य में कानूनी जटिलता से बचने के लिए, नियुक्ति विवरण, जैसे आवेदक का नाम, उम्मीदवार का नाम, सीजी पर आवंटित पद, किससे अर्धी-नस्थ काम करना, नियुक्ति की तारीख आदि पूर्व कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इसे अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। पूर्व कर्मचारी की ई-एसआर में प्रविष्टि को सीजीए नियुक्त व्यक्तियों (पूर्व कर्मचारी के वार्ड/पत्नी) के विवरण के साथ भी अद्यतन किया जाना है।
7	आवेदन में आवेदक/उम्मीदवार की व्हाट्सएप नं., ईमेल आईडी	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन में दो कॉलम जोड़े जाने चाहिए, यानी व्हाट्सएप नंबर और आवेदक/उम्मीदवार की ईमेल आईडी। यह उम्मीदवार के साथ भविष्य में संचार के लिए सहायक होगा।

सभी संबंधितों को तदनुसार सलाह देने का सुझाव दिया गया है।

23. रियल टाइम के आधार पर सीजीए मामलों की निगरानी।

सतर्कता जांच के दौरान यह पाया गया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के कुछ मामलों के निष्पादन में अनुचित देरी हुई है। प्रत्येक सीजीए मामले के विभिन्न चरणों की निगरानी के लिए, एक Google स्प्रेडशीट प्रस्तावित है जिसमें पूर्व कर्मचारी की मृत्यु की तारीख/चिकित्सकीय रूप से अयोग्य/डी-कैटेगोराइज्ड, विधवा/वार्ड के आवेदन की तारीख आदि से नियुक्ति की तारीख तक जो डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। भर्ती सेल के संबंधित कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक और डीलिंग असिस्टेंट द्वारा नियमित रूप से भरा जाना है।

24. मुख्यालय से 'पी' शाखा के अधिकारियों द्वारा चयन कार्यवाही की लगातार जाँच के संबंध में।

विजिलेंस जांच के दौरान पिछले कुछ वर्षों में हुए अधिकांश मंडलों/कारखानों के

चयन में अनियमितताएं सामने आई हैं। गंभीर अनियमितताओं के परिणामस्वरूप, कुछ चयन या तो मंडल प्राधिकारी द्वारा या जोनल विजिलेंस की सिफारिश से रद्द कर दिए गए हैं।

कुछ चयनों में यह देखा गया है कि मूल्यांकनकर्ताओं ने कुछ एमसीक्यू के सही उत्तरों को कुछ उम्मीदवारों के लिए गलत के रूप में चिह्नित किया है और अन्य उम्मीदवारों के लिए उसी उत्तर को सही के रूप में मूल्यांकन किया है। कभी-कभी, एलडीसीई कोटा के साथ चयन, सामान्य चयन जहां गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होता है, प्रश्न सेट करने वाले, मूल्यांकनकर्ता और उम्मीदवारों को ठीक से निर्देश नहीं दिया जाता है। उपरोक्त अनियमितताओं के परिणामस्वरूप, लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल नहीं किया गया है और कम अंक प्राप्त करने वाले अन्य अभ्यर्थियों को गलती से सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा, जिस कैडर अधिकारी के पास कोडिंग और डिकोडिंग का काम है, उसने डमी नंबर के साथ हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह पता लगाना मुश्किल है कि उत्तर पुस्तिकाओं को किसने कोड किया है। मॉडल उत्तर कुंजी को गोपनीय फाइल में नहीं रखा गया है, न ही संवर्ग अधिकारी द्वारा रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यकता पड़ने पर जांच में कठिनाई होती है।

चूंकि जोनल विजिलेंस के लिए डिवीजनों/डब्ल्यूएस/यूनिटों द्वारा किए गए सभी चयनों की जांच करना संभव नहीं है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि पीसीपीओ पहले से ही पूर्ण किए गए चयनों की लगातार जांच के लिए कार्मिक शाखा/मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने के लिए एक कार्य योजना बना सकता है, ताकि प्रासंगिक स्थापना नियमों का पालन करते हुए चयन का सकारात्मक कार्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे भविष्य के चयन में भी सटीकता और पारदर्शिता आएगी।

लगातार जांच के लिए कार्य योजना के अनुसार जोनल विजिलेंस को सूचित किया जाना चाहिए।

25. पैनल में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के समय कॉल लेटर,

ओएमआर शीट, उपस्थिति पत्र, घोषणा पत्र जैसी मूल प्रतियां संबंधित विभागों/मंडलों में भेजने के संबंध में व्यवस्था में सुधार।

सतर्कता जांच के दौरान, यह देखा गया कि मूल दस्तावेज जैसे आवेदन, कॉल लेटर, ओएमआर शीट, उपस्थिति शीट, आरआरबी/आरआरसी के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों के घोषणा पत्र आदि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जैसे लिखित परीक्षा, योग्यता परीक्षा, पीईटी (जहां भी लागू हो) के दौरान एकत्र किए गए थे। दस्तावेज सत्यापन उस विभाग के संबंधित कैडर अनुभाग द्वारा बनाए गए उम्मीदवारों की व्यक्तिगत केस फ़ाइल के साथ उपलब्ध नहीं हैं जहां उम्मीदवार तैनात हैं। परिणामस्वरूप, आरआरबी/आरआरसी आदि द्वारा भर्ती किए गए ऐसे किसी भी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिरूपण के मामलों की उचित जांच करना संभव नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया गया है कि अध्यक्ष, आरआरबी/आरआरसी, पीसीएससी आदि को लिखित परीक्षा के दौरान एकत्र किए गए उम्मीदवारों के कॉल लेटर, उपस्थिति शीट, घोषणाओं को आरआरबी/आरआरसी/कार्यालय फ़ॉइल की सभी मूल प्रतियां भेजनी चाहिए। योग्यता परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), दस्तावेज सत्यापन, आवेदन, ओएमआर शीट, यदि कोई हो, आदि डॉकैट मामलों के साथ या बाद में आरआरबी/आरआरसी या अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों की आवश्यक औपचारिकताओं के बाद, यदि कोई हो, मूल दस्तावेजों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में आरआरबी/आरआरसी आदि के पास रखना, जैसा भी मामला हो, ताकि सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त प्रतिरूपण के मामलों की उचित जांच की जा सके।

26. सेवा अभिलेख में प्रविष्टि के संबंध में

सतर्कता जांच के दौरान, यह देखा गया है कि छुट्टी खाते, छुट्टी की अवधि, अनुपस्थिति, एलडब्ल्यूपी आदि सहित सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि को डीलिंग असिस्टेंट या किसी अन्य द्वारा सुधार, ओवरराइटिंग, मिटाने, तरल पदार्थ का उपयोग आदि के माध्यम से टेम्पर्ड किया जाता है। कार्यालय में इस तरह के सुधार को अधीनस्थ प्रभारियों/संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। लेकिन गलत इरादे से इस तरह के सुधार में शामिल संबंधित डीलिंग असिस्टेंट की बाद में पहचान नहीं

किया जा सकता, क्योंकि उसने प्रभारी अधिकारियों/अधीनस्थ के सत्यापन के तहत अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे।

इस प्रकार, यह सुझाव दिया गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड में बार-बार के सुधार से बचने की सलाह दी जानी चाहिए, विशेषकर अवकाश खातों में। छुट्टी खाते में छुट्टी की प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप में दर्ज और सत्यापित की जानी चाहिए। किसी भी प्रविष्टि को मिटाने या ओवरराइट करने से बचना चाहिए। जहां भी सुधार वास्तव में आवश्यक हो, संबंधित अधिकारियों की अग्रिम मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए और डीलिंग सहायक को ऐसे सुधारों को सत्यापित करने वाले संबंधित अधिकारी/अधीनस्थ प्रभारी के हस्ताक्षर के ठीक नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर और पदनाम डालना चाहिए। अन्य प्रविष्टियों जैसे पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन निर्धारण, दंड में प्रविष्टियाँ, सेवा पुस्तिका और अवकाश खाते में प्रविष्टि का आवधिक सत्यापन आदि के लिए, संबंधित सहायक को संबंधित अधिकारी/अधीनस्थ प्रभारी के हस्ताक्षर के ठीक नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करना चाहिए।

यह भी देखा गया है कि कुछ अधीनस्थ इकाइयों में कर्मचारियों की व्यक्तिगत केस फाइलों को फ़ाइल के प्रत्येक पृष्ठ में उचित सीरियल नंबर (एसएन) अंकित किए बिना बहुत लापरवाही से निपटाया जा रहा है। परिणामस्वरूप, नियुक्ति पत्र, पदोन्नति या पोस्टिंग आदेश, एलएपी आवेदन, अन्य कार्यालय आदेश, पारिवारिक घोषणाएं, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है। इससे किसी भी कर्मचारी को अनुचित विशेषाधिकार देने के लिए किसी भी समय सेवा रिकॉर्ड में हेरफेर करने की गुंजाइश रह जाती है।

सभी प्रभागों/कार्यशालाओं/अधीनस्थ इकाइयों से अनुरोध किया गया है कि वे लक्ष्य अवधि के भीतर व्यक्तिगत केस फ़ाइल के प्रत्येक पृष्ठ की उचित क्रम संख्या को सख्ती से बनाए रखें, ताकि व्यक्तिगत केस फ़ाइलों के रिकॉर्ड को ठीक से बनाए रखा जा सके।

यह भी देखा गया है कि अधिकांश कार्यालयों में, विशेष रूप से अतिरिक्त-डिवीजनल इकाइयों, अधीनस्थ इकाइयों, शेडों आदि में, एलएपी को व्यक्तिगत

मंजूरी के पीपी पक्ष में उसकी मंजूरी दर्ज किए बिना छुट्टी आवेदन में संबंधित मंजूरी प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी जा रही है। इसके बाद, यदि एलएपी आवेदन को फ़ाइल से अलग कर दिया जाता है, तो छुट्टी रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना होगी। अवकाश खातों के अनुचित रखरखाव के कारण राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए, ऐसी सभी इकाइयों को केवल एचआरएमएस में अवकाश प्रबंधन पोर्टल में ही अवकाश स्वीकृत करने का सुझाव दिया गया है। कैडर अधिकारी और छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी को एचआरएमएस मॉड्यूल में छुट्टी की मंजूरी देने से पहले सेवा रिकॉर्ड से संबंधित हार्ड कॉपी में देय वास्तविक छुट्टी की जांच सुनिश्चित करना चाहिए।

27. दण्ड अधिरोपण एवं सेवा अभिलेख में प्रविष्टि के संबंध में।

मंडलों की विभिन्न इकाइयों/कार्यालयों में निवारक जांच के दौरान, यह देखा गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना जैसे पदोन्नति रोकना, निचले स्तर पर कटौती करना, संबंधित डीलिंग और बिल क्लर्कों द्वारा वेतन, ग्रेड, पद या सेवा आदि लगाने के लिए एनआईपी जारी किया जाता है, लेकिन जुर्माना लगाने में देरी होती है। जुर्माना लगाने में इस तरह की देरी के परिणामस्वरूप दोषी कर्मचारियों को गलत पदोन्नति मिल सकती है।

निवारक जांच के दौरान यह भी देखा गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा एनआईपी जारी होने के बाद भी संबंधित कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में एनआईपी की प्रविष्टि में देरी हो रही है।

सभी संबंधित कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे दंड को सेवा रिकॉर्ड में तुरंत दर्ज करने और समय पर दंड लागू करने के लिए बोर्ड के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सेवा रिकॉर्ड में लाल स्याही से सजा की उचित प्रविष्टि सुनिश्चित करनी चाहिए और उसे सत्यापित करना चाहिए। एनआईपी में कर्मचारियों (पीएफ या एनपीएस) नंबर का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। कैडर अधिकारी को इसे विधिवत प्रमाणित करते हुए एसआर में दंड की त्वरित प्रविष्टि भी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा, डी एंड एआर सेल और कैडर

अनुभाग के डीलरों को अपने संबंधित अनुभागों में दंड का उचित रजिस्टर रखना चाहिए, जिसमें दंड की प्रकृति और जुर्माना लगाने की अवधि, निर्धारण वेतन आदि दर्ज करना चाहिए। कैडर डीलर को संबंधित व्यक्तिगत मामले की फाइल में एनआईपी दाखिल करना चाहिए। दोषी कर्मचारी का बिल अनुभाग के संबंधित डीलर को अपने द्वारा रखी गई संबंधित फाइल में एनआईपी की प्रति भी दाखिल करनी चाहिए और तदनुसार जुर्माना लगाना चाहिए। इसी प्रकार, बिल पारित करने वाले अनुभाग के एसओ/सीनियर एसओ को भी उचित फाइल और रजिस्टर बनाए रखते हुए जुर्माने का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। कैडर अधिकारी/यूनित के संबंधित अधिकारी और बिल तैयार करने वाले अधिकारी को समय-समय पर जांच करके जुर्माना लगाना सुनिश्चित करना चाहिए।

28. आईपीएस मॉड्यूल में पीएफ खातों के रखरखाव के संबंध में

एक शिकायत के संबंध में विजिलेंस जांच के दौरान डिवीजनों में से एक में पीएफ बही-खातों में हेराफेरी और हेराफेरी, यह देखा गया है कि फर्जी जेवी (जर्नल वाउचर) बनाकर 4,42,14,692/- रुपये की राशि को धोखाधड़ी से पीएफ हेड (00800903) में स्थानांतरित/जमा किया गया था बिना किसी सहायक वाउचर के वेतन के विभिन्न राजस्व मांग शीर्षों अर्थात् 040241-01, 090250-01 और 090212-01, एनपीएस-एनएवी सरकारी योगदान (130941-98) आदि को डेबिट करके। इसके बाद 4,03,87,406/- रुपये की राशि विभिन्न विभागों के कुछ कर्मचारियों के व्यक्तिगत पीएफ लेजर में धोखाधड़ी से पोर्ट/क्रेडिट किया गया है। तदनुसार, कुछ कर्मचारियों को एचआरएमएस के माध्यम से उनके वास्तविक क्रेडिट बैलेंस से अधिक पीएफ निकासी के लिए आवेदन करके धोखाधड़ी से भुगतान किया गया था। इसे संभागीय लेखा कार्यालय द्वारा आईपीएस के माध्यम से 1,62,50,000/- रुपये के फर्जी भुगतान के लिए पारित किया गया था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित अधिकारियों को इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधार अपनाने की सलाह दी गई है।

- दुरुपयोग से बचने के लिए किसी भी यूजर आईडी का पासवर्ड और ओटीपी ग्रुप में किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।

- सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और दुरुपयोग को रोकने के लिए किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी को आईपीएस/आईआरआईपीएस की एकाधिक उपयोगकर्ता आईडी या एक से अधिक उपयोगकर्ता आईडी आवंटित नहीं की जानी चाहिए।
- ट्रांसफर सर्टिफिकेट और जर्नल वाउचर के माध्यम से किए गए प्रत्येक भुगतान और समायोजन का लेनदेन उचित माध्यम से किया जाना चाहिए और रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2021/एसीआईआई/20/8 दिनांक 27.10.2021 (आरबीए क्रमांक 56/2021) के अनुसार प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक लेनदेन/जर्नल वाउचर में विवरण का समर्थन करने वाले दस्तावेज़/वाउचर हों।
- असामान्य लेनदेन के लेनदेन की निगरानी रिकॉर्ड के लिए मैनुअल जेवी रजिस्टर बनाए रखा जाना चाहिए।
- सिस्टम को इस तरह से सुधारा जाना चाहिए कि सिस्टम में अग्रिम लेनदेन की तारीख की अनुमति न हो। [क्योंकि 1726816/- रुपये की लेजर पोस्टिंग दिनांक 30/09/2022 के सामने एक के कर्मचारियों के पक्ष में दिखाई गई है जो 06/09/2022 को पीएफ लेजर में देखी गई है और इसी तरह 2076487/- रुपये की लेजर पोस्टिंग है दिनांक 28/10/2022 को किसी अन्य कर्मचारी के पक्ष में दर्शाया गया है जैसा कि 06/09/2022 को पीएफ लेजर में देखा गया है।
- सिस्टम में इस तरह से सुधार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक डेबिट/क्रेडिट लेनदेन को प्रभावी बनाने के बाद पुराने ई-रिकॉन जेवी की उचित वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो। क्योंकि वर्ष 2016 और 2018 से संबंधित e-RECON पोर्टल के पुराने जर्नल वाउचर सही लाभार्थियों को राशि जमा होने के बाद भी उपलब्ध थे। सिस्टम की इस तरह की खामी को दूर किया जाना चाहिए।
- ओटीपी धारक की जानकारी के लिए प्रत्येक वित्तीय लेनदेन के विरुद्ध ओटीपी धारक को अलर्ट संदेश प्रणाली शुरू की जानी चाहिए और भेजी जानी चाहिए।
- पीएफ निकासी बिल पारित करने से पहले पिछले पांच वर्षों के पीएफ बही-खातों की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योगदान और

लेनदेन की प्रवृत्ति के अनुसार पर्याप्त पीएफ शेष ठीक है।

29. आईपीएस मॉड्यूल में संविदात्मक बिलों को पारित करने की प्रक्रिया के संबंध में प्रणाली में सुधार।

किसी एक डिविजन में निवारक जांच के दौरान कभी-कभी ऐसा देखने में आया है कार्यकारी कार्यालयों द्वारा संविदात्मक बिलों की ऑनलाइन और हार्ड कॉपी एक साथ खातों में नहीं भेजी जाती है। लेकिन जब तक ऑनलाइन बिल लेखा कार्यालय को नहीं भेजे जाते, बिलों की हार्ड कॉपी लेखा कार्यालय में Co6 रजिस्टर में पंजीकृत नहीं की जा सकती। Co6 लेखा रजिस्टर में बिलों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन बिलों की आवश्यकता होती है। कभी-कभी बिलों की ऑनलाइन और हार्ड कॉपी एक साथ प्राप्त होती है; लेकिन भारतीय रेलवे लेखा संहिता (खंड-1) के पैरा-1104 और एफए एवं सीएओ, निरीक्षण अनुभाग के कार्यालय के मैनुअल के आइटम नंबर 23 पृष्ठ संख्या 34 का उल्लंघन करते हुए किसी न किसी कारण के बहाने लेखा कार्यालय में सीओ 6 रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना बिलों को लंबित रखा जाता है। ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रणाली में सुधार पारदर्शिता और बिलों के त्वरित निपटान या भुगतान के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निम्नलिखित सलाह दी जा सकती है। जैसा-

- (i) ऑडिट और भुगतान के लिए संबंधित कार्यकारी कार्यालयों को ऑनलाइन तथा एएमपी, ऑफलाइन संविदात्मक बिल लेखा विभाग को भेजा जाना चाहिए।
- (ii) ऑनलाइन और ऑफलाइन बिल प्राप्त होने पर पारदर्शिता और बिलों के त्वरित निपटान या भुगतान के लिए एफए एंड सीएओ, निरीक्षण अनुभाग भारतीय रेलवे के कार्यालय के मैनुअल का लेखा कोड (खंड-1) और मद संख्या 23 पृष्ठ संख्या 34 पैरा1104 के अनुसार उसे Co6 में पंजीकृत किया जाना चाहिए।

30. आईपीएस पोर्टल में पार्टी मास्टर की प्रविष्टि के संबंध में सिस्टम में सुधार।

एक डिवीजन में निवारक जांच के दौरान, आईपीएस पोर्टल में कुछ अपूर्ण पार्टी मास्टर प्रविष्टि देखी गई, अर्थात् अमान्य खाता संख्या, समान पार्टी के खिलाफ

एकाधिक प्रविष्टि, जीएसटीआईएन नंबर, पैन और एएमपी के लिए प्रदान किया गया कॉलम; मोबाइल नंबर का खाली छोड़ देना आदि। रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार फर्जी संस्थाएं और एएमपी आईपीएस पोर्टल में पार्टी मास्टर के समाप्त हो चुके अनुबंधों को हटाया जाए।

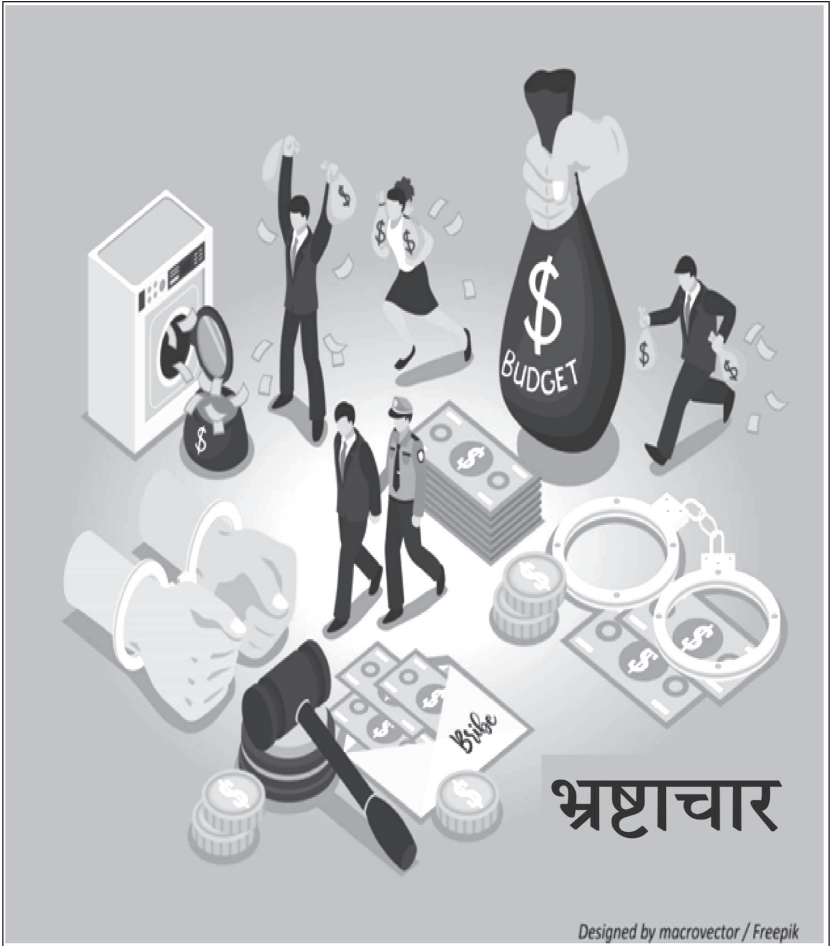
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित अधिकारियों को आईपीएस पोर्टल में एकाधिक पार्टी मास्टर प्रविष्टियों / अपूर्ण प्रविष्टियों के कारण विफल एनईएफटी लेनदेन को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रणाली में सुधार अपनाने की सलाह दी जा सकती है: -

1. मौजूदा सिस्टम में सुधार करके आईपीएस में नया पार्टी मास्टर बनाते समय पार्टी मास्टर में सभी डेटा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
2. आईपीएस पोर्टल से अथूरे पार्टी मास्टर या मल्टीपल पार्टी मास्टर्स को हटाने के लिए आईपीएस मॉड्यूल में पार्टी मास्टर प्रविष्टियों की त्रैमासिक समीक्षा कार्यकारी और सहयोगी खातों द्वारा संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।

31. विफल एनईएफटी लेनदेन के संबंध में सिस्टम में सुधार।

एक डिवीजन में निवारक जांच के दौरान, यह देखा गया कि एक असफल लेनदेन/असफल एनईएफटी लेनदेन केवल आईपीएस के पार्टी मास्टर में गलत बैंक विवरण के कारण हुआ था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित अधिकारियों को इस प्रकार के विफल एनईएफटी लेनदेन को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधार अपनाने की सलाह दी जा सकती है। नीचे बताए गए अनुसार बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए:-

1. किसी भी बिल की प्रक्रिया से पहले, संबंधित कार्यकारी के साथ-साथ सहयोगी लेखा भी सही सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय को सहायक दस्तावेजों के साथ आईपीएस मॉड्यूल में पार्टी मास्टर में बैंक विवरण शीघ्र भुगतान के लिए भुगतानकर्ताओं से उचित बैंक विवरण एकत्र करना चाहिए।



भ्रष्टाचारियों के कई स्वामी होते हैं,
ईमानदार किसी की सेवा नहीं करते ।

व्यापक संपर्क क्षेत्रों में जाँच

पार्सल अंडरचार्ज मामले

- 23.01.2023 को जीएचवाई में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 679 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 12513 तथा 40,013/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 01.03.2023 को जीएचवाई में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 1,500 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 12515 तथा 66,573/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 14.03.2023 को केवाईक्यू में की गई जांच के दौरान ट्रेन नंबर के लीज एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 1,755 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 15667 तथा 75,957/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 28.04.2023 को एजीटीएल में की गई जांच के दौरान ट्रेन नंबर के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 1,900 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 20502 तथा 84,844/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 01.05.2023 को केवाईक्यू में की गई जांच के दौरान ट्रेन नंबर के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 1,443 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 15622 और रु.52,916/- की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 04.05.2023 को एजीटीएल में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 781 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 14620 और रु.43,169/- की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 10.06.2023 को डीबीआरजी में की गई जांच के दौरान ट्रेन नंबर के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 1,571 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 12424 तथा 81,190/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।

- 06.07.2023 को एजीटीएल में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 318 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 14620 और 23,505/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 06.07.2023 को एजीटीएल में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 1,028 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 15625 और 27,085/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 21.07.2023 को एनजेपी/एनओक्यू में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के लीज एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 698 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 13141 और 17,836/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 21.07.2023 को एनजेपी/डीक्यूजी/एनसीबी/एनओक्यू में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के लीज एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 780 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 13141 और रु.18,731/- की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 03.08.2023 को एजीटीएल में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 1,552 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 14620 तथा 73,090/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 04.08.2023 को एजीटीएल में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 1,697 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 13173 तथा 62,235/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 01.09.2023 को एजीटीएल में की गई जांच के दौरान ट्रेन नंबर के पट्टे वाले एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 2,624 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 20502 और 1,20,155/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।
- 06.09.2023 को एजीटीएल में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के पट्टे वाले

एसएलआर में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 1,390 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 14620 तथा 71,858/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।

- 16.09.2023 को जीएचवाई में की गई जांच के दौरान ट्रेन संख्या के लीज वीपी में अनलोडिंग के बाद पार्सल खेप में 4,690 किलोग्राम का अतिरिक्त वजन पाया गया। 12509 तथा 3,49,212/- रुपये की राशि अंडरचार्ज के रूप में वसूल की गई।

1. अंडरचार्ज सामग्री के मामले

- 01.01.2023 को बीपीबी में आयोजित जांच के दौरान स्टोन चिप्स रिक के वजन के बाद माल अंडरचार्ज के रूप में 3,24,923/- रुपये की राशि प्राप्त हुई।
- 02.01.2023 को आरएनआई में की गई जांच के दौरान कोयला रिक के वजन के बाद माल अंडरचार्ज के रूप में 1,23,347/- रुपये की राशि प्राप्त हुई।
- 09.02.2023 को एनजीसी में की गई जांच के दौरान कोयला रिक के वजन के बाद माल अंडरचार्ज के रूप में 31,22,807/- रुपये की राशि प्राप्त हुई।
- 10.03.2023 को AZA स्टेशन पर रिक Ex-BHD-AZA में गलत घोषणा के लिए माल अंडरचार्ज के रूप में 1,77,473/- रुपये की राशि वसूल की गई।
- 03.07.2023 को रिक एक्स-बीएचडी-एससीए/जेआरएनए/बीएक्सजी में गलत घोषणा के लिए माल अंडरचार्ज के रूप में 4,19,047/- रुपये की राशि वसूल की गई।
- 10.07.2023 को रिक एक्स-बीएचडी-एससीए/जेआरएनए में गलत घोषणा के लिए माल अंडरचार्ज के रूप में 99,750/- रुपये की राशि वसूल की गई।
- 10.08.2023 को AZA में रिक Ex-DKZ-AZA में गलत घोषणा के लिए माल अंडरचार्ज के रूप में 54,128/- रुपये की राशि वसूल की गई।
- 19.08.2023 को रिक एक्स-बीएचडी-जेआरएनए/बीएक्सजी में गलत घोषणा के लिए माल अंडरचार्ज के रूप में 2,93,453/- रुपये की राशि वसूल की गई।
- 22.08.2023 को एलएक्सए में आयोजित जांच के दौरान लोहे के पाइप यातायात

के लिए घाट शुल्क के रूप में 2,89,800/- रुपये की राशि वसूल की गई।

2. टिकट चेकिंग मामले

- दिनांक 04.02.2023 को ट्रेन संख्या 14038 में की गई जांच के दौरान रु. डब्ल्यूटी पैसेंजर से 3,810/- रुपए वसूले गए।
- दिनांक 13.02.2023 को ट्रेन संख्या 15642 में की गई जांच के दौरान रु. डब्ल्यूटी पैसेंजर से 5,230/- रुपये वसूले गए।
- दिनांक 23.04.2023 को ट्रेन संख्या 22411 में की गई जांच के दौरान रु. डब्ल्यूटी पैसेंजर से 74,690/- की वसूली की गई।
- दिनांक 08.06.2023 को ट्रेन संख्या 12505 में की गई जांच के दौरान रु. डब्ल्यूटी पैसेंजर से 17,330/- की वसूली की गई।
- दिनांक 21.07.2023 को ट्रेन संख्या 12424 में की गई जांच के दौरान रु. डब्ल्यूटी पैसेंजर से 7,100/- की वसूली की गई।
- दिनांक 31.07.2023 को ट्रेन संख्या 12424 में की गई जांच के दौरान रु. डब्ल्यूटी पैसेंजर से 7,100/- की वसूली की गई।



**जनभागीदारी से ही
समाप्त होगा भ्रष्टाचार**



भ्रष्टाचार
का विरोध करें

राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें

Designed by macrovector / Freepik

जारी किये गये महत्वपूर्ण परिपत्र

1. विषय: रेलवे अधिकारियों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न समय पर दाखिल करना

संदर्भ : आरबी का पत्र संख्या: 2022/वी-1/वीपी/एआईपीआर/1/1 दिनांक 17.11.2022



भारत सरकार
रेल मंत्रालय

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

No.2022/V-1/VP/AIPR/1/1

Rail Bhavan, New Delhi
Dated 17.11.2022

The SDGMs/CVOs,
All Indian Railways.

Sub: Timely filing of Annual Immovable Property Return by
Railway officers – reg.

As you are aware, the Central Vigilance Commission (CVC) vide its guidelines dated 16.03.2022 has advised that timely filing of AIPR is a mandatory pre-condition for vigilance clearance. Therefore, all Ministries/Departments/Organizations have been requested to ensure that all officers, for whom vigilance input is solicited from the Commission, have filed AIPR within the stipulated time limit. Vigilance clearance shall be denied by the Commission to an officer if he fails to submit his annual immovable property return of the previous year by 31st January of the following year, as required under the extant instructions of the Government of India. Thus, it is evident that filing of AIPR on time is a mandatory pre-condition for grant of vigilance clearance by CVC.

2. Subsequent to issue of above-mentioned instructions, while considering proposals of grant of vigilance clearance related to empanelment of Railway officers under Central Staffing Scheme, other higher-level appointments etc., it was noticed that a large number of officers had failed to file their AIPR for the previous year within the prescribed time limit. This has been seen as a matter of concern. It is certainly an area where it is important that awareness be inculcated amongst officers so that they file their AIPR timely and avoid being in a situation where higher-level appointments are negated on account of denial of vigilance clearance by CVC.

3. The matter has, accordingly, been considered and the competent authority has desired that SDGMs/CVOs should take necessary steps to disseminate the importance of filing of AIPR in time by Railway officers through periodic circulars and training programmes. It would be appreciated that as a part of preventive vigilance, it becomes essential to put in place remedial measures to address the vulnerabilities in the systems and procedures. Special emphasis should be made to propagate this important message immediately since filing of AIPR for the ensuing year is to be done shortly.

4. Receipt of this letter may be acknowledged.

17.11.22
(S.M. Pandey)
Exec.Dr.Vig.(Engg.)
Railway Board

Copy for information and necessary action to:

1. All General Managers/DGs,
Indian Railways/Production Units/Training Institutes
2. PSOs/Sr.PPSs to CRB,MF,M(O&BD), MI, M/TRS, DG/RPF, DG/RHS, Secretary,
PED/Vig., Railway Board.

2. विषय: रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील नियम), 1968 के तहत पूछताछ -
जांच प्राधिकारी की नियुक्ति; स्पष्टीकरण
संदर्भ: ई(डी एंड ए)2022 आरजी6-12 दिनांक:27.12.2022

RBE No. 167/2022



Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
Railway Board

No. E(D&A)2022 RG6-12

New Delhi, 27/12/2022

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units etc.,
(As per standard list).

Sub: Inquiry under Railway Servants (Discipline & Appeal Rules), 1968—Appointment of inquiring authority; clarification.

A mechanism for review of the appointment of Inquiry Officers in a disciplinary proceeding on the grounds of bias was put in place vide this Ministry's letter No. E(D&A)70 RG6-14(1) dated 19.06.1974.

2. Of late, instances have been brought to notice suggestive of a tendency where the charged Railway servants initially participate in the proceedings conducted by the Inquiry Officers and thereafter at a subsequent stage, including the stages approaching the finalization of the inquiry, make representations against some or other of the decisions taken or orders passed by the Inquiry Officer in the course of the inquiry, and terming the same as an allegation of bias quoting the instructions dated 19.06.1974. The grounds raised for alleging bias include the orders/decisions of the inquiring officers not allowing the additional documents demanded by the charged officer, not allowing the defence witnesses as requested by the charged officer, not accommodating the venue and the dates of the hearings as demanded by the charged Railway servants, disallowing the questions asked by the defence side to a witness etc., all of which stand barred from being appealed against under Rule 17(iii) of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968. Application of the instructions dated 19.06.1974 to such representations leads to undue prolongation of the proceedings besides interference of the revisionary authority on merits of the case at a wholly premature stage. There is a need to curb this tendency and concern has been expressed by the Central Vigilance Commission also in this regard.

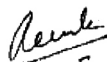
3. To recall, the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 do not contain an explicit provision for making of a representation by a charged Railway servant against the appointment of an Inquiry Officer on grounds of bias and, therefore, it was considered appropriate to issue the aforesaid instructions dated 19.06.1974 in order to ensure that a person having a cause or an interest in the case is not appointed as the inquiry officer which, if done, would not only compromise the fairness of the conduct of the inquiry but would also amount to denial of the reasonable opportunity of being heard to the charged Railway servant. It goes without saying that these instructions were neither intended nor can be allowed to be interpreted in a manner as would render redundant the other provisions including the provision contained in Rule 17(III) of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, which, in turn, also ensure that the appellate/revisory authorities do not intervene in the proceedings on merits until final orders are passed by the Disciplinary Authority. The statutory scheme has already provided an avenue to the charged Railway servants to make submissions on the Inquiry Officer's report under Rule 10 thereof.

4. The instructions dated 19.06.1974 envisage that a charged Railway servant, if he has reasons to form an opinion that the person appointed as the inquiry officer is already possessed with a such a prejudiced mind that a fair conduct of inquiry cannot reasonably be expected of him in the case, would raise an allegation of bias immediately on receipt of the order of his appointment the inquiry officer. Raising of an allegation after having participated in the inquiry conducted by the very same person as inquiry officer not only indicates acquiescence on his part with the appointment of the said person as the inquiry officer but also reduces his allegation to a representation of convenience emerging from an after-thought arising out of an apprehension that the inquiry is not proceeding in his favour and thus not worth consideration.

5. In order to curb the aforementioned tendencies and to ensure that the instructions dated 19.06.1974 are invoked only for the intended purposes and not for unduly prolonging and protracting the proceedings, it is clarified that:

- (i) The said instructions would apply only to those representations of the charged Railway servants which contain the grounds of pre-existence of bias in the mind of the person at the time of his appointment as the Inquiry Officer.

- (ii) The said instructions would not apply to the representations made by the charged Railway servants on grounds based on the actions and decisions taken and orders passed by the Inquiry officer during the conduct of the inquiry as it violates the provisions contained in Rule 17 (iii) of the Railway Servants (discipline and Appeal) Rules, 1968 and invites the revisionary authority to intervene in the proceedings before its finalization by the disciplinary authority.
- (iii) Representations against the appointment of a person as the inquiry officer on grounds of bias should be made by the charged Railway servants immediately after receipt of the order of appointment of the Inquiry Officer by them. In case such a representation is made at a later stage after having participated in the inquiry, the charged Railway servant must disclose the reasons as to why it was not made immediately after the receipt of the order of his appointment as the inquiry officer and a failure in such disclosure would preclude the representation from consideration under the said instructions on the presumption that he has acquiesced with the appointment of the person as the inquiry officer.



(Renuka Nair)
Dy. Director/ Estt. (Discipline & Appeal)
Railway Board

Copy to:

E(O)I, ERB-1, ERB-V, ERB VI, Security(E) and Vigilance -I Branches of Board's Office.

3. विषय: जांच करने और अन्य कार्य करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति

सतर्कता कार्य

संदर्भ :- आरबी का पत्र क्रमांक:2023 /वी-1/ वीपी /1/1 दिनांक: 16.02.2023

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.2023/V-1/VP/1/1

New Delhi, Date: 16 02.2023

The SDGMs/CVOs
All Zonal Railways/PUs

The CVOs
All PSUs

CORE/ALD,
Metro/Kolkata,
DG RDSO/LKO

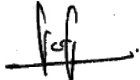
CAO/COFMOW
DMW/Patiala

Sub: Engagement of retired Officials to conduct Investigation and perform other Vigilance functions

Please find enclosed herewith a copy of CVC's circular NO.01/01/23 (No.022/VGL/026/536464) dtd 13.01.2023 on the subject mentioned above. The Contents of the letter are self explanatory.

Necessary action as per CVC's instructions may kindly be taken at your end.

DA:As above


(Vivek Varshney)
Director Vigilance (Mech.)
Railway Board

S. No. 01



सत्यमेव जयते



केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023
सं./No. 022/VGL/026/536464

दिनांक / Dated. 13.01.2023.

Circular No. 01/01/23

Sub: Engagement of retired Officials to conduct Investigation and perform other vigilance functions.

Ref. (i) DoP&T OM No. 371/32/97-AVD III dated 28.11.1997.

(ii) Commission's Circular No. 3(V)/99/12 dated 14th August 2000.

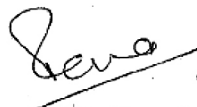
Central Vigilance Commission, vide its Order No. 3(V)/99/12 dated 14th August 2000 had directed that vigilance functionaries in any organization shall be full-time employees and a retired employee should not be appointed as a consultant to perform vigilance functions.

2. However, it has been observed that some of the organizations are still appointing retired employees as Investigating Officers, to conduct investigation, which is an important vigilance function. It may be noted that Investigating Officers and other vigilance functionaries have a crucial role to play. They are responsible for recording statements, examining various aspects of a case, preparation of investigation reports and safe custody of documents, including classified/confidential ones. Keeping in view the vital role of Investigating Officers and other vigilance functionaries in detection, investigation and processing of vigilance related matter (till they are brought to a logical conclusion), it is very important that vigilance functionaries, including the Investigation Officers, are not susceptible to any kind of undue influence.

3. Moreover, it is also important that the vigilance functionaries are made accountable and subjected to disciplinary action, if they are found to have compromised confidentiality, objectivity or integrity, in discharge of duties assigned to them. The same is not possible in case of retired officials as Conduct and Disciplinary Rules are not applicable to a retired official, for any post-retirement misconduct.

4. Therefore, keeping in view the important role played by vigilance functionaries (including Investigating Officers), the Commission has decided to reiterate its earlier directions that the vigilance functionaries should always be full-time employees of the respective organisations and in no case a retired employee should be appointed, in any capacity, to perform any of the vigilance functions.

5. The above guidelines may be noted for strict compliance by the authorities concerned.


(Rajiv Verma)
Director

To: -

1. The Secretaries of all Ministries/Departments of GoI
2. All Chief Executives of CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
3. All CVOs of Ministries/Departments of GoI/CPSUs/Public Sector Banks/Public Sector Insurance Companies/Autonomous Bodies etc.
- ~~4. Website of EVE~~

4. विषय: अग्रिम सुधार पर्ची संख्या :07 ।

संदर्भ: आरबी का पत्र संख्या: 2019 /वी-1/ आईआरवीएम /1/2 दिनांक 11.04.2023

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2019/V1/IRVM/1/2

New Delhi, Date: ||. 04.2023

The SDGMs/CVOs
All Zonal Railways/PUs

The CVOs
All PSUs

CORE/ALD,
Metro/Kolkata,
DG RDSO/LKO

Sub.: Advance Correction Slip No. 07

It has been decided by the Competent Authority to amend Para 703.2 and Para 705 of Indian Railway Vigilance Manual (2018 edition) as per the enclosed Advance Correction Slip No. 07.

DA: As above



(Vivek Varshney)
Director Vigilance (Mech.)
Railway Board

Copy endorsed for information-

- (i) All Officers and Branches of Vigilance Dte
- (ii) AIRF, NFIR, IROF, FROA & AIRPFA
- (iii) PPS to Hon'ble MR, MoSR(J) & MoSR(D)
- (iv) DME(C&IS)/RB for uploading this letter on the website
(https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,304,366,546,843)

ADVANCE CORRECTION SLIP No. 07

Amendment in Para 703.2 & Para 705 of Indian Railway Vigilance Manual- (2018 Edition)

Existing Para 703.2 in Para 703 of Chapter VII of the Indian Railways Vigilance Manual (2018 Edition) shall be replaced as under:-

Para 703.2: The details of cases devoid of vigilance angle resulting in administrative action in agreement with CVC/CVOs advice should not get reflected in the vigilance position of the concerned officer furnished for management decisions.

Existing Para 705 of Chapter VII of the Indian Railways Vigilance Manual (2018 Edition) shall be replaced as under:-

705 ENGAGEMENT OF CONSULTANTS AND EMPLOYMENT/ RE-EMPLOYMENT OF RETIRED RAILWAY OFFICERS IN THE PSUS UNDER MINISTRY OF RAILWAYS

Engagement of consultants and employment/ re-employment of retired Railway Officers in the PSUs under Ministry of Railways cannot be done for:

- a) Persons borne on current 'Agreed/ Secret' list.
- b) Persons involved in any current vigilance/CBI cases or against whom disciplinary or prosecution proceedings are in process.
- c) Persons against whom Major penalty has been imposed during last 10 years of service as a result of vigilance/CBI action.
- d) Persons against whom Minor penalty has been imposed during last 05 years of service as a result of vigilance/CBI action.

NOTE: If any officer appointed as Consultant is subsequently detected to be involved in a Vigilance/CBI case, action will be taken as per extant guidelines.


11.4.23

5. विषय: सतर्कता विभाग की पहुंच । निवारक जांच/जांच आयोजित करने के लिए

आदि आईआरईपीएस में अंतिम टीसीपी के लिए

संदर्भ: आरबी का पत्र संख्या: 2023/वी-1/एमआईएससी/1/1 दिनांक 02.05.2023

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.2023/V-1/Misc/1/1

New Delhi, dated, 2.5.2023

The SDGMs/CVOs
All Zonal Railways/PUs

The CVOs
All PSUs

CORE/ALD,
Metro/Kolkata,
DG RDSO/LKO

Sub:-Access of Vigilance Deptt. for conducting Preventive Checks/Investigation etc. to Finalised TCPs in IREPS

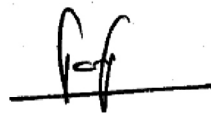
Reference is invited to Railways Board's letter of even No. dtd 06.03.2023 (Copy enclosed) vide which MD/CRIS was requested to provide the facility of view option of Tender Committee Proceedings(TCPs) after finalization of tender in PDF format with log-counts to SDGM's of all Zonal Railways.

As per information received from CRIS, this facility has been provided for the SDGMs of all Zonal Railways to access the Tender Committee Proceedings (TCPs) of the finalized Tender cases of their respective Railway in the e-Reports/Tender History in the IREPS. However, to login into IREPS, one time creation of user id will be required from the admin of concerned department (for SDGMs, user-id will be created by admin of Administration department of respective Railways).

In view of the above, Railway is requested to take necessary action accordingly based on requirement.

Please acknowledge receipt.

DA:As above



(Vivek Varshney)
Director Vigilance (Mech.)
Railway Board

Copy to:- All EDVs' of Vigilance Dte/Railway Board for information and Necessary action

6. विषय: उन्नत सुधार पची संख्या: 08 - मध्यस्थ के रूप में सेवारत/सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों के पैनल में शामिल होने के मानदंड के संबंध में आईआरवीएम का पैरा 706

संदर्भ: आरबी का पत्र संख्या: 2019/वी-1/आईआरवीएम/1/2 दिनांक 09.05.2023

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2019/V1/IRVM/1/2

New Delhi, Date: 9. 05.2023

The SDGMs/CVOs
All Zonal Railways/PUs

The CVOs
All PSUs

CORE/ALD,
Metro/Kolkata,
DG RDSO/LKO

Sub.: Advance Correction Slip No. 08- Para 706 of IRVM regarding Criteria for Empanelment of Serving/Retired Railway Officers as Arbitrators

It has been decided by the Competent Authority to amend Para 706 of Indian Railway Vigilance Manual (2018 edition) regarding Criteria for Empanelment of Serving/ Retired Railway Officers as Arbitrators as per the enclosed Advance Correction Slip No. 08.

DA: As above



(Vivek Varshney)
Director Vigilance (Mech.)
Railway Board

Copy endorsed for information-

- (i) All Officers and Branches of Vigilance Dte
- (ii) AIRF, NFIR, IROF, FROA & AIRPFA
- (iii) PPS to Hon'ble MR, MoSR(J) & MoSR(D)
- (iv) DME(C&IS)/RB for uploading this letter on the website
(https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,304,366,546,843)

ADVANCE CORRECTION SLIP No. 08

Amendment in Para 706 of Indian Railway Vigilance Manual- (2018 Edition)

Existing Para 706 of Chapter VII of the Indian Railways Vigilance Manual (2018 Edition) shall be replaced as under:-

706. Empanelment of serving/ retired Railway officers as Arbitrators cannot be done for:

- a) Persons borne on current 'Agreed/Secret' list.
- b) Persons involved in any current vigilance/CBI cases or against whom disciplinary or prosecution proceedings are in process.
- c) Persons who had been imposed major penalty during the last 20 years of service as a result of vigilance/CBI action.
- d) Persons against whom minor penalty has been imposed during the last 10 years of service as a result of vigilance/CBI action.

NOTE:

- (i) If any officer appointed as Arbitrator is subsequently detected to be involved in a Vigilance/CBI case, action will be taken as per extant guidelines.
- (ii) The officers working in the Vigilance Organisation should not be considered for appointment as Arbitrators, even if empanelled, as per extant guidelines.


9.5.2

7. विषय: संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों का चक्रानुक्रम

संदर्भ: आरबी का पत्र संख्या: 2022/वी-1/एएलएसएल/1/1 दिनांक 20.07.2023

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No.2022/V-1/ALSL/1/1

New Delhi dated, 20.7.2023

**The SDGMs/CVOs
All Zonal Railways/PUs**

Sub: Rotation of officials working in sensitive posts

Ref: i) Railway Board's letter No. 2017/V-1/ALSL/1/1 dtd. 04.02.2019.

ii) Rly Board's letter No. 2008/V-1/CVC/1/4 dtd 18.02.2009.

Instructions for rotation of officials working in sensitive posts have been issued vide Board's letter No. 2017/V-1/ALSL/1/1 dtd. 04.02.2019. It was also reiterated that all concerned may examine the feasibility of transferring the official working on sensitive post at the earliest and ensure that no incumbent dealing with sensitive work continues on any sensitive post beyond the stipulated period as advised to Zonal Railways from time to time. In this regard, a report on the following format has to be furnished by all the Zonal Railways Monthly by 5th of every month:-

Details of the period of overstay of officers/staff beyond stipulated period:-

S. No	Deptt	Name of the officer	Designation	Gazetted / non-gazetted	Date of joining	Period of overstay	Reasons for overstay beyond the stipulated period
				GZ NG			

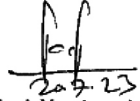
Total No. of officers/staff posted beyond stipulated period:-

Total No. of officers	Total no. of staff	Grand Total

Subsequently all the Zonal Railways were advised vide Board's letter No.2019/V-1/ALSL of dtd 08.04.2022 to furnish the information through Google Spreadsheet after nominating a nodal officer from each of ZR's/PU's. However it has come to notice that some of the ZRs/PUs are not entering data in Google Spreadsheet from last several months. Now it has been decided by the Competent Authority to discontinue the use of Google spreadsheet for use of said information. Therefore the information regarding officers/staff working on sensitive posts beyond the stipulated period may be furnished in the prescribed format (for Gazetted and Non-Gazetted staff separately) on e-mail ID kumar.gulshan1@gov.in from the month of July 2023.

The data Regarding rotation of Officers/Staff alongwith other details such as Details of Major Penalty/Minor Penalty/Sanction of Prosecution & FR 56(j) are sent to DoPT by the target date of 15th of every month.

Recently a meeting under the Chairmanship of Additional Secretary(S&V),DoPT was held on 09.06.2023. During the meeting, It was transpired that data regarding all the above mentioned fields are being used to reply Parliament Questions sought by MP's, references from Cabinet Secretariat and various Parliamentary/Standing Committees etc. Accordingly, all SDGMs/CVO's may kindly issue direction to each of the nodal officers to furnish timely & accurate information to Board as mentioned above.



(Vivek Varshney)

Director Vigilance (Mech.)
Railway Board



I am against corruption.... What about you ?



देश को आगे बढ़ाना हैं, भ्रष्टाचार मिटाना हैं.



भ्रष्टाचार बंद करो

Designed by macrovector / Freepik

हर भ्रष्ट आदमी के पीछे,
लालच से भरा एक परिवार है

वर्ष 2023 के लिए निवारक जांच के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र

भ्रष्टाचार की गुंजाइश को खत्म करने और सिस्टम में सुधार के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है:

1) निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक विभागों जैसे - विभागों इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एस एंड टी और मैकेनिकल को कवर करने वाले व्यय अनुबंधों की जांच: -

- क. निविदाओं (आईआरडब्ल्यूसीएमएस), खरीद (आईआरईपीएस, आईएमएमएस), भुगतान (आईपीएस) आदि में कार्यों के लिए रेलवे बोर्ड से जारी निर्धारित मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन।
- ख. कोचों, लोकोमोटिव और वैगनों पर सुरक्षा वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच।
- ग. पात्रता मानदंड में अनियमितताएँ - विशेष शर्तें जो प्रतिबंधित प्रकार के हैं।
- घ. अनुमान और निविदा अनुसूची में कार्य का नकल /अवास्तविक मूल्यांकन।
- ङ. सहायक मोटर, ब्लोअर मोटर आदि जैसे विदूत लोको हिस्सों की आउटसोर्सिंग के लिए बनाए गए रिकॉर्ड की कम से कम 2-3 जांच।
- च. ओएचई फाउंडेशन, कैटेनरी और संपर्क तारों के आकार पर जोर देने के साथ ओएचई सामग्री की आपूर्ति की गुणवत्ता की जांच।
- छ. नए कार्यों में उपयोग किए जाने वाले सिग्नलिंग/पावर केबल की गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में कम से कम 2-3 जांचें।
- ज. दूरसंचार सामग्रियों अर्थात दूरसंचार केबलों के निरीक्षण के संबंध में कम से कम 2-3 जांचें।
- झ. बंद होने के लिए लंबित ठेकों की समीक्षा सहित पुराने और समाप्त हो चुके ठेकों की शिकायतों के साथ अनुबंध के तार्किक निष्कर्ष पर जोर देना।
- ञ. भूमि संसाधनों से गैर-किराया राजस्व पर ध्यान केंद्रित करें, विशेष रूप से वे लीव सुविधाओं, लीजिंग/लाइसेंसिंग मामले आदि के खिलाफ बकाया राशि की वसूली।

- ट. पीयू के लिए, यू-वीएम के अनुसार विक्रेता अनुमोदन के लिए आवेदन के निपटान में देरी पर अनिवार्य जांच की जानी चाहिए।
 - ठ. ट्रेन एस्कॉर्टिंग, कोचों की वायरिंग, टीएसएस और यार्डस्टिक्स की तुलना में जनशक्ति आधारित अनुबंधों की जांच ।
 - ड. उन अनुबंधों की जांच जहां भिन्नता खत्म हो गई है और 25% से अधिक है।
 - ढ. मूल वैधता के 30 दिनों के बाद निर्णय लिए गये निविदाओं की जांच ।
 - ण. आईआरईपीएस में निविदाओं को ऑनलाइन अंतिम रूप देना/स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करना।
 - त. कार्यों और सेवा अनुबंधों में मानक पात्रता मानदंड (न्यूनतम पात्रता मानदंड) का समावेश।
 - थ. कार्य/सेवा अनुबंधों के लिए आईआरडब्ल्यूसीएमएस का उपयोग।
 - द. स्टोर डिपो में लिनन वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच।
 - ध. मिट्टी के काम और कंबल की गुणवत्ता।
 - न. उच्च ग्रेड कंक्रीट की गुणवत्ता यानी, एम-25 और उससे ऊपर।
 - न. आरओबी/आरयूबी/ सहित पुलों में संरचनात्मक स्टील्स के चालान की जांच करना।
 - प. एस एंड टी उपकरणों की घरेलू मरम्मत और एएमसी/एआरसी की जांच।
 - फ. उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का लेखा-जोखा।
 - ब. बड़ी मात्रा में जारी की गई वस्तुओं के लिए साइट निरीक्षण।
 - भ. मात्रा और गुणवत्ता के लिए सेवा भवनों की बिजली आपूर्ति कार्यों की रीवायरिंग और संवर्द्धन की जांच की जाएगी।
- 2) बड़े मूल्य के कार्यों/मशीनरी और संयंत्रों/खरीद को कवर करने के लिए दुकानों के उचित लेखांकन सहित निवारक जांच करने के लिए निम्नलिखित योजना प्रमुखों की पहचान की गई है :-

- क. सामग्री की खरीद तथा स्टोर्स के साथ-साथ इंजीनियरिंग विभाग के लिए

प्रासंगिक कार्टेलाइजेशन पर कार्रवाई में विभाग और निम्नलिखित दो पहलुओं को शामिल किया जाना है:

- i. ऐसे सभी मामलों में आपूर्ति की गई सामग्री का परीक्षण।
 - ii. कार्टेल को तोड़ने के लिए कार्यकारी विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई।
- ख. कंसाइनी, राइट्स और आरडीएसओ द्वारा सामग्रियों के निरीक्षण में अनियमितताएं।
- ग. मंडलों/कारखानों में स्टॉक और गैर-स्टॉक दोनों खरीद मामलों की जांच
- i. मंडलों और कारखानों में खरीद मामलों का पीसी > 10 लाख।
 - ii. खरीद मामलों का पीसी (प्रत्यक्ष स्वीकृति मामला) > 10 लाख।
- घ. यूडीएम (यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल) के माध्यम से वारंटी दावा किए गए सुनिश्चित किया गया है, शेड/दुकानों में पड़ी अस्वीकृत वस्तुओं की कम से कम 2-3 जांच की जानी चाहिए।
- ङ. आरडीएसओ/पीयू की अनुमोदित सूची में तीन या उससे कम विक्रेताओं वाली वस्तुओं की खरीद की जांच।
- च. आयात के माध्यम से खरीद के मामलों में आयात दस्तावेजों का सत्यापन।
- छ. स्क्रेप की डिलीवरी की नियमित जांच
- ज. आरडीएसओ और पीयू में विक्रेता अनुमोदन प्रणाली की नियमित जांच की जानी चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां विक्रेता 03 से कम हैं और नए पंजीकरण के लिए आवेदन समय पर संसाधित नहीं किया जा रहा है।
- झ. OEM और उनके स्थानीय विक्रेताओं की प्रामाणिकता।
- ञ. यूडीएम (यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल) में हिसाब का पता लगाने के लिए है, दुकान के फर्श पर पड़ी सामग्री की कम से कम 2-3 जांच करें।
- ट. GeM खरीद की निवारक जांच > विशेष रूप से मंडलों और कारखानों में 10 लाख।
- ठ. GeM के माध्यम से खरीद के संबंध में रेलवे बोर्ड से जारी दिशानिर्देशों/परिपत्रों का अनुपालन

3) अन्य जाँचें:

- क. धारा 124-ए के तहत दावा निपटान मामले विशेषकर मृत्यु मामले। सुनिश्चित करें कि खराब तत्वों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए दावे वास्तविक हों।
- ख. रेलवे के विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर सीसीटीवी और अन्य निगरानी तंत्रों के कवरेज और उपयोग की निगरानी करें, जहां दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होता है।
- ग. सेवा अनुबंधों की जांच-पार्किंग, ओबीएचएस, मशीनीकृत सफाई, हाउसकीपिंग / सफाई आदि।
- घ. यात्रा प्राधिकरण और अधोषित अतिरिक्त नकदी ले जाने वाले बोर्ड पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच।

4) सामूहिक अनुबंध क्षेत्र:

- क. पीआरएस तथा यूटीएस में गैर-जारी और विशेष रद्दीकरण पर जाँच।
- ख. शून्य मूल्य/पूर्व-खरीदे गए टिकटों पर किए गए आरक्षण और विशेष/मानार्थ पास के दुरुपयोग की जांच।
- ग. वीपी/एसएलआर की ओवरलॉडिंग की जांच करना और चेकिंग/कॉन्ट्रैक्टिंग डिवीजन द्वारा ओवरलॉडिंग के मामलों का रिकॉर्ड रखना और उस पर कार्रवाई की गई।
- घ. टीटीई का ड्यूटी रोस्टर और टीटीई का रोटेशन।
- ङ. ईएफटी और स्टेशन नकद प्रेषण और समय-समय पर रिटर्न जमा करना।
- च. रोटेशन सुनिश्चित करने के लिए गुड्स शेड, पार्सल कार्यालय और अन्य संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों की समीक्षा।

5) इन-मोशन वेटब्रिजों का रखरखाव और मरम्मत

6) लेखा विभाग:

- क. विफल एनईएफटी लेनदेन और बैंकर्स चेक।
- ख. वेतन भुगतान के लिए मतभेद का ज्ञापन।

- ग. एमबी के अनुबंध-प्रविष्टियों का बिल पारित करना।
- घ. जमा कार्यों के भुगतान का समाधान।
- ङ. ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के दावों के बिल पास करने में मशीनरी की आंतरिक जांच।
- च. इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्तियों का मिलान।
- छ. लंबित आरआर, अधिभार की कटौती और बीजी जमा की रिपोर्ट।
- ज. नकली संस्थाओं और समाप्त अनुबंधों को हटाने के लिए आईपीएस में विक्रेता/पार्टी मास्टर की जांच करें।
- झ. मूल्य भिन्नता बिलों की जाँच करना।
- ञ. कारखानों और उत्पादन इकाइयों में एसएसई को दिए गए प्रोत्साहन बोनस की जाँच करना।
- ट. 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान देते हुए बैंक की स्क्रॉल शीट में पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की जन्मतिथि की जाँच करना।

7) कार्मिक विभाग

- क. छुट्टी रिकॉर्ड का रखरखाव।
- ख. अनुकंपा आधार, खेल कोटा और सांस्कृतिक कोटा आदि के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवार के विभिन्न प्रमाणपत्रों का सत्यापन।
- ग. सेवा रिकॉर्ड में सजा की प्रविष्टियों की रिकॉर्डिंग।
- घ. लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारी की जांच, मस्टर रोल/उपस्थिति और सेवा रिकॉर्ड के साथ आईपीएस में कर्मचारी डेटा का सत्यापन।
- ङ. अनुकंपा नियुक्ति मामलों की जांच और कल्याण निरीक्षकों की भूमिका
- च. विभागीय परीक्षाओं की जांच

8) चिकित्सा विभाग

- क. अभ्यर्थियों/कर्मचारियों की प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा/पीएमई-चिकित्सा

विवर्गीकरण।

- ख. कर्मचारी द्वारा दिया गया रेफरल अस्पताल के स-विकल्प।
- ग. दवाओं की स्थानीय खरीद
- घ. दवा का मुद्दा, हिसाब-किताब और गुणवत्ता।
- ङ. मरीजों को रेफर करने के लिए निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करना और क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों में मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया।
- च. अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए आहार की आपूर्ति के अनुबंधों की जांच।
- छ. प्रमाणपत्र पुस्तकें जारी करने के संबंध में बीमार/फिट प्रमाणपत्र पुस्तकों की जांच करना और उचित डेटिंग के साथ कालानुक्रमिक क्रम में प्रमाणपत्र जारी करना और पुस्तकों में खाली प्रमाणपत्र छोड़े बिना प्रमाणपत्र जारी करना।

9) प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- क. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लिखित विशिष्ट विषयों पर क्षेत्रीय इकाइयों के साथ प्रशिक्षण कार्यशाला/बातचीत
- 10) उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों के अलावा, एसडीजीएम/सीवीओ को निम्नलिखित की निगरानी करने की भी सलाह दी जाती है:
- क. निविदाओं (कार्य, स्टोर और वाणिज्यिक) को समय पर अंतिम रूप देने में आईआरईपीएस के माध्यम से निविदा को ऑनलाइन अंतिम रूप देने का उपयोग।
- ख. सतर्कता जांच के परिणामस्वरूप डीएआर पूछताछ को समय पर पूरा करने की निगरानी करना।
- ग. IRVINS का समय पर और शीघ्र अद्यतनीकरण।





क्या करें



क्या न करें



कार्मिक

चयन

करने योग्य

- रिक्तियों का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करें और अधिसूचना जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करें।
- उपयुक्त कार्य योजना बनाकर रिक्तियों को समय पर भरना और चयन/उपयुक्तता/व्यापार परीक्षण के लिए कैलेंडर का रखरखाव सुनिश्चित करें।
- रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का समुचित पालन करते हुए चयन समिति का गठन सुनिश्चित करें।
- कार्मिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश/निर्देश प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए नामित अधिकारियों को सूचित किए जाएं। चयन समिति के सदस्यों से एक विशिष्ट पावती प्राप्त करना भी सुनिश्चित करें कि उन्होंने इन निर्देशों का पालन किया है और उक्त चयन में इसका पालन किया है।
- अधिसूचना जारी होने के बाद पात्रता शर्त में कोई बदलाव होने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन सभी अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए जो संशोधित पात्रता शर्त के अनुसार पात्र हो गए हों।

- अभ्यर्थियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में कोई कटिंग/ओवरराइटिंग/मिटाना की निशान नहीं चाहिए।
- उत्तर पुस्तिकाएं कार्मिक शाखा अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित की जानी चाहिए और लिखित परीक्षा के तुरंत बाद नामित मूल्यांकन अधिकारी को सौंप दी जानी चाहिए।
- प्रश्नपत्र के मुद्रण एवं वितरण में पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करें।
- चयन कार्यवाही के साथ-साथ विभिन्न शीर्षकों के तहत उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाने वाली सारणी शीट पर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा तारीख और पदनाम के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार का हो और केवल बहुविकल्पीय हो।
- मॉडल उत्तर पुस्तिका परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्न निर्धारितकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए। प्रश्न-निर्धारितकर्ता द्वारा मॉडल उत्तर पुस्तिका सौंपने में देरी नहीं की जानी चाहिए।
- लिखित परीक्षा के पूरा होने के उसी दिन नोटिस बोर्ड के साथ-साथ पू.सी.रेल की वेबसाइट पर मॉडल उत्तर पुस्तिका प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- पदोन्नति प्रक्रिया की उचित निगरानी सुनिश्चित करें जो समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- यह सुनिश्चित करें कि पदोन्नत कर्मचारियों को बिना किसी अनुचित देरी के कार्यमुक्त कर दिया जाए ताकि कर्मचारी समय पर पदोन्नति पर नई पोस्टिंग के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सकें और इस कारण उन्हें कोई आर्थिक हानि न हो। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।
- स्टेशन मास्टर श्रेणी में वैकल्पिक रोजगार की पेशकश करने वाले चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा सुनिश्चित करें।
- एक बड़े प्रश्न बैंक की उपलब्धता सुनिश्चित करें जिसमें से प्रमोशनल परीक्षा/ कंप्यूटर-आधारित परीक्षण आयोजित करने के लिए रैंडम रूप से प्रश्न का चयन किया जा सके।

- कारखाना में 40% इंडक्शन कोटा भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सेवारत कर्मचारियों को ऊपरी आयु में 05 वर्ष की छूट सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि लेखा विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों के जीडीसीई में उपस्थित होने की अनुमति है।
- रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन लेखा लिपिक और कनिष्ठ लेखा सहायक के पद के लिए अन्य विभागों के कर्मचारियों को लेखा विभाग के जीडीसीई में उपस्थित होने की अनुमति दें।
- मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा को कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की योग्यता के बराबर मानें, बशर्ते इसके पाठ्यक्रम में कार्मिक प्रबंधन में प्रासंगिक पेपर शामिल हों,

न करने योग्य

- जिस अधिकारी का नाम सहमत सूची/गुप्त सूची में है, उसे चयन बोर्ड/समिति में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए।
- चयन बोर्ड/समिति के सदस्य एक-दूसरे के अधीनस्थ नहीं होने चाहिए।
- एक बार नामांकित होने के बाद, अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर चयन बोर्ड/समिति को नहीं बदला जाना चाहिए।
- अधिसूचना जारी होने के बाद रिक्तियों की संख्या में बदलाव न करें।
- उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लेड पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए एक बार दिए गए अंकों को सुधार या ओवरराइटिंग या मिटाकर नहीं बदला जाना चाहिए।
- वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नों के लिए एक बार दिए गए अंकों में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, यदि वास्तव में आवश्यक हो, तो पहले दिए गए अंकों को स्पष्ट रूप से काटकर नए अंक दिए जाने चाहिए।
- वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में कटिंग/ओवरराइटिंग/मिताने के निशान आदि का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।
- मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों को अपने मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन नहीं

करना चाहिए।

- उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

अनुकंपा आधार पर नियुक्तियाँ

करने योग्य

- घटना घटित होने पर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रकरण दर्ज करें।
- रेलवे में नियुक्ति के संबंध में विभिन्न स्कूल बोर्डों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है, जिनके अधिकार पर बोर्ड वास्तविक होने का दावा करता है। COBSE एक निजी संगठन है और इसकी सदस्यता स्वैच्छिक है और COBSE की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है। COBSE की सदस्यता स्वचालित रूप से किसी भी सदस्य बोर्ड को मान्यता प्राप्त बोर्ड का दर्जा नहीं देती है। एमएचआरडी न तो शैक्षिक बोर्डों की स्थापना को नियंत्रित करता है और न ही दो राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक बोर्डों, अर्थात् सीबीएसई और एनआईओएस को छोड़कर शैक्षिक बोर्डों को मान्यता देता है।
- S&WI की रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- यदि परिवार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज़ जमा करने में कोई अपेक्षित देरी हो, तो अन्य सभी औपचारिकताएँ पूरी करें ताकि दस्तावेज़ प्राप्त होने पर मामले पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
- नियुक्ति पर विचार हेतु औपचारिकताएँ पूरी करवाने में परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करें।
- परिवार को बेईमान तत्वों के हाथों शिकार होने से बचाएं।
- सेवा के दौरान कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न घोषणाओं को सत्यापित करके नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले उम्मीदवार की योग्यता की पूरी तरह से जाँच करें।
- समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों और बोर्डों

से आवश्यक पूछताछ करके आयु, शैक्षिक योग्यता आदि के प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें।

- हर महीने नामांकित दिन पर नियमित रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करके विभिन्न प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करें।
- जहां आवश्यक हो, आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सुनिश्चित करें।
- नियुक्ति के लिए पात्र पारिवारिक सदस्य का निर्धारण करने में समय-समय पर जारी बोर्ड के निर्देशों का पालन करें।
- मामले की परिस्थितियों के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित सक्षम प्राधिकारी यानी डीआरएम/सीडब्ल्यूएम/पीएचओडी/जीएम/रेलवे बोर्ड का अनुमोदन सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि उपयुक्तता परीक्षण यानी लिखित परीक्षा और वाइवा-वॉयस एक ही दिन में पूरा हो जाए।
- सीजी द्वारा नियुक्त व्यक्ति से घोषणा प्राप्त करना सुनिश्चित करें कि वह मृत्यु के समय कर्मचारी पर निर्भर परिवार का भरण-पोषण करेगा/करेगी।
- सुनिश्चित करें कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज जैसे आवेदन, प्रमाण पत्र, एस एंड डब्ल्यूआई की रिपोर्ट आदि नियुक्त व्यक्ति के सेवा रजिस्टर में रखे गए हैं।
- दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चे पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए तभी विचार किया जा सकता है जब यह सुनिश्चित हो जाए कि पहली पत्नी या उसके बच्चों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जहां पहली (कानूनी रूप से विवाहित) पत्नी अपने लिए या अपने बच्चों में से किसी एक के लिए इस तरह के अनुकंपा का विकल्प चुनती है, ऐसे दावे को दूसरी पत्नी द्वारा उसके किसी भी बच्चे के लिए किए गए किसी भी प्रतिस्पर्धी दावे पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- रेलवे कर्मचारी के लापता होने की तारीख से कम से कम 02 वर्ष बीत जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देना सुनिश्चित करें, बशर्ते कि एफआईआर दर्ज हो और लापता व्यक्ति का पता न चल सका और संबंधित कर्मचारी जिस तारीख से

लापता है, उस तारीख को सेवानिवृत्त होने के लिए 02 वर्ष से कम सेवा न हो और सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि मामला वास्तविक है और पुलिस रिपोर्ट ली जानी चाहिए।

न करने योग्य

- उस पद की पेशकश न करें जो किसी विशेष प्राधिकारी की क्षमता के अंतर्गत नहीं है।
- प्रस्ताव स्वीकार करने और चिकित्सा जाँच में भाग लेने के बाद श्रेणी बदलने के लिए अगले उच्च प्राधिकारी की मंजूरी के बिना उम्मीदवार के अनुरोध पर विचार न करें।
- उन आश्रितों को लेवल-1 के नियमित वेतन बैंड पर नियुक्तियाँ न दें जिनके पास एसएससी/आईटीआई की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है।
- यदि आंशिक रूप से विवर्गीकृत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष से कम समय है तो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ऐसे मामले में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा जहां लापता कर्मचारी को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की तारीख से सेवानिवृत्ति के लिए 2 वर्ष से कम समय बचा हो।
- ग्रुप/पद का निर्धारण करने के लिए आवेदन की तिथि के बाद आश्रित द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता पर विचार नहीं किया जाएगा।
- वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की पूर्व और व्यक्तिगत वित्त सहमति और जीएम की मंजूरी के बिना सीजी नियुक्त व्यक्ति का वेतन जितना स्वीकार्य है उससे अधिक उच्च स्तर पर तय न करें।

सेटलमेंट (निपटान)

करने योग्य

- रेलवे कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के पक्ष में बैंक खातों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान का आयोजन करें।
- अगले दो वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सूची

प्रकाशित करें और सभी संबंधितों को इसकी सूचना दें।

- निपटान में देरी से बचने के लिए सेवा रजिस्टर और अवकाश खातों का नियमित और निरंतर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- एसआर और अवकाश खातों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करें और अन्य अनुभागों/इकाइयों में पारगमन के मामले में आंदोलन पर नजर रखें।
- खोए हुए सेवा रजिस्ट्रों और गायब अवकाश खातों को तैयार करने हेतु तत्काल कार्रवाई करें।
- S&WI की सेवाओं का उपयोग करके कर्मचारियों से नामांकन प्राप्त करने के लिए स्थायी अभियान आयोजित करें।
- सेवा रजिस्टर में नामांकन प्रविष्टियाँ करें और उसे उसमें चिपकाएँ।
- कर्मचारियों को परिवार में वृद्धि/परिवर्तन की तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दें।
- कर्मचारियों को सलाह दें कि वे पास/पीटीओ का लाभ उठाने के लिए अयोग्य होने के बावजूद, विवाहित बच्चों सहित परिवार के प्रत्येक सदस्य की जन्मतिथि और उम्र घोषित करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसआर/अवकाश खाते अद्यतन स्थिति में हैं, वरिष्ठ अधीनस्थों द्वारा समय-समय पर जांच सुनिश्चित करें।
- एनआर के मामले में छह महीने से पहले और ओएनआर के मामले में जितनी जल्दी हो सके लेखा विभाग द्वारा सेवा रजिस्टर और अवकाश खातों का सत्यापन सुनिश्चित करें।
- पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए 'अर्हता सेवा' को ध्यान में रखें, न कि 'सेवा की अवधि' को।
- सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/परिवार को पेंशन/पारिवारिक पेंशन निकालने के लिए केवल राष्ट्रीयकृत बैंक का चयन करने की सलाह दें।
- पीपीओ में 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष और 100 वर्ष पूरे होने पर क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% और 100% की दर से अतिरिक्त पेंशन राशि का उल्लेख सुनिश्चित करें।

- निपटान कागजात के साथ कर्मचारियों को 'गणना शीट' की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
- पीपीओ में परिवार के सभी पात्र सदस्यों का उनकी जन्मतिथि के साथ उल्लेख करना सुनिश्चित करें।
- यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि पर विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लंबित है, तो अनंतिम पेंशन की मंजूरी सुनिश्चित करें।
- पेंशन नियम के नियम 75 (19)(बी) और आरबीई संख्या 142/97, 81/98, 44/2005 और 159/2009 के अनुसार पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु परिवार के सदस्य का निर्णय लें क्योंकि नामांकन की आवश्यकता नहीं है।
- नामांकन के अभाव में, आरएस (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 70(5) में परिभाषित परिवार के सदस्य को डीसीआरजी जारी करें।
- नामांकन के अभाव में आईआरईसी-1 के अध्याय 9 में परिभाषित परिवार के किसी सदस्य को पीएफ की राशि जारी करें।
- नामांकन के अभाव में, एससी संख्या 97/77 में परिभाषित परिवार के सदस्य को सीजीईआईएस राशि जारी करें।
- आईआरईसी-1 के नियम 549ए में परिभाषित अनुसार परिवार को अवकाश नकदीकरण जारी करना सुनिश्चित करें।
- उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए तभी आग्रह करें जब परिवार का कोई सदस्य न हो जो देय निपटान प्राप्त करने के लिए पात्र हो।
- ब्याज के भुगतान से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर वाणिज्यिक/स्टोर डेबिट के मामलों में रोके गए डीसीआरजी को जारी करना सुनिश्चित करें।
- पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने से पहले विधवा/तलाकशुदा बेटियों द्वारा आय और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों के पक्ष में संबंधित संगठन से विदेश सेवा योगदान की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
- उन सभी रेलवे/संगठनों से 'अदेयता प्रमाणपत्र' की प्राप्ति सुनिश्चित करें जहां कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले काम किया है।

- निपटान बकाया जारी करने से पहले विवादों और दोहरे/प्रतिद्वंद्वी दावों के सभी मामलों में कानूनी राय प्राप्त करें।

न करने योग्य

- पेंशन पर देय डीसीआरजी और डीआर को छोड़कर किसी भी निपटान लाभ से सरकारी बकाया की वसूली न करें।
- नाबालिग बच्चे के पक्ष में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अभिभावक को अधिकृत न करें, लेकिन अभिभावक के नाम को दर्शाते हुए नाबालिग बच्चे के नाम पर पीपीओ सुनिश्चित करें।
- यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के दिन रेलवे आवास खाली नहीं करता है तो डीसीआरजी जारी न करें।
- यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी एक वर्ष के भीतर कम्युटेशन के लिए आवेदन करता है तो मेडिकल जांच के लिए जोर न दें।

एचआरएमएस में अवकाश प्रबंधन

करने योग्य

- डीलिंग क्लर्क (डीसी) को सेवा, पुस्तक, अवकाश खाते की जांच करनी चाहिए और एचआरएमएस अवकाश प्रबंधन मॉड्यूल में प्रारंभिक अवकाश शेष को अपडेट करना चाहिए।
- डीसी को सिस्टम में मैनुअल अवकाश आवेदन विवरण दर्ज करना चाहिए। सीएल/आरएच, सीएल/आरएच स्वीकृत करने से पहले प्रारंभिक अवकाश शेष की जांच डीसी, कैडर अधिकारी, अवकाश मंजूरी प्राधिकारी द्वारा पिछले रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।
- कुछ प्रकार की छुट्टियों हैं जिनके लिए दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है, अर्थात् भारत से बाहर जाने हेतु अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश आदि। कर्मचारी को संबंधित अवकाश मंजूरी प्राधिकारी को दिखाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने चाहिए। जब तक कोई दस्तावेज़ अपलोड नहीं किया जाता, सिस्टम कर्मचारी को छुट्टी आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं

देगा। छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छुट्टी स्वीकृत करने से पहले उचित दस्तावेज अपलोड किया गया है।

- छुट्टियां स्वीकृत करने से पहले उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उस कर्मचारी के लिए छुट्टी आवेदन में दर्शाई गई अवधि के लिए छुट्टी के प्रकार को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। यदि उपयोगकर्ता उक्त छुट्टी स्वीकृत करने में सक्षम नहीं है, तो उसे इसे उस व्यक्ति को अग्रेषित करना चाहिए जो इसे स्वीकृत करने में सक्षम है।

न करने योग्य

- जिन कर्मचारियों की बकाया छुट्टी आईपीएस में उपलब्ध नहीं थी और शून्य के रूप में प्राप्त हुई थी, उन्हें एचआरएमएस छुट्टी प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से ऑन लाइन छुट्टियों के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि इस प्रक्रिया के माध्यम से सिस्टम में उनकी बकाया छुट्टी अपडेट नहीं हो जाती।



**जमीर बेच कर अमीर
तो बन गए पर याद रखना
साहब !!! नर्क में अकेले ही
जाना पड़ेगा। कर्मों का पाई-पाई
हिसाब होगा।**



इंजीनियरिंग

कार्य और सेवा अनुबंध

अनुमानित लागत

करने योग्य

- विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक अनुमान तैयार करें जैसे-स्थल की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति आदि।
- केवल मानक विशिष्टताओं वाली वस्तुओं को ही शामिल करने का प्रयास करें।
- उपलब्ध एलएआर के आधार पर अनुमान तैयार करें और यदि उचित एलएआर उपलब्ध नहीं है, तो वास्तविक बाजार दरों के आधार पर अनुमान तैयार करें।
- करें, सभी प्रकार के ड्यूटी और अन्य वैधानिक शुल्कों सहित सभी वाणिज्यिक खंड शामिल करें।
- निविदा आमंत्रित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन का अनुमोदन अवश्य लें।

न करने योग्य

- दर विश्लेषण और पर्याप्त विवरण के बिना अस्पष्ट अनुमान न लगाएं, जिससे भारी मात्रा में भिन्नता हो सकती है और अतिरिक्त और प्रतिस्थापित वस्तुएं शामिल हो सकती हैं।
- परस्पर विरोधी स्थितियों का उल्लेख न करें.
- ऐसी वस्तुओं या कार्य के दायरे को शामिल न करें जो सीधे कार्य से संबंधित न हों।

- मूल्य बोलियाँ खुलने के बाद प्राप्त एल-1 दरों को उचित ठहराने के लिए प्राक्कलन को संशोधित न करें।

एनआईटी एवं निविदा/बोली दस्तावेज़

करने योग्य

- व्यापक प्रसार के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन दें और इसे सभी प्रासंगिक जानकारी निविदा लागत, निविदा दस्तावेज़ की लागत, ईएमडी, कार्य की प्रकृति आदि के साथ संगठन की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करें।
- बोली लगाने वाले को तैयारी और बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें।
- बोलियों को बंद करने और खोलने के समय के संबंध में कार्य दिवस और बोलियाँ जमा करने की तारीख की जांच अवश्य करें।
- आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक शुद्धिपत्र/परिशिष्ट जारी करें, लेकिन फिल्मी आधार पर नहीं।
- वर्तमान अनुबंध आवश्यकताओं के अनुरूप निविदा दस्तावेजों को अद्यतन करें।
- बोली दस्तावेजों में विस्तृत सामान्य तकनीकी विशिष्टताओं को शामिल करें।
- निविदा प्रतिक्रिया के लिए शर्तें निर्दिष्ट करें।
- बोली दस्तावेजों, प्रदर्शन मापदंडों और तकनीकी मूल्यांकन मानदंड, यदि कोई हो, में स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करें।
- निविदा दस्तावेज़ तैयार करते समय संदर्भ संख्याओं, प्रासंगिक विशिष्टताओं के साथ उचित चित्र निर्दिष्ट करें।
- कार्यों के बंटवारे में रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों का सच्ची भावना से पालन करें।

न करने योग्य

- किसी विशेष फर्म के अनुरूप पात्रता मानदंड कभी भी शामिल न करें
- स्पष्ट तरीके से उपकरणों का परीक्षण, प्रदर्शन बैंक गारंटी, भुगतान की शर्तें, जुर्माना खंड, व्यापक बीमा कवर, ठेकेदार की देनदारी, सुरक्षा व्यवस्था, श्रम कल्याण के लिए वैधानिक आवश्यकताएं, मध्यस्थता खंड आदि से संबंधित महत्वपूर्ण खंडों का

उल्लेख करना न भूलें।

- सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बड़े कार्य को छोटे-छोटे कार्यों में न बाँटें।
- कार्य पूरा करने की अवास्तविक अवधि प्रदान न करें क्योंकि अकार्यात्मक अवधि के कारण बार-बार समय विस्तार मिलता है और मुकदमे चलते हैं।

निविदा का मूल्यांकन

करने योग्य

- अधिसूचित मानदंडों के अनुसार निविदा का मूल्यांकन करें।
- तकनीकी बोली की अर्हता प्राप्त करने से पहले बोलीदाता द्वारा पूरे किए गए सभी पूर्व-आवश्यक मानदंडों का मूल्यांकन करें।
- बोली लगाने वाली कंपनियों के साथ तकनीकी बातचीत करने से पहले या उसके दौरान योग्यता मानदंडों के संबंध में उनकी स्वीकार्यता को अंतिम रूप दें।
- प्राइस बिड / कॉलिंग प्राइस बिड से पहले योग्य फर्मों की शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें।
- ओपन प्राइस बिड (दो बिड प्रणाली में)/केवल उन बोलीदाताओं की प्राइस बिड बोलियाँ बुलाएँ जिनके डिज़ाइन और अन्य तकनीकी प्रस्ताव निविदा आवश्यकताओं के अनुसार हैं।
- वैधता अवधि के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप दें।
- केवल वैध न्यूनतम पात्र निविदाकर्ता से ही बातचीत करें।
- यह सुनिश्चित करें कि एल-1 को कमजोर आधारों पर नजरअंदाज न किया जाए।
- प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले अनुमानित दरों और प्रचलित बाजार दरों के आधार पर दरों की औचित्य स्थापित करें।
- असामान्य रूप से उच्च दर और असामान्य रूप से कम दर वाली वस्तुओं की पहचान करें और कार्य के निष्पादन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/एजेंसियों को गड़बड़ी से बचने के लिए ऐसी पहचानी गई वस्तुओं पर उचित नियंत्रण रखने के लिए सूचित किया जाना चाहिए।
- कार्य प्रदान करते समय एक समान/निरंतर दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

न करने योग्य

- निविदा शर्तों में ढील न दें क्योंकि इससे दूसरों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा।
- बोलीदाता/निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध न कराई गई जानकारी के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन न करें।
- निविदा खोले जाने और मूल्यांकन किए जाने के बाद किसी भी नई जानकारी/दस्तावेज़ पर तब तक विचार न करें जब तक कि उसकी मांग न की जाए।
- निविदा के मूल्यांकन का विवरण तब तक प्रकट न करें जब तक कि इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार/अस्वीकृत न कर दिया जाए।
- किसी भी बोलीदाता को अनुबंध को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की उसकी क्षमता और संसाधनों से संबंधित कारणों से प्री-क्वालिफिकेशन/पोस्ट-क्वालिफिकेशन योग्यता से इनकार न करें।
- वैध एलएआर उपलब्ध होने के बाद निविदा खुलने के बाद प्राप्त उच्च दरों को उचित ठहराने के लिए दर विश्लेषण तैयार न करें।
- जब तक अपरिहार्य न हो, वैध कारणों को दर्ज किए बिना और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, निविदा के बाद की बातचीत न करें।
- परिवहन लागत, श्रम लागत, स्थानीय कर, मुद्रास्फीति आदि के प्रति अनुचित रूप से ऊँची दरें न मानें।

कार्य प्रदान और अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

करने योग्य

- सुनिश्चित करें कि एक बार प्रस्ताव तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य पाए जाने पर बिना समय नष्ट न करते हुए काम सौंप दिया जाए।
- निविदा के अनुमोदन के बाद आशय पत्र अवश्य जारी करें और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले निविदाकर्ता की स्वीकृति ले लें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें और समझौते के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों जो औपचारिक अनुबंध समझौते के लिए सामिल किया जाना जरूरी है उसे उचित समय के भीतर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

- सुनिश्चित करें कि अनुबंध दस्तावेज़ सटीक, निश्चित और पूर्ण है।
- महत्वपूर्ण कागजात, जैसे कि निविदा दस्तावेज़ जारी करने के बाद कोई भी संशोधन को अनुबंध समझौते का हिस्सा बनाएं।
- सुनिश्चित करें कि दिए गए अनुबंध का विवरण वेब साइट पर पोस्ट करने के लिए भेजा गया है।
- बाद की तारीख में अनुबंध में किसी भी जटिलता से बचने के लिए ठेकेदार से समय सीमा के भीतर विस्तृत समझौते पर हस्ताक्षर करवाएं।
- सुनिश्चित करें कि समझौता अच्छी तरह से बंधा हुआ, पृष्ठ क्रमांकित, दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित और अच्छी तरह से सुरक्षित हो।
- एलओए जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर पीजी जमा करना होगा, यदि इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 21 दिनों से अधिक और 60 दिनों के बीच जमा किया जाता है, तो इससे अधिक देरी के लिए 12% प्रति वर्ष का दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा। 21 दिन, यानी एलओए जारी होने की तारीख के 22वें दिन से। अन्य सभी मामलों में, यदि ठेकेदार एलओए जारी होने की तारीख से 60 दिनों के बाद भी अपेक्षित पीजी जमा करने में विफल रहता है, तो बिड सक्योरिटी और अनुबंध से संबंधित देय अन्य राशि को मजबूत करते हुए अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। असफल ठेकेदार को उस कार्य के लिए पुनः निविदा में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

अनुबंध का निष्पादन

करने योग्य

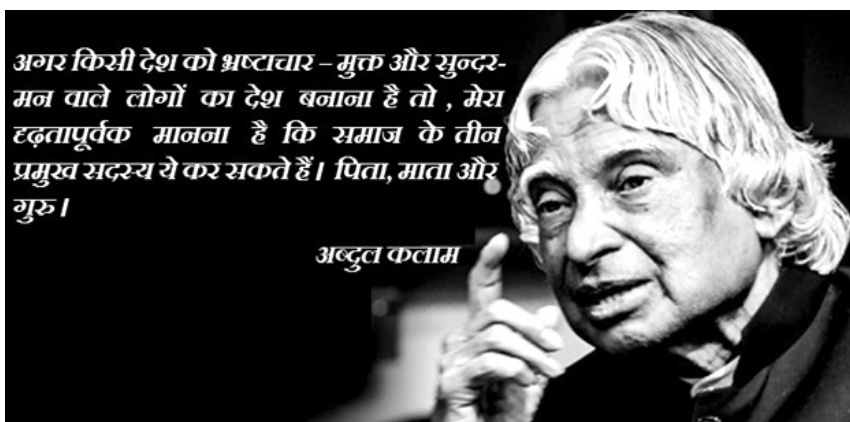
- अपेक्षित अनुबंध संबंधी साइट रजिस्टर बनाए रखें, जैसे- फ्रील्ड रजिस्टर, साइट ऑर्डर रजिस्टर, हिंडरेंस रजिस्टर आदि। कार्य पूरा होने पर रजिस्ट्रों को वापस मंडल कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
- जारी की जाने वाली सामग्री की उचित सूची लें और ठेकेदार के हस्ताक्षर प्राप्त करें।
- सुनिश्चित करें कि ठेकेदार का प्रतिनिधि लिखित रूप से नामित है।
- अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को विभागीय उपकरण एवं संयंत्र दिये जायेंगे।

- अव्यवहार्य वस्तुओं के संचालन न होने या उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के अत्यधिक संचालन के कारण होने वाली गड़बड़ी से सावधान रहें।
- जहाँ भी निर्धारित हो, सामग्री का परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
- ठेकेदार के लेबर/मजदूर के साथ विभागीय लेबर/मजदूर का प्रयोग न करें।
- सुनिश्चित करें कि जारी की गई सामग्री आवश्यक बिंदु पर वापस लाई गई है और ठेकेदार द्वारा बड़े करीने से रखी गई है।
- सामग्री के परिवहन के संबंध में उचित गेट पास और सही लीड सुनिश्चित करें
- पेंटिंग कार्य- ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए पेंट की मात्रा की जांच करें और स्थिति अनुसार मोटाई सुनिश्चित करें।
- अनुबंध को स्पष्ट तरीके से पूरा करने की विशिष्ट अनुसूची के लिए अनुबंध में महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित करें।
- ऐसे शेड्यूल के अनुसार प्रगति की निगरानी करें।
- परियोजनाओं के बीच महत्वपूर्ण गतिविधियों और समग्र परियोजना/अनुबंध के पूरा होने में देरी के मामले में एलडी खंड निर्दिष्ट करें।
- इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि विशिष्ट कार्य विशेष एजेंसी के माध्यम से निष्पादित हो।
- कार्य के विभिन्न चरणों में विभाग द्वारा जारी सामग्रियों का मिलान अवश्य करें।
- सुनिश्चित करें कि ठेकेदार द्वारा उचित तकनीकी कर्मचारी नियोजित किए गए हैं और कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय पर निष्पादित किया गया है।
- सुनिश्चित करें कि ठेकेदार की गलती जैसे पर्याप्त संयंत्र और मशीनरी, तकनीकी कर्मचारी, सामग्री, श्रम आदि की तैनाती न होने के कारण परियोजना में देरी न हो।
- सुनिश्चित करें कि कार्य के प्रभारी अधिकारी को उन वस्तुओं/स्थान को निर्दिष्ट करना होगा जिसके लिए उसने 20% परीक्षण जांच की है।

न करने योग्य

- किसी भी अनुबंध के पूरा होने पर निर्मित चित्र लेना न भूलें।

- परियोजना के पूरा होने और अंतिम भुगतान जारी होने से पहले सभी अग्रिमों को समायोजित करना न भूलें। ठेकेदार की ओर से देरी को रिकॉर्ड करना और अनुबंध के प्रावधान के अनुसार एलडी की वसूली करना न भूलें।
- यदि अनुबंध में निर्दिष्ट है, तो विशेष वस्तुओं के लिए दीर्घकालिक गारंटी के लिए बैंक गारंटी लेना न भूलें।
- नियत तिथि से पहले प्रतिधारण राशि जारी न करें।
- जब तक अन्यथा आवश्यक न हो, मात्राओं और वस्तुओं के संदर्भ में अनुचित बदलाव न करें।
- एमबी में प्रति हस्ताक्षर की अनुमति नहीं है, केवल विशिष्ट और स्थान की परीक्षण जांच का उल्लेख किया जाना है।
- उस आइटम को निष्पादित न करें जिसका अनुबंध में विस्तृत तकनीकी विनिर्देश/आरेख न हों।





सिग्नलिंग एवं दूरसंचार

करने योग्य

- निविदा दस्तावेज़ में शर्तें निर्दिष्ट करने से पहले केबल बिछाने के कार्य के संबंध में मिट्टी की सही प्रकृति सुनिश्चित करें।
- मिट्टी का वर्गीकरण और परिभाषा सुनिश्चित करें यानी नरम और पथरीली मिट्टी को निविदा दस्तावेज़ में शामिल किया जाए जहां कार्य के दायरे में चट्टानी मिट्टी में खाई खोदना शामिल है।
- केबल बिछाने के कार्य के लिए एमबी में उचित गहराई का उल्लेख करना सुनिश्चित करें।
- रिकार्ड एमबी (मॉप कॉपी) को फील्ड बुक/दैनिक प्रगति रजिस्टर के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।
- बिल एमबी को रिकार्ड एम बी के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।
- रिकार्ड एमबी में रिकार्ड के आधार पर बिल एमबी तैयार करना होगा।
- ठेकेदार द्वारा अनुसूची में आपूर्ति भाग को उचित चालान बिल और परीक्षण रिपोर्ट के साथ डीएमटीआर खाते में लिया जाना चाहिए।

- फर्म की मांग प्राप्त होने और क्षतिपूर्ति बांड जमा करने के बाद विधिवत निष्पादन के लिए ठेकेदार के प्रतिनिधि को सामग्री जारी किया जाना चाहिए।
- आरसी आइटमों के लिए बिल पास करते समय दर अनुबंध की शर्तों के अनुसार वारंटी प्रमाणपत्र पर जोर दें।
- डीएमटीआर लेनदेन प्रतिदिन बंद किया जाना चाहिए और सप्ताह में एक बार डीएमटीआर शुरू करना चाहिए और हर महीने डिवीजनल मुख्यालय को विवरण भेजना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि रिले फ्रेम और टर्मिनेशन रैक उचित आयाम के हैं।
- केबलों की उचित टर्मिनेशन और तारों की सोल्डरिंग और बंचिंग सुनिश्चित करें।
- चित्रों के अनुसार अर्थिंग और बक्से का स्थान सुनिश्चित करें।
- फील्ड इकाइयों को अनुबंध समझौते के साथ लोकेशन बॉक्स, सिग्नल पोस्ट आदि के अद्यतन चित्र प्रदान किए जाएं।
- सुनिश्चित करें कि तकनीकी विनिर्देश में उस समय प्रचलित मैनुअल या स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार शर्तें, पैरामीटर शामिल होने चाहिए।
- टेलीकॉम कार्यों में अंतिम भुगतान जारी करने से पहले क्राड और ओएफसी के उचित पैरामीटर सुनिश्चित करें।
- मेगारिंग और उसकी रीडिंग की रिकॉर्डिंग के माध्यम से उचित इन्सुलेशन प्रतिरोध सुनिश्चित करें।
- केबल मार्कर और आपातकालीन संचार पोस्टों को उचित कंक्रीटिंग और अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए।
- अनचार्ज्ड और चार्ज्ड कोशिकाओं का अलग-अलग हिसाब रखें।
- उपकरणों की क्रम संख्या, RITES/RDSO निरीक्षण प्रमाण-पत्रों से मेल खा रही हो या नहीं को सत्यापित करें।
- RITES/RDSO निरीक्षण प्रमाणपत्र के साथ उपकरणों पर होलोग्राम/नमूना प्रतीकों को सत्यापित करें।
- आईपीएस, डेटा लॉगर, इलेक्ट्रॉनिक इंटर-लॉकिंग आदि जैसे एस एंड टी उपकरण

स्थापित करते समय उचित निर्दिष्ट केबल सुनिश्चित करें।

- संयुक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले फ़्रील्ड में पूर्व-कमीशन चेक सूची की सामग्रियों को अच्छी तरह से जाँच लें।
- चित्र के अनुसार एलसी गेटों की उचित स्थापना सुनिश्चित करें।
- यदि निरीक्षण पैरा को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ कंसाइनी निरीक्षण में संशोधित किया जाता है, तो ठेकेदार के बिल से आवश्यक कटौती की जा सकती है यदि ठेकेदार द्वारा निरीक्षण शुल्क का भुगतान किया जाना है।
- सभी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के एएमसी में भाग लेने वाले सर्विस इंजीनियरों से हमेशा प्राधिकार पत्र प्राप्त करने का आग्रह करें।
- फ़्रील्ड पर्यवेक्षक अनुबंध में उल्लिखित नवीनतम रेखाचित्रों, विशिष्टताओं और संशोधनों पर ज़ोर देते हैं।

न करने योग्य

- साइट की आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना श्रम भाग का संचालन न करें।
- स्वीकार करने वाले प्राधिकारी की मंजूरी के बिना आरडीएसओ/राइट्स निरीक्षण प्रमाण-पत्र को कंसाइनी निरीक्षण में न बदलें। इसी प्रकार कंसाइनी निरीक्षण के संबंध में मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
- चार्ज बनाए रखने के परीक्षण के बिना चार्ज की गई बैटरियां स्थापित न करें।
- जीआई और इसी तरह के पाइपों को स्वीकार करने से पहले केवल उनके निर्दिष्ट वजन/मोटाई के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन पेंट के निशान के आधार पर नहीं।
- क्रय आदेश की डिलीवरी अवधि के बाद सामग्री स्वीकार न करें।
- मूल बिल और चालान के बिना सामग्री स्वीकार न करें।
- केबल के इन्सुलेशन और उसके लूप प्रतिरोध की जांच किए बिना बहीखाता में हिसाब नहीं दिया जाता है।
- काम पूरा होने से पहले क्रेडेंशियल जारी न करें।



बिजली

करने योग्य

- कार्य निष्पादन के दौरान सभी प्रतिष्ठानों की उचित विद्युत अर्थिंग सुनिश्चित करें।
- एमसीबी/एमसीसीबी और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उचित रेटिंग का प्रावधान सुनिश्चित करें
- नियमित अंतराल पर ओएचई कंडक्टर की मात्रा का मिलान करें और ठेकेदार से स्क्रेप को कब्जे में लें।
- सुनिश्चित करें कि क्वार्टर/सेवा भवनों में प्रदान की गई विद्युत फिटिंग के लिए इंस्टॉलेशन रजिस्टर अद्यतन रखा गया है।
- स्वीकृत भार के अनुसार उपकरण/वायरिंग/केबल का उचित आकार सुनिश्चित करें।
- कार्यों को निष्पादित करते समय, मानक चित्र और विशिष्टताओं का पालन करें।
- विद्युत स्थापना एवं वायरिंग भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार की जानी चाहिए।
- प्रमुख प्रतिष्ठानों के लिए एमसीबी के चयन के लिए पावर की गणना की जाए।
- यह सुनिश्चित करें कि खराब ऊर्जा मीटरों को प्राथमिकता पर बदला जाए।

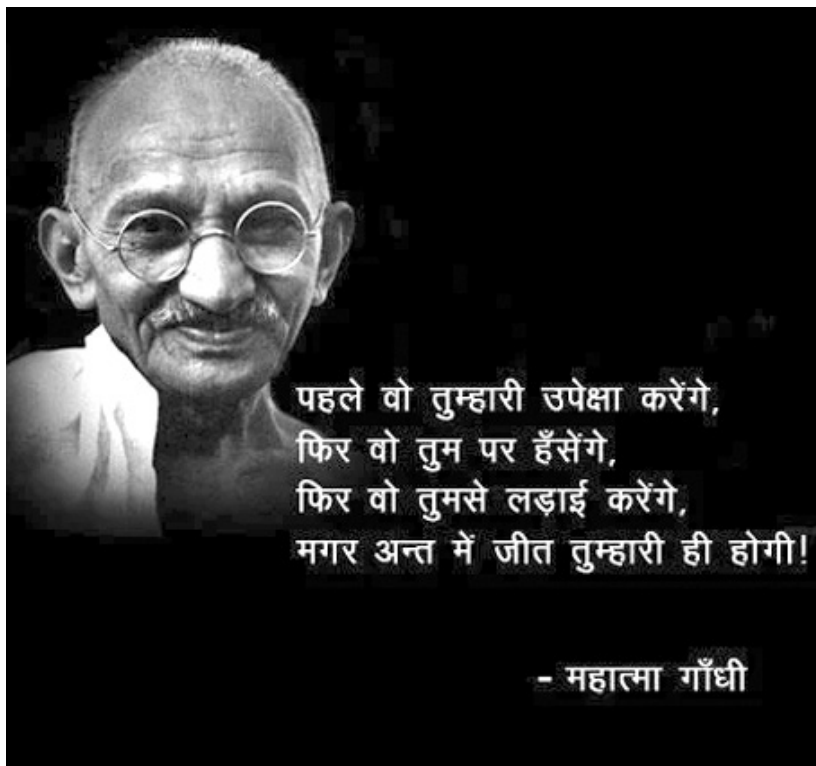
- कार्य के निष्पादन के दौरान बिजली ठेकेदार के लाइसेंस की वैधता सुनिश्चित की जाएगी।
- सेवा अनुबंध में, सीसी बिल पारित करने से पहले पीएफ और ईएसआई सदस्यता भुगतान सुनिश्चित करें।
- दिए गए विनिर्देश के अनुसार परीक्षण प्रमाणपत्रों के साथ एलटीयूजी केबल स्वीकार करें।
- सभी नई अनुबंध सामग्री को डीएमटीआर/लेजर में दर्ज किया जाना चाहिए। माप पुस्तिका में जारी और आपूर्ति सामग्री के लिए डीएमटीआर नंबर अवश्य उद्धृत किया जाना चाहिए
- अनुबंध की शर्तों के अनुसार चित्र, विनिर्देश/तृतीय पक्ष निरीक्षण देखें।
- एचटी/ईएचटी सबस्टेशनों और उपकरणों को चालू करने के लिए ईआईजी प्रस्तावों को समय पर संसाधित करें और उन्हें सक्रिय करने से पहले ईआईजी की मंजूरी प्राप्त करें।

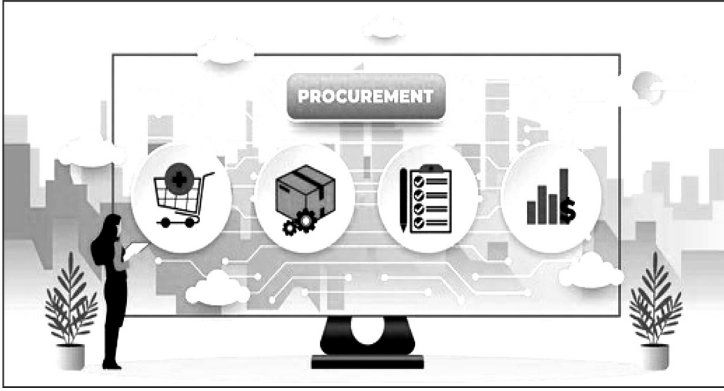
न करने योग्य

- सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एलटी/एचटी ओवरहेड लाइनों को संशोधित न करें।
- अन्य निर्मित सामग्री को स्वीकार न करें, जो ठेकेदार के कार्य आदेश में शामिल नहीं है।
- केबल बिछाने के कार्य के लिए एमबी में उचित चेनेज / किलोमीटर नोट करना न भूलें।
- कार्य अनुबंधों में विदित वस्तुओं के ऐसे 'निर्माण' का उल्लेख न करें, जो लागत या गुणवत्ता की दृष्टि में समान न हों।
- कार्य अनुबंधों में सामान्यतः उन विदित वस्तुओं को शामिल न करें, जो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना डीजीएसएंडडी दर अनुबंध पर उपलब्ध हैं।
- कार्य अनुबंधों में केबलों की खरीद को तब तक शामिल न करें जब तक कि यह अत्यावश्यक प्रकृति का न हो और वह भी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ और

यह सुनिश्चित करें कि दरें स्टोर खरीद के साथ प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए।

- उचित प्राधिकार के बिना अस्थायी बिजली आपूर्ति बाहरी लोगों/ठेकेदारों को न दें।
- कार्यस्थल पर वास्तविक सर्वेक्षण के बिना ठेकेदार/निजी पार्टियों को विद्वत कनेक्शन जारी करने के लिए प्राक्कलन तैयार न करें।
- उन विद्वत वस्तुओं को इंडेंट न करें, जो आईएस विनिर्देशों की पुष्टि नहीं करती हैं या जिन पर आईएसआई चिह्न नहीं हैं।
- विभिन्न श्रेणियों वाले वेसाइड स्टेशनों की एलटी सेवाओं को आपस में न बदलें।
- कार्य की मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की मंजूरी के बिना स्थान न बदलें।





भंडार

सामान्य

करने योग्य

- IMMIS के माध्यम से सभी स्वीकृत स्रोतों का ध्यान आकर्षित करना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि ऐसी वस्तुओं को वर्तमान प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण क्लॉज का विधिवत पालन करते हुए ही अनुमोदित स्रोतों से खरीदा जाए।
- सुनिश्चित करें कि मात्रा और निविदा के तरीके के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया गया हो।
- सुनिश्चित करें कि निविदा सूचना का व्यापक प्रचार किया गया है और वेबसाइट पर डाला गया है।
- स्रोतों के स्थानीय खरीद रजिस्टर बनाए रखे जाने चाहिए।
- कीमतों में वृद्धि की संभावना और परिणामस्वरूप सरकार द्वारा अतिरिक्त व्यय की संभावना से बचाव के लिए प्रस्तावों की वैधता की अवधि के भीतर निविदा को अंतिम रूप दें।
- बोली का उचित मूल्यांकन करें और निविदाकर्ता द्वारा दी गई विशेष शर्तों का मूल्यांकन करें।
- सभी मामलों में, जहां न्यूनतम या निम्नतर निविदाएं खारिज कर दी जाती हैं, अस्वीकृति के पूरे कारण दर्ज किए जाने चाहिए ताकि ऐसी अस्वीकृति का कारण

फाइलों पर उपलब्ध हो सके।

- सीमित निविदा के लिए कॉल के जवाब में प्राप्त एक भी निविदा को तब तक स्वीकार न करें जब तक कि कार्य बहुत जरूरी न हो और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो।
- ऐसे मामले में जहां न्यूनतम/निचले प्रस्ताव का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है और अगले प्रस्ताव को पूर्ण/आंशिक मात्रा के ऑर्डर के लिए माना जाता है, उसी फर्म के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए।
- यहां तक कि जब तकनीकी नोट के अनुसार सबसे कम स्वीकार्य प्रस्ताव के आधार पर निविदा समिति का स्तर तय किया जाता है, तब भी यह निविदा समिति पर निर्भर होगा कि वह तकनीकी रूप से सबसे कम स्वीकार्य प्रस्ताव से कम के सभी प्रस्तावों की व्यक्तिगत रूप से जांच करे और प्रत्येक मामलों में स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के विचार उचित सिफारिश करे।
- सुनिश्चित करें कि यदि निविदाओं के निमंत्रण के बाद विवरण या विशिष्टताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो पुनः निविदा द्वारा सभी आपूर्तिकर्ताओं को समान अवसर दिया जाए।
- सुनिश्चित करें कि प्रतिभूति जमा और बयाना राशि मौजूदा नियमों के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से एकत्र की जाती है और छूट मिलने पर, उचित कारण दर्ज किए जाते हैं और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ली जाती है।
- आरडीएसओ अनुमोदित स्रोतों से खरीद के मामले में, टीसी बैठक के समय आरडीएसओ अनुमोदित सूची की वर्तमान स्थिति की जांच करना सुनिश्चित करें और वर्तमान सूची रिकॉर्ड पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि सभी सदस्यों की सिफारिशें टीसी कार्यवृत्त में शामिल है और कोई अलग से असहमति नोट नहीं होना चाहिए।
- निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के रूप में सुनिश्चित करें कि यदि निविदा समिति के साथ असहमति है तो विस्तृत कारण दर्ज किए जाएं।
- सुनिश्चित करें कि निविदा समिति के कार्यवृत्त में बैठक की तारीख, स्थान और सदस्यों के दिनांकित हस्ताक्षर जैसी प्रासंगिक जानकारी शामिल हो।

- फाइल में पूरा रिकॉर्ड रखें और टेंडर की गोपनीयता सुनिश्चित करें।
- उचित माध्यम से खरीद सुनिश्चित करें जैसे- समय-समय पर अधिसूचित जीईएम, ओटी आदि
- निविदा प्रक्रिया के संबंध में जोनल मुख्यालय से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि डिलीवरी कार्य के अनुमत घंटों और कार्य दिवसों पर की जाती है।

न करने योग्य

- पिछले आपूर्तिकर्ता रहे बोलीदाताओं का पक्ष लेने के लिए नए बोलीदाताओं की निविदा को कमजोर या अवास्तविक आधार पर अस्वीकार न करें।
- मात्राएँ विभाजित न करें या बार-बार माँग न रखें।
- टीसी चर्चाओं में कोई भी अनुकूल / प्रतिकूल जानकारी न छुपाएं।
- एक बार गठित निविदा समिति के सदस्यों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न बदलें।
- अनुशंसित प्रस्ताव की स्वीकृति को प्रभावित करने के लिए विशेष परिस्थितियों के मूल्यांकन में विसंगतियों की अनुमति न दें।
- किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने के इरादे से मामूली आधार पर दोबारा टेंडर करने का विकल्प न चुनें।
- निविदाएं खुलने के बाद निविदाओं में संशोधन पर विचार न करें।
- सीमित निविदा के लिए कॉल के जवाब में प्राप्त एक भी निविदा को तब तक स्वीकार न करें जब तक कि कार्य बहुत जरूरी न हो और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो।
- बैठक के विकल्प के रूप में टीसी सदस्यों द्वारा निविदा फ़ाइल पर नोटिंग का उपयोग न करें।
- निविदाकर्ता की पात्रता से अधिक मात्रा का ठेका न दें।
- बेची गई सामग्री को उचित जारी नोट और गेट पास के बिना डिपो से बाहर जाने की अनुमति न दें।



चिकित्सा

करने योग्य

- सिक-फिट, आईएमई, पीएमई, एसपीएमई आईएमजी, डीएमसी, एसएमबी के लिए डेटा की सूची बनाए रखें और सभी अस्पतालों के साथ-साथ पीसीएमडी कार्यालय द्वारा आईआरएमएम के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार और रेलवे कर्मचारियों के अलग-अलग रजिस्टर में मेडिकल डी-वर्गीकरण करें।
- उस प्राधिकारी के पूरे नाम के साथ हस्ताक्षर करें जिसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना है यानी सिक-फिट, आईएमई, पीएमई, एसपीएमई आईएमजी, डीएमसी, एसएमबी और सभी मामलों में पूर्ण मेडिकल डी-वर्गीकरण।
- बीमारी की अवधि निर्दिष्ट करें, अनुपस्थिति की अवधि यदि कोई हो तो दर्शाएं और प्रमाण पत्र में तिथि का उल्लेख करें।
- समय-समय पर व्यक्तिगत रूप से मेडिकल स्टोर की जांच करें। एक्सपायरी डेट की दवाओं के संबंध में समय पर कार्रवाई करें।
- खराब गुणवत्ता और मिलावट से बचाव के लिए भोजन/पानी के नमूनों के संग्रह और परीक्षण से संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। घटिया / नकली दवाओं की खरीद से बचाव के लिए दवाओं का नमूना परीक्षण सुनिश्चित करें।
- लागत की परवाह किए बिना सभी दवाओं का उचित हिसाब-किताब रखें।

- किसी भी कर्मचारी को चिकित्सीय रूप से डी-वर्गीकृत/पूरी तरह से अयोग्य घोषित करने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतें और मौजूदा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- बीमार/फिट प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में प्रक्रिया का कठोरता से पालन करें और प्रस्थान के मामले में, विशिष्ट कारण बताएं।
- कर्मचारी के किसी रिश्तेदार का अस्पताल में इलाज होने की स्थिति में संबंध के संबंध में स्पष्टीकरण घोषणाएं प्राप्त करें।
- सभी उपभोग्य सामग्रियों का विस्तृत लेखा- जोखा रखें।
- सुनिश्चित करें कि बहुत से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को अधिमानतः आइटम के आधार पर बनाए रखा जाए।
- यदि किसी वस्तु की मांग बार-बार प्राप्त होती है, तो उस वस्तु के "स्टॉकिंग" की संभावना तलाशनी होगी।
- अतिरिक्त सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि कर्मचारी "ऑन ड्यूटी" के दौरान वर्दी पहनें।
- केवल मानक विशिष्टताओं वाली वस्तुओं को ही शामिल करने का प्रयास करें।
- यदि सभी दस्तावेज़ ठीक हैं तो निर्धारित समय सीमा के भीतर रेफर्ड तथा नॉन-रेफर्ड मामले के लिए रेलवे मरीजों की प्रतिपूर्ति के दावा किए गए बिलों को अंतिम रूप दें।

न करने योग्य

- पिछली तारीख के प्रमाणपत्र जारी न करें। रेलवे कर्मचारियों से संबंधित प्रमाण-पत्रों को संबंधित विभाग को भेजने में देरी से बचें।
- विभाग द्वारा विशेष रूप से मांगी गई श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणियों की आवधिक चिकित्सा परीक्षाओं के आरंभ में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने से बचें।
- अनुमेय अवधि से परे बीमार कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने से बचें और यदि मामले में आपकी शक्ति के भीतर समय सीमा से परे बीमार सूची में रखने की आवश्यकता हो तो उच्च प्राधिकारी को रेफर्ड करना न भूलें।

- बीमार/प्रमाणपत्र पुस्तकों और रिकॉर्डों के साथ-साथ मेडिकल स्टोरों के रखरखाव में कर्मचारियों को खुली छूट देने से बचें।
- मेडिकल अटेंडेंस रजिस्टर में खाली प्रविष्टियाँ छोड़ने से बचें।
- बार-बार और अंधाधुंध स्थानीय खरीदारी से बचें, जिसे आम तौर पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- मरीजों को बिना किसी अधिकृत नुस्खे के दवाएं जारी करने से बचें।
- दो बीमार/फिट प्रमाणपत्र पुस्तकों के एक साथ उपयोग से बचें।
- गैर-अनुमोदित आपूर्तिकर्ता/निर्माताओं से दवाएँ न खरीदें।
- निजी अधिकारी का आईडी और पासवर्ड किसी से साझा न करें।



**भ्रष्टाचार को
जड़ से मिटाना है,
हमे ये अभियान
चलाना है।**



लेखा

करने योग्य

- प्राक्कलनों के सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसमें उल्लिखित मात्राएँ यथार्थवादी एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप हों।
- प्राक्कलन में उल्लिखित मात्रा निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित मात्रा से मेल खाना चाहिए।
- समझौते की समीक्षा करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य के निष्पादन के संबंध में निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित सभी खंड शामिल किए गए हैं और सभी रिक्त स्थान ठीक से भरे गए हैं।
- ब्रीफिंग नोट की जांच करते समय, पेनाल्टी क्लॉज और अन्य क्लॉज पर टिप्पणी करना सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।
- कार्य की समान प्रकृति पर ब्रीफिंग नोट की जांच करते समय यह भी टिप्पणी की जानी चाहिए कि क्या यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है या नहीं।
- बिल को पारित करने से पहले संबंधित समझौते/डब्ल्यूओ/पीओ की विशेष शर्तों, दंड प्रावधानों, यदि कोई हो, पर जोर देते हुए पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
- ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के बिल पास करते समय यह सुनिश्चित करें कि सभी वसूली ठीक से की गई है।
- सभी आवश्यक वसूली ऑन हैंड बिल से ही की जानी है।

- मूल्य परिवर्तन बिलों के पारित होने के समय, संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रकाशित दरों की तुलना पीवीसी बिल में दावा की गई दरों से की जानी चाहिए।
- आरबीआई के अनंतिम सूचकांक के आधार पर मूल्य परिवर्तन बिल पारित होने के बाद, संबंधित खाता बही में इस आशय की एक टिप्पणी नोट की जानी चाहिए। आरबीआई द्वारा अंतिम सूचकांक के प्रकाशन के बाद, यदि कोई अंतर देखा जाता है, तो उन्हें तुरंत ऑन-हैंड बिल में निपटान किया जाना चाहिए।
- कागजी प्रतिभूतियों की मुद्रा की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो अग्रिम में मुद्रा के विस्तार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- चेक और बिलों का मिलान और बैंक में प्रेषण समय पर किया जाना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए।
- एक ही वस्तु के लिए सभी इंडेंट को समेकित किया जाना चाहिए और किफायती मूल्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त ऑर्डर दिया जाना चाहिए।
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अलावा अन्य चेक तुरंत भेजे जाने चाहिए।
- दंड की धाराओं में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

न करने योग्य

- ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित अनुबंध में उल्लिखित दंड प्रावधानों की गलत व्याख्या न करें।
- जुर्माना/एलडी/अन्य शुल्क, यदि कोई हो, संबंधित बिल से ही वसूल करना न भूलें।
- अपने दावे के समर्थन में ठेकेदार द्वारा मूल्य परिवर्तन बिल के साथ संलग्न दस्तावेजों पर भरोसा न करें।
- किसी विशेष मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के स्व-जाँच दायरे में लाने के लिए जानबूझकर इंडेंट के अनुसार विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।
- भुगतान के लिए तैयार किए गए चेक को संबंधित पक्ष (बैंक/संस्था/सरकारी उपक्रम आदि) को भेजे बिना लंबित न रखें।



ट्रेफ़िक

करने योग्य

- ड्यूटी फिर से शुरू होने से पहले अंकों और शब्दों में निजी नकदी की घोषणा करें
- टिकट चेकिंग स्टाफ को यात्रा टिकट के साथ ट्रेवलिंग अथॉरिटी और मूल आईडी की जांच करनी चाहिए।
- ईएफ़टी फ़ॉइल पर विवरण सुपाठ्य रूप से लिखा जाना चाहिए।
- टिकट चेकिंग स्टाफ को बीट/गंतव्य के अंत में रेलवे कैश जमा करना चाहिए।
- ईएफ़टी रिटर्न नियत समय पर जमा किया जाना चाहिए।
- तत्काल आरक्षण के लिए अलग फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
- यूटीएस/पीआरएस टिकट रोल को भौतिक रूप से गिनती के बाद ही टिकट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
- रद्द किए गए और गैर-जारी टिकट अगले दिन यातायात लेखा कार्यालय को भेजे जाने चाहिए।
- रद्द करने के लिए प्रस्तुत किए गए यूटीएस टिकट सिस्टम में तुरंत रद्द किए जाने चाहिए।
- डीटीसी रजिस्टर में नकदी का उचित एच/ओ और टी/ओ सुनिश्चित करें।
- कंसाइनमेंट बुक करते समय सही वजन, रेटिंग, रूटिंग और स्केल सुनिश्चित करें।

- एसएलआर, एजीसी और पार्सल वैन की वहन क्षमता के अनुसार लोडिंग सुनिश्चित करें।
- डिलीवरी बुक में प्रविष्टि सुनिश्चित करें और बिना किसी चूक के कंसाइनी के हस्ताक्षर प्राप्त करें।
- लोडिंग/अनलोडिंग के समय की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करें।
- डिलीवरी देते समय मूल आरआर/पीडब्ल्यूबी/क्षतिपूर्ति बांड का संग्रह सुनिश्चित करें।
- माल की स्टैकिंग/हटाने के समय की उचित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करें।

न करने योग्य

- टिकट चेकिंग स्टाफ को किराये और जुर्माने का अंतर वसूल कर प्लेटफॉर्म पर ईएफटी जारी नहीं करना चाहिए और उन्हें आरक्षित कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- टिकट चेकिंग स्टाफ नामित कोचों को न छोड़ें।
- एक समय में 2 से अधिक ईएफटी पुस्तकें जारी करने की अनुमति न दें।
- तत्काल टिकट जारी करने के लिए कतार में खड़े यात्रियों से पहले से भरा हुआ तत्काल फॉर्म न लें।
- बिना रिजर्वेशन फॉर्म या अधूरे फॉर्म के टिकट जारी न करें।
- यात्रियों को जारी करते समय सिस्टम द्वारा तैयार टिकट में बदलाव न करें या मैनुअल रूप से न लिखें।
- रद्द करने के लिए प्रस्तावित टिकटों को दोबारा जारी न करें।
- बेमेल टिकट जारी न करें।
- सभी देय शुल्कों की वसूली से पहले खेप की डिलीवरी को प्रभावित न करें, जिसमें कम शुल्क भी शामिल है, यदि कोई हो।



सामान्य

करने योग्य

- कोई भी निर्णय लेने से पहले मौजूदा नियमों और विनियमों से अवगत रहें।
- न्याय में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए अपने विवेक का उचित उपयोग करें।
- निर्णय लेते समय निष्पक्ष रहें ताकि किसी को अनुचित लाभ न पहुंचे।
- छोटी-छोटी शिकायतों और शिकवे-शिकायतों पर पूरा और त्वरित ध्यान दें। यदि इन्हें सहानुभूति और चिंता के साथ नहीं निपटाया जाता है, तो ये छोटी-छोटी शिकायतें गंभीर शिकायतों का रूप ले सकती हैं क्योंकि शिकायतकर्ता ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी शिकायतों को बाहरी सामग्री के साथ पेश करेगा।
- ईमानदार, निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय बनकर जनता/कर्मचारियों के समक्ष अच्छी छवि बनाये रखें।
- सैलून का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें कि यह निर्धारित नीति दिशानिर्देशों के भीतर है और ट्रांसफर ड्यूटी पर सैलून के उपयोग से बचें।
- विश्रामगृहों में निवास करते समय रजिस्टर भरना तथा ड्यूटी/छुट्टी संबंधी जानकारी देना भी सुनिश्चित करें।
- स्टाफ कारों का उपयोग करते समय, व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि यदि यात्रा निजी उद्देश्यों के लिए की गई है, तो उसे रजिस्टर के 'टिप्पणी' कॉलम में दर्शाया जाए और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।
- आचरण नियमों के प्रासंगिक क्लॉज से परिचित रहें और सुनिश्चित करें कि इन नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

न करने योग्य

- आपके समक्ष प्रस्तुत की गई फाइलों/कागजातों के निपटान में देरी न करें।
- ऐसी यात्रा के लिए ड्यूटी पास का दुरुपयोग न करें जो आधिकारिक कार्य के लिए नहीं है या ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है जो ऐसी यात्रा के हकदार नहीं हैं

- स्टाफ कारों/वाहनों का दुरुपयोग न करें
- रेलवे श्रम का दुरुपयोग न करें.
- रेलवे सामग्री या खानपान का दुरुपयोग न करें
- आपके कब्जे वाले रेलवे बंगले के आउट-हाउस का दुरुपयोग न करें
- उस चयन बोर्ड में न बैठें जिसके समक्ष आपका कोई रिश्तेदार चयन के लिए उपस्थित हो रहा हो।
- निविदाकारों में से यदि कोई आपका रिश्तेदार है तो निविदा समिति की बैठक में भाग न लें।
- अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख डालना न भूलें। कुछ स्थितियों में तारीख न होना आपके इरादों पर संदेह पैदा कर सकती है।
- अपने लिए कोई विशेषाधिकार स्वीकृत करने से बचें, भले ही वह आपकी अपनी योग्यता के अंतर्गत ही क्यों न हो। ऐसी मंजूरी को अपने वरिष्ठ द्वारा अनुमोदित होने दें।



रिश्वत लेना और देना पाप है
ये ही भ्रष्टाचार की शुरुआत है।





लेख और कविता

पूर्वोत्तर एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

चन्द्र शेखर प्रसाद

प्रोटोकॉल निरीक्षक

अपर महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेल्वे

सात रंगों का इन्द्रधनुष और सात सुरों का सरगम
दुनिया में निराले हैं पूर्वोत्तर के सात बहन
अलग अलग भाषाएँ हैं और अलग अलग है संस्कृति
फिर भी भारत के मानचित्र में एकीकृत है इनकी आकृति।

हिमालय ने बांहे फैलाकर इसके सौन्दर्य को संवारा है
सूरज ने भी सबसे पहले आकर दिया इन्हें उजाला है
संसाधनों की कमी यहाँ है फिर भी कोई नहीं है गम
मिहनत और इमानदारी से इन्हें जो भी मिले नहीं है कम।

पूर्वोत्तर सीमा रेल के हम कर्मि ,
भारतीय रेल के अंग हैं
पूर्वोत्तर के आर्थिक प्रगति में हर पल इनके संग हैं
कटिहार, अलिपुरद्वार, लामडिंग और तिनसुकिया, रंगिया

पूर्वोत्तर सीमा रेल के पाँच डिविजन,
जैसे एक हाथ की पाँच उंगलियां
मालीगाँव मुख्यालय इसका
जैसे सिने में है दिल धरकता

अलिपुरद्वार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र
इसमें रक्त संचार है करता
ब्राडगेज, नैरोगज यहाँ और मीटरगेज
का भी था अनूठा संगम

विषम परिस्थिति पर्वत और खाई को भी पार करे हम
दार्जिलिंग हिमालय के क्षेत्र की छटा है बहुत सुहानी
आनंद बहुत ही आता है
विश्वधरोहर द्वाय ट्रेन की कर सवारी

भारतीय रेल से पूर्वोत्तर क्षेत्र को
जोड़ने में है अहम भूमिका हमारी
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाईना
को भी अब जोड़ने की है तैयारी ।



चंद पैसों के लिए जो
अपना ईमान खोते हैं,
ऐसे ही लोग भ्रष्टाचारी
होते हैं।

भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रभावी उपाय :



विजय कुमार यादव मुख्य

कार्य अध्ययन निरीक्षक

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक का दक्षता प्रकोष्ठ

यह लेख मैं ऐसे समय में लिख रहा हूँ जब विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक चलाया जा रहा है और पूरे भारत में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के निर्देश पर भारत सरकार एवं सभी सरकारी बैंकों के द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए व्यापक चिंतन शिविर जागरूकता अभियान एवं नुक्कड़ नाटक आयोजित किये जा रहे हैं।

मेरा मानना है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां की बहुत बड़ी आबादी भारत सरकार के उपक्रमों से विभिन्न माध्यमों से जुड़ी हुई है और जहां की आम जनता को सरकारी संगठनों के पारदर्शी व्यवस्था से सीधा लाभ होने वाला है यह बहुत आवश्यक है कि सभी सरकारी क्षेत्र के संगठन, सरकारी बैंकों एवं जनता के बीच एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसमें कि लोग बिना किसी पक्षपात बिना किसी रिश्त और बिना किसी बाधा के हर कार्य का उत्तम निष्पादन निष्पादन प्राप्त कर सकें।

इसके लिए सभी को मिलकर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता होगी चाहे वह भारत सरकार के बड़े अधिकारी हो बैंकों के कर्मचारी हो अन्य सभी पदों पर आसीन वैसे व्यक्ति जिनका की आम जनता, आम कर्मचारी से सीधा संवाद होता है।

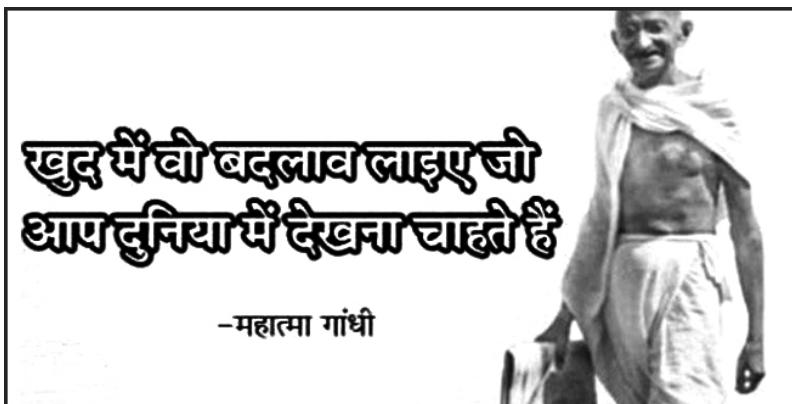
जहां पारदर्शी व्यवस्था, भ्रष्टाचार रहित उत्तम तकनीकी व्यवस्था आदि का प्रयोग हो जिसमें की हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार प्राप्त हो उसका सही कार्य समय पर भली भांति हो और बिना किसी पद के दुरुपयोग के, बिना पैसे के लेनदेन के यह सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि हम एक कड़ी बनाएं जिसमें ऊपर से नीचे, संगठन का हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जिम्मेवार एक दूसरे के प्रति ईमानदार और एक दूसरे का सम्मान करते हुए वैसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें जो लाभार्थी है उसको उसका हक मिले।

अभी डिजिटल तकनीकी का प्रयोग भी जोर-जोर से हो रहा है जो कि निश्चित रूप से

भ्रष्टाचार को रोकने में काफी हद तक मदद करेगी लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे आवश्यक है लोगों में नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार और भी अधिक सशक्त रूप में करना, स्कूलों, विश्वविद्यालय में ऐसे पाठ्यक्रम का पढ़ाना नितांत आवश्यक है जिसमें कि लोगों को नैतिक शिक्षा के महत्व पर अधिक जोर हो।

“परिवार व्यक्ति का प्रथम पाठशाला होता है” हम परिवार में भी अपने बच्चों को उच्च मापदंड की नैतिक शिक्षा दें और सिर्फ शिक्षा ही नहीं दें बल्कि अपने कृत्यों से साबित करें कि हम भी एक आदर्श ईमानदार इंसान हैं क्योंकि हर एक बच्चा अपने पिता माता-पिता से ही सिखता है, यदि हम खुद ईमानदार रहकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं इसी तरफ से हमारे बच्चे भी इसका अनुसरण करेंगे भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों के अधिकारी कर्मचारी एक साथ बैठकर उन सभी समस्याओं के मूल में जाएं जहां भ्रष्टाचार की संभावना अधिक है और इस विषय पर अधिक से अधिक सेमिनार किया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और आम जनता को भी भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहयोग करने के लिए प्रेरित एवं शिक्षित किया जाए।

हम समझते हैं कि इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक ऐसा बंधन निर्मित किया जा सकता है जिससे कि भारत जैसे विशाल देश में भी भ्रष्टाचार को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है हम सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का सर्वोत्तम पालन सुनिश्चित करना होगा।



भारतीय रेलवे में भ्रष्टाचार का मुकाबला: पारदर्शिता की ओर एक यात्रा

अमर नाथ झा

वरिष्ठ सतर्कता निरीक्षक (यातायात)

सतर्कता विभाग

भ्रष्टाचार एक व्यापक मुद्दा है जो समाज के कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जिसमें भारतीय रेलवे भी शामिल है, जो दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक नैतिक दायित्व नहीं है, बल्कि इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हाल के वर्षों में, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे के भीतर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

भ्रष्टाचार रिश्तखोरी, गबन और भाई-भतीजावाद सहित विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में, इसमें अक्सर टिकट घोटाले, अवैध पार्सल बुकिंग और निविदाओं और अनुबंधों में अनियमितताएं जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। इस तरह के भ्रष्ट आचरण न केवल जनता के विश्वास को खत्म करते हैं बल्कि संगठन को वित्तीय नुकसान भी पहुंचाते हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, भारतीय रेलवे ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के उद्देश्य से कई पहल लागू की हैं:

डिजिटल परिवर्तन: भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली, ई-टिकटिंग और डिजिटल भुगतान विकल्पों जैसी पहल के साथ डिजिटल परिवर्तन यात्रा शुरू की है। ये उपाय भौतिक लेनदेन की आवश्यकता को कम करते हैं और भ्रष्ट आचरण के अवसरों को कम करते हैं।

टेंडरिंग में पारदर्शिता: संगठन ने ई-टेंडरिंग को अपनाया है, जो अनुबंध देने में अधिक पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा की अनुमति देता है। इससे पक्षपात और टेबल के नीचे सौदे की गुंजाइश कम हो जाती है।

व्हिसिलब्लोअर तंत्र: भारतीय रेलवे ने कर्मचारियों और जनता के लिए भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने के लिए तंत्र स्थापित किया है। व्हिसिलब्लोअर सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति प्रतिशोध के डर के बिना आगे आ सकें, जिससे संगठन मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम हो सके।

नियमित ऑडिट: वित्तीय अनियमितताओं और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मजबूत आंतरिक और बाहरी ऑडिटिंग प्रक्रियाएँ मौजूद हैं जहाँ भ्रष्टाचार हो सकता है। भ्रष्टाचार को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में लेखा परीक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जवाबदेही को मजबूत करना: रेलवे ने भ्रष्ट आचरण की जांच और रोकथाम के लिए जिम्मेदार सतर्कता विभाग स्थापित किए हैं। इन विभागों के अधिकारियों को भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को संभालने और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

नैतिकता प्रशिक्षण: भारतीय रेलवे ने अपने कार्यबल में नैतिकता और सत्यनिष्ठा के महत्व को पहचाना है। कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने और नैतिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

सार्वजनिक जागरूकता: संगठन भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभावों और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता के साथ जुड़ता है। इसमें अभियान, पोस्टर और सूचना प्रसार शामिल हैं।

हालाँकि ये उपाय भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, फिर भी अभी भी काम किया जाना बाकी है। भ्रष्टाचार अक्सर नौकरशाही प्रणालियों में पनपता है, और प्रचलित संस्कृति को बदलने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इसके अलावा, कर्मचारियों, यात्रियों और जनता सहित विभिन्न हितधारकों की भागीदारी एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाता है।

भारतीय रेलवे में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं:

व्हिसिलब्लोअर सुरक्षा को मजबूत करना: सुनिश्चित करें कि भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने

वाले व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि इससे अधिक लोगों को जानकारी के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

नियमित सत्यनिष्ठा जाँच: भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की समय-समय पर सत्यनिष्ठा जाँच लागू करें। यह एक निवारक के रूप में और संभावित मुद्दों की शीघ्र पहचान करने के तरीके के रूप में काम कर सकता है।

निरंतर प्रशिक्षण: नैतिक व्यवहार के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर जोर देने वाले कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं।

सार्वजनिक भागीदारी: भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में यात्रियों और जनता को शामिल करें। उन्हें रेलवे के साथ बातचीत के दौरान सामने आने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें।

प्रौद्योगिकी का उपयोग: पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना जारी रखें। ट्रेन संचालन की वास्तविक समय पर नज़र रखने और ऑनलाइन शिकायत प्लेटफ़ॉर्म जैसे नवाचार पारदर्शिता और जवाबदेही को और बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्षतः, भारतीय रेलवे में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए निरंतर प्रयास और सतर्कता की आवश्यकता है। पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता सराहनीय है और अब तक किए गए उपायों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। हालाँकि, यह जरूरी है कि एक ऐसा रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए ये प्रयास जारी रहें और विकसित हों जो वास्तव में भ्रष्टाचार-मुक्त हो, संगठन और इसके द्वारा सेवा प्रदान करने वाले लाखों यात्रियों का कल्याण सुनिश्चित करे। अंततः, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भारतीय रेलवे सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है; यह सुशासन और सभी के लिए बेहतर भविष्य का प्रमाण है।



यहाँ तहजीब बिकती हैं यहाँ फरमान बिकते है,
जरा तुम दाम तो बोलो यहाँ ईमान बिकते हैं.



भ्रष्टाचार

स्वरचित विजय कुमार यादव

मुख्य कार्य अध्ययन निरीक्षक
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक का दक्षता प्रकोष्ठ
मालीगांव

भ्रष्टाचार कभी भी न करना तुम ।
राष्ट्रहित के लिए सदा मरना तुम ॥
जीवन में करना केवल तुम सुकाम ।
हों न अनमोल जीवन तेरा बदनाम ॥
धन अर्जन केवल ध्येय नहीं तेरा ।
लग जाए न पुलिस थाने का फेरा ॥
जिसने में भी घूस है खाई ।
लगा ईडी सीबीआई का ही घेरा ॥
विजिलेंस विभाग ने सर्तकता का राग छेड़ा ।
रहो चौकस करो न बेवजह बखेड़ा ॥
भ्रष्टाचार मुक्त होगा ये अपना भारत ।
छोड़ो तुम संकीर्णता छोड़ो निज स्वार्थ ॥
पावन ये धरती निर्मल हों सदा तेरे भाव ।
कदाचार के फेरे में हों ना जाए घाव ॥
सदा शीतलता देती है ईमानदारी का छांव ।
यशगान ही करेंगे लोग जहां पड़ेंगे तेरे पांव ॥



Destroying the desire: Following the way of Bhagavad-Gita



By,

Shri Anup Kumar Sarma,
ASTE/Con/LMG-I

All living entities are engaged in some works pertaining to his nature. As per Sri Madbhagavad_Gita , this natural behaviour of a species is determined by Lord Krishna. For example, tigers kill other animals for his food. This is his natural behaviour. There is no sin for him for doing this.

सदृशंचेष्टेस्वस्याःप्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिर्यान्तिभूतानिनिग्रहःकिंकरिष्यति ॥३३॥

sadr̥śaṁceṣṭatesvasyāḥprakṛterjñānavānapi

prakṛtiṁyāntibhūtāninigrahaḥkiṁkariṣyati(Chapter 3, Verse 33)

(Even a wise man acts according to his nature. All living beings act according to their natures, for what can repression achieve?)

Significantly, tiger kills one animal from the flock out of starvation, not every animal of the flock. Like other living entities, human beings also have some natural characteristics. Human beings are passionate to favour, affection, love and driven by emotions. As per

Sri Madbhagavad_Gita –

श्रीभगवानुवाच ।

कामएषक्रोधएषरजोगुणसमुद्भवः ।

महाशनोमहापाप्माविद्भ्येनमिहवैरिणम् ॥३७॥

śrībhagavānuvāca –

kāmaeṣakrodhaeṣarajoguṇa-samudbhavaḥ

mahā-śanomahā-pāpmāviddhy-enamihavairiṇam(Chapter 3, Verse 37)

(BhagavānŚrīKṛṣṇa said: It is lust, which transforms into anger that is manifest from the mode of passion. Know this lust to be totally insatiable and extremely evil. It is the great enemy of this world.)

Man desires for the material achievements for his works. His success creates the passion for the desire and it goes on and on.

आवृत्तंज्ञानमेतेनज्ञानिनोनित्यवैरिणा ।

कामरूपेणकौन्तेयदुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥

āvṛtamjñānametenajñāninonitya-vairiṇā

kāma-rūpeṇakaunteyaduṣpūreṇānalena ca (Chapter 3, Verse 39)

(O Kaunteya, the discrimination of even a wise man can become covered by this eternal nemesis in the form of lust that is like an all-devouring fire.)

Getting material achievement cannot fulfil one's desire, but is manifested to a lot – desires for more.

इदमद्यमयालब्धमिमंप्राप्स्येमनोरथम् ।

इदमस्तीदमपिमेभविष्यतिपुनर्धनम् ॥१३॥

idamadyamayālabdhamimamprāpsyemanoratham

idamastīdamapi me bhaviṣyatipunardhanam(Chapter 16, Verse 13)

(They say: “I have gained this today, now I shall fulfill my other desires. This wealth belongs to me and in the future it will increase.)

Powered by the materialistic achievements and out of ignorance, he

thinks himself the powerful authority, who enjoys all the material happiness.

असौमयाहतःशत्रुर्हनिष्येचापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहंभोगीसिद्धोऽहंबलवान्सुखी ॥१४॥

asaumayāhataḥśatrurhaniṣyecāparānapi

īśvaro'hamahambhogīsiddho'hambalavānsukhī(Chapter 16, Verse 14)

(This enemy has been slain by me and in the future I will slay others. I am in control! I am the enjoyer! I am perfect! I am powerful! I am happy!)

Now, what is the solution? What is the way of destroying the desire? According to Sri Madbhagavad_Gita, Lord Krishna is the eternal father all living entities.

पिताहमस्यजगतोमाताधातापितामहः ।

वेद्यंपवित्रमोंकारऋक्सामयजुरेव च ॥१७॥

pitāhamasyajagatomātādhātāpitāmahaḥ

vedyampavitramomkārarksāmayajureva ca (Chapter 9, Verse 17)

(I am both the father and the mother of the universe, I am the Maintainer, the Grandsire, the object of all knowledge, the purifier, the syllable om and I am the Ṛg Veda, Sāma Veda and the Yajur Veda.)

Whatever responsibility we are taking, work we are doing, is bestowed upon us by 'HIM'.

कर्मब्रह्मोद्भवविद्धिब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥१५॥

karma brahmodbhavaṁviddhibrahmākṣara-samudbhavam

tasmātsarva-gataṁ brahma nityaṁ yajñe pratiṣṭhitam(Chapter 3, Verse 15)

(One should know that prescribed activities originate from the Vedas, and the Vedas originate from the imperishable Absolute Truth. Thus, the omnipresent Absolute Truth is eternally present within acts of sacrifice.)

We have to perform the responsibility, without a desire.

कर्मण्येवाधिकारस्तेमाफलेषुकदाचन ।

माकर्मफलहेतुर्भूमतिसङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥

karmany-evādhikāraستمāphaleṣukadācana

mā karma-phala-heturbhūrmātesaṅgo'stv-akarmaṇi(Chapter 2,
Verse 47)

(Your right is to perform your work, but never to the results. Never be motivated by the results of your actions, nor should you be attached to not performing your prescribed duties.)

We have to perform our responsibility as the service to the nation as wish by the Almighty and this is the only way to culminate the desire of achievement.

एतान्यपितुकर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥६॥

etāny-apitukarmāṇisaṅgarāṇi tyaktvāphalāni ca

kartavyānīti me pārthaniścitaṁmatamuttamam(Chapter 18, Verse 6)

(However, O Pārtha, even these activities must be performed without attachment to the results. This is My definite and supreme conclusion on this matter.)

Obviously, it is not so easy for common people to exercise their livelihood without a dream or, desire. It will require a lot of intuition. The great 'Sri Madbhagavad_Gita' shows us the right way of act, without being meshed to the materialistic dilemma.

मयि सर्वाणिकर्मणि संन्यस्या ध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥

mayisarvāṇikarmāṇisannyasyādhyātma-cetasā

nirāśīrnirmamobhūtvāyudhyasvavigata-jvaraḥ(Chapter 3, Verse 30)

(Completely surrendering all your activities unto Me, with your consciousness fully situated in the self, without any selfish motivation, without any sense of ownership and without grief – fight!)



भ्रष्टाचार

- प्रमोद कुमार सिंह

वरिष्ठ सतर्कता निरीक्षक (यातायात)

सतर्कता विभाग

आओ मिलकर संकल्प करें, भ्रष्टाचार को दूर करें।
आओ मिलकर निस्वार्थ बने, देश की प्रगति की पहचान बने।।
आओ मिलकर शिक्षित भारत बनाये,
भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाये।

आओ मिलकर सतर्कता अभियान चलाये,
जन-जन तक सतर्कता विभाग का संदेश पहुंचाये।
आओ मिलकर शांति के पथ को आगे बढ़ाये,
बुद्ध, महावीर, गांधी के संदेशों को विश्व जनों तक पहुंचायें।

आओ मिलकर नागरिकों को सजग करें,
एक सुरक्षित, सुसज्जित भविष्य को तैयार करें।
आओ मिलकर भ्रष्टाचार से तौबा करें,
एक सुनहरा भारत, भविष्य में तैयार करें।

आओ मिलकर महंगाई, मुद्रस्फीति, गरीबी को दूर करें,
सबकी जड़े भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को दूर करें।
आओ मिलकर सारा विश्व को अपना परिवार बनायें,
यूएनओ के साथ मिलकर, भ्रष्टाचार मुक्त विश्व बनायें।



अस्वीकरण

यह पुस्तिका केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है और न ही इसका उद्देश्य इस विषय पर नियमों, प्रक्रियाओं और मौजूदा निर्देशों/दिशानिर्देशों का विकल्प है। यहां दिए गए प्रावधान किसी भी तरह से किसी भी रेलवे कोड में निहित नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं और यहां उल्लिखित परिपत्रों को इसमें शामिल मुद्दों की उचित सराहना के लिए व्यक्तिगत रूप से और अन्य प्रासंगिक नीति परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। विरोधाभास की स्थिति में रेलवे कोड मान्य होगा। पुस्तिका को किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, विषय पर मूल आदेश का संदर्भ हमेशा दिया जाना चाहिए।

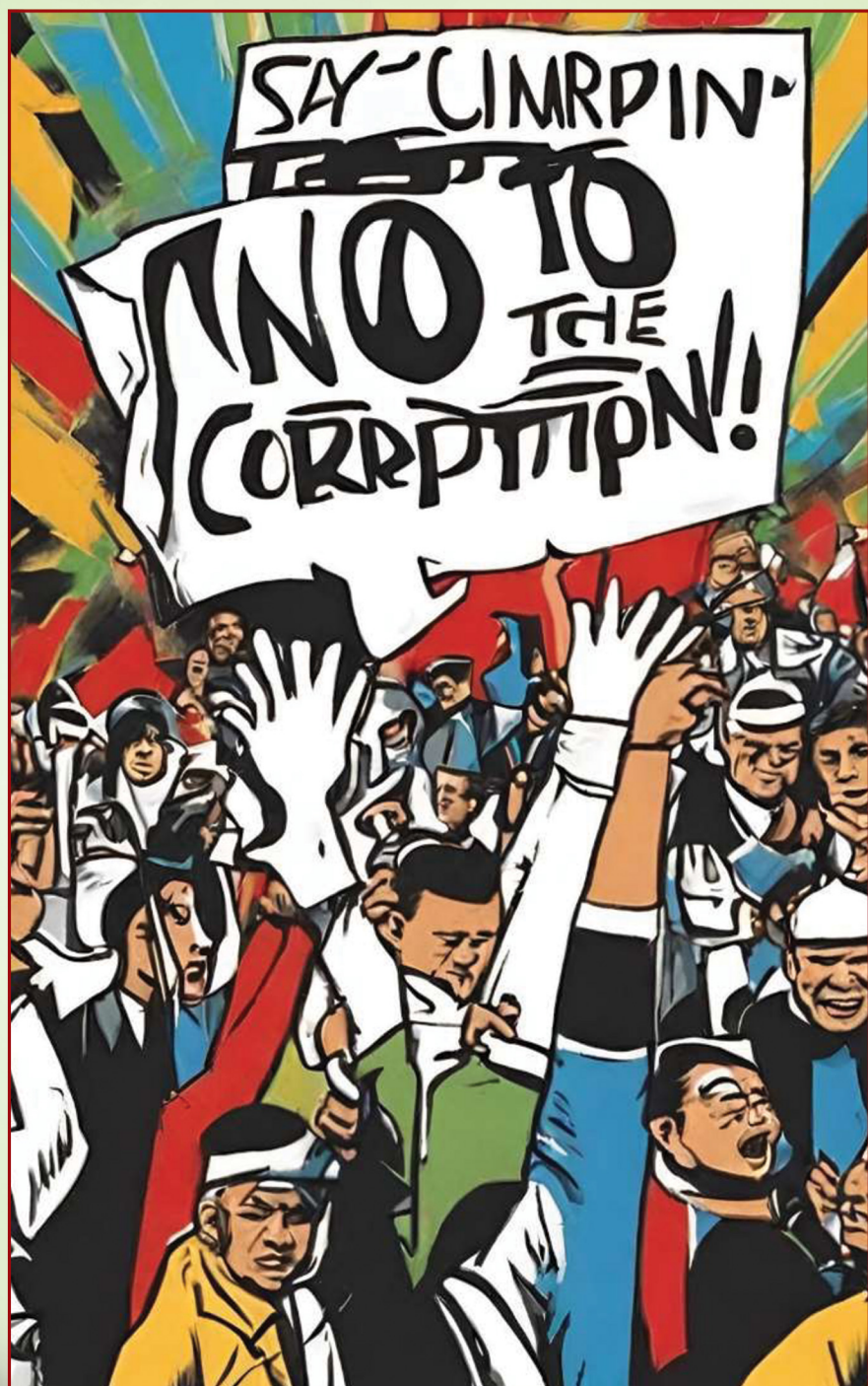


GOD...! PLZ FORGIVE MY
SONS... THEY DON'T KNOW
WHAT THEY ARE DOING...!!



CROSS OF
CORRUPTION







SARDAR VALLABHBHAI PATEL

31 October 1875 - 15 December 1950

**The negligence of a few could
easily send a ship to the bottom,
but if it has the wholehearted
co-operation of all on board,
it can be safely brought to the port**

**- Sardar Vallabhbhai Patel,
The Iron Man of India**

**"SAY NO TO CORRUPTION;
COMMIT TO THE NATION"**

*The indisciplined man has
neither understanding nor
devotion, there is no peace,
whence happiness.*

-Gita